दहेज मृत्यु

धारा 304 बी भारतीय दण्ड विधान

1-किसी स्त्री की मृत्यु विवाह के 07 वर्ष के भीतर

2-जलने से या शारीरिक चोटो के कारण या असमान्य परिस्थितियो में हुई हो।

3-मृत्यु से ठीक पूर्व soon before her death ।

4-उसके पति या पति के रिश्तेदारो द्वारा दहेज की मॉग के लिये या दहेज के सम्बन्ध मे स्त्री के साथ क्रूरता की हो या तंग व परेशान किया गया हो, तो ऐसी मृत्य,दहेज मृत्यु कहलाती है। सजा- न्यनतम 07 वर्ष कारावास

अधिकतम-आजीवन कारावास

मृत्यु से तात्पर्य हत्या नही है। मृत्यु में आत्महत्या भी शामिल है।

(जे0आई0सी 2003(1) एससी (एफबी) पेज न0 67 के0 प्रेमशंकर राव बनाम यादला श्रीनिवास)

दहेज मृत्यु से सम्बन्धित उपधारणा धारा 113 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में है

कि न्यायालय उक्त बातों का साक्ष्य दिये जाने पर दहेज मृत्यु की उपधारणा करेगा (shall presume)

मृत्यु से ठीक पूर्व का तात्पर्यः- ऐसी क्रूरता (शारीरिक या मानसिक) या उत्पीडन, जो स्त्री की मृत्यु से कुछ पूर्व किया गया हो। मृत्यु से तत्काल पूर्व (immediately before her death) होना आवश्यक नही है।

''मृत्यु से ठीक पूर्व को आकर्षित करने के लिय आवश्यक है कि ऐसा साक्ष्य (चाहे मौखिक या दस्तावेजी या इलेक्ट्रानिक साक्ष्य) हो कि मृत्यु पूर्व शिकार हुई स्त्री को क्रूरता या उत्पीड़न के अध्याधीन किया गया था। मा0 उच्चतम न्यायालय ने कंसराज बनाम स्टेट आफ पंजाव 200 (2) जे0आई0सी0 पेज न0-353 पूर्णपीठ में कहा कि ''मृत्यु से ठीक पूर्व'' की कोई समय सीमा तो निर्धारित नही की जा सकती। प्रत्येक मामले के तथ्यो एवं परिस्थितियो पर यह निर्भर करेगा। मृत्यु से पूर्व, दहेज के लिय प्रताडना जितने कम अवधि की होगी उतनी ही विश्वसनीय होगी।

धारा 304 बी भा0द0वि0 मे ''दहेज" शब्द का तात्पर्य वही हो जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 मे वर्णित है।

दहेज का आशय

(क) विवाह के एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के लिये, या

(ख) विवाह के किसी एक पक्ष के माता-पिता या अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के दूसरे पक्ष या अन्य किसी व्यक्ति के लिये।

विवाह करने के सम्बन्ध, विवाह के समय या उसके पूर्व या पश्चात किसी समय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दी जाने या दी जाने के लिये प्रतिज्ञा की गई किसी सम्पति या मूल्यवान प्रतिभूति से है, किन्तु इसमे ''मेहर" शामिल नही है।

धारा 304बी भा0द0वि0 मे क्रूरता का तात्पर्य वही है जो धारा 498ए भा0द0वि0 मे है।

धारा 498 क, भा0द0वि0

1-किसी स्त्री के पति या रिश्तेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता से तात्पर्य

(क) जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो स्त्री को आत्महत्या करने के लिये प्रेरित करे या स्त्री के जीवन अंग या स्वास्थ्य (चाहे मानसिक या शारीरिक) गंम्भीर क्षति या खतरा कारित करने की सम्भावना है।

(ख) किसी स्त्री को इस दृष्टि से तंग करना कि उसका या उसके नातेदार को किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की मॉग पूरी करने के लिये प्रपीडित किया जाए, या किसी स्त्री को इस कारण तंग करना कि उसका कोई नातेदार ऐसी मॉग पूरी करने मे असफल रहा है।

धारा 113 क- साक्ष्य अधिनियम-

किसी विवाहित स्त्री द्वारा विवाह के 07 वर्ष के अन्दर आत्महत्या के दुष्प्रेरणा के बारे मे उपधारणा ¼may presume½ यदि यह प्रदर्शित कर दिया गया है कि स्त्री के पति या पति के रिश्तेदारो द्वारा स्त्री के साथ क्रूरता की थी एंव

2-स्त्री द्वारा विवाह के 07 वर्ष के भीतर आत्महत्या की है,तो न्यायालय यह उपधारण कर सकेगा ¼may presume½ कि ऐसी आत्महत्या स्त्री के पति या पति के रिश्तेदारो द्वारा उत्प्रेरित की गई थी।

नोट- 113 क, 113 ब भारतीय साक्ष्य अधिनियम की उपधारण खण्डनीय है।

सक्षियों की परीक्षा

धारा 135:- भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार परीक्षा का कम कमश:

1- सिविल व दण्ड प्रक्रिया संहिता में अंकित पद्धति द्वारा नियमित है या

2- किसी विधि के आभाव में न्यायालय के विवेक पर निर्भर होता है

धारा 137 परीक्षा तीन प्रकार की होती है:-

1- मुख्य परीक्षा:- सर्वप्रथम किसी साक्षी की उस पक्षकार द्वारा, जो उसे बुलाता है, परीक्षा करना मुख्य परीक्षा कहा जाता है।

उद्देश्य:- साक्षी से मुख्य बिन्दु व सुसंगत तथ्यों के बारें में पूछना व साक्ष्य की पुष्टि।

2- प्रति परीक्षा (जिरह):- किसी साक्षी द्वारा प्रतिपक्षी द्वारा, की गई परीक्षा उसकी प्रतिपरीक्षा कहलाएगी।

उदेश्य- सत्यता की जॉच

पुन: परीक्षा:- किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा के पश्चात् उसको उस पक्षकार के द्वारा, जिसने बुलाया था, परीक्षा पुन: परीक्षा कहलायेगी।

उद्देश्य:- प्रतिपरीक्षा में जो नया तथ्य आ गया है उसका स्पष्ट करना।

धारा 138:- परीक्षाओं का कम:-

1- मुख्य परीक्षा
2- प्रति परीक्षा

3- पुनः परीक्षा

प्रथम सूचना रिपोर्ट

प्रथम सूचना रिपोर्ट– जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रथम सूचना रिपोर्ट किसी संज्ञेय अपराध के किये जाने के सम्बन्ध में प्रथम सूचना होती है। यह आपराधिक अभियोग का आधार होती है। किसी संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर उन मामलों में थानें के भारसाधक अधिकारी को किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करने एवं मामले में बिना मजिस्ट्रेट के अनुमति के अन्वेषण का अधिकार प्राप्त होता है। अत: प्रथम सूचना रिपोर्ट किसी आपराधिक मामले को गति प्रदान करती है। शब्द 'प्रथम सूचना रिपोर्ट इस रूप में दण्ड प्रक्रिया संहिता में किसी धारा में प्रयुक्त नही हुआ है, परन्तु किसी मामले में अन्वेषण जांच या विचारण में सबसे अधिक उच्चारित किये जाने वाला शब्द है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का प्राविधान– किसी संज्ञेय अपराध की थाने पर सूचना दर्ज किये जाने का प्राविधान द0प्र0सं0 की धारा 154 में वर्णित है, जिसके अनुसार –

1. संज्ञेय अपराध के किये जाने से संबन्धित सूचना यदि थाने के भारसाधक अधिकारी को मौखिक दी गयी है तो–

क. उसके द्वारा या उसके निर्देशन में लेखबद्ध कर ली जायगी।

ख. सूचना देने वाले को पढ़कर सुनाई जायेगी।

ग. ऐसी प्रत्येक सूचना, चाहे वह लिखित दी गयी हो या लेखबद्ध की गयी हो पर सूचना देने वाले के हस्ताक्षर कराये जायेंगे।

घ. सूचना का सार थाने पर निर्धारित पुस्तक (जी0डी0) में दर्ज किया जायेगा।

2. इस प्रकार दर्ज की गयी सूचना की प्रतिलिपि तत्काल सूचना देने वाले को निशुल्क दी जायेगी।

3. यदि किसी व्यक्ति की सूचना थाने पर दर्ज करने से इनकार किया जाता है, तो पीड़ित व्यक्ति सूचना का सार लिखित रूप से डाक द्वारा संबन्धित पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है।पुलिस अधीक्षक संतुष्ट होने पर मामले में अन्वेषण किये जाने का आदेश देगा।

प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने पर दर्ज किये जाने के संबन्ध में महत्वपूर्ण बातें–

रिपोर्ट के संबन्ध में निम्न बातों का ध्यान रखा जाना चाहिये–

1. प्रथम सूचना रिर्पोट किसी संज्ञेय अपराध के संबन्ध में होती है।

2. पुलिस रेगुलेशन के पैरा 97 के अनुसार थाने पर संज्ञेय अपराध के संबन्ध में दी गयी सूचना चिक रसीद पुस्तिका (पुलिस प्रारूप सं0 341) में तीन प्रतियों में लिखी जायेगी तथा सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा प्रत्येक पर हस्ताक्षर बनाये जायेगे।

3. पुलिस रेगूलेशन के पैरा 98 के अनुसार थाने के रजिस्टरों और डायरी में सभी रिपोर्ट एवं प्रविष्टियां स्पष्ट एवं पठनीय लिखी जानी चाहिये।

किसी प्रविष्टि में कटिंग या ओवर राइटिंग प्रथम सूचना रिपोर्ट की सत्यता के बारे में संदेह पैदा करती है।

4. पुलिस रेगूलेशन के पैरा 99 के अनुसार ज्यों ही रिपोर्ट प्रथम सूचना पुस्तिका में लिखी गई हो त्यों ही सूचना का सार संक्षेप में थाने की जी0डी0 लिखा जाना चाहिये।

5. पुलिस रेगूलेशन के पैरा 103 के अनुसार थाने के भारसाधक अधिकारी को थाने पर दर्ज की गयी दोनो प्रकार की रिपोर्ट (संज्ञेय एवं असंज्ञेय अपराध के संबन्ध में) पर अपने हस्ताक्षर बनाने चाहिये।

6. प्रथम सूचना रिपोर्ट तीन प्रतियों में तैयार की जाती है, मूल चिक एफ0आई0आर0 (प्रथम प्रति) तत्काल धारा 157 द0प्र0सं0के प्राविधान के अनुसार अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट को भेजी जानी चाहिये। चिक FIR विलम्ब से मजिस्ट्रेट को भेजे जाने से यह संदेह पैदा होता है कि वास्तव में जो समय एफ0आई0आर0 दर्ज करने का बताया गया है, उस समय सूचना दर्ज नही हुई थी।

चिक एफ0आई0आर0 पर थाने से मजिस्ट्रेट के समक्ष भेजे जाने की तिथि एवं समय स्पष्ट रूप से अंकित की जानी चाहिये।

7. चिक एफ0आई0आर0 की दूसरी प्रति सूचना देने वाले को तत्काल निशुल्क देनी चाहिये।

8. चिक एफ0आई0आर0 की तृतीय प्रति मूल चिक रजिस्टर में थाने के अभिलेख के रूप में रहती है।

9. यदि किसी मामले में थाने का भारसाधक अधिकारी यह विनिश्चय करता है, कि उस मामले में अन्वेषण नही किया जायेगा, तो पुलिस रेगूलेशन के पैरा 105 के अनुसार इस तथ्य की प्रविष्टि चिक एफ0आई0आर0 की मूल एवं तृतीय प्रति पर करनी चाहिये।

निम्न सूचना प्रथम सूचना रिपोर्ट नही है–

1. किसी मामले में अन्वेषण शुरू होने के बाद दी गई सूचना एफ0आई0आर0 के रूप में नही मानी जा सकती यह धारा 162 द0प्र0सं0 से प्रतिबन्धित है।

2. यदि टेलीफोन से अस्पष्ट एवं रहस्यमई सूचना दी गयी है, तो वह एफ0आई0आर0 के रूप में स्वीकार नही की जा सकती।

परन्तु यदि टेलीफोन पर दी गई सूचना स्पष्ट एवं संज्ञेय अपराध के संबन्ध में है, तो ऐसी सूचना प्रथम सूचना रिपोर्ट के रूप में मानी जानी चाहिये। (श्याम देवगरिया बनाम बिहार राज्य1953 पटना)

प्रथम सूचना रिपोर्ट कहां दर्ज की जा सकती है–

संज्ञेय अपराध के संबन्ध में सूचना कहीं पर भी दी जा सकती है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट कौन दर्ज कर सकता है–

प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिये यह आवश्यक नही कि वह व्यक्ति चक्षुदर्शी या पीडित व्यक्ति हो वह कोई भी व्यक्ति हो सकता है।

(हल्लू बनाम राज्य ए0आई0आर0 1974 एससी 1936)

क्या थाने का भारसाधक अधिकारी संज्ञेय अपराध की सूचना दिये जाने पर रिपोर्ट लिखने के लिये बाध्य है– उच्चतम न्यायालय के नवीनतम निर्णय **ललिता कुमारी बनाम उ0प्र0राज्य2009(64)एस0सी 214(एस0सी) में** यह अवधारित किया है, कि यदि थाने के भारसाधक अधिकारी को किसी संज्ञेय अपराध की सूचना दी जाती है, तो वह सूचना लिखने के लिये बाध्य है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबन्ध में अन्य महत्वपूर्ण बातें– प्रथम सूचना रिपोर्ट किसी मामले में सारवान साक्ष्य नही होती और न ही यह संग्रह ग्रन्थ ¼encyclopaedia½ होती है, परन्तु निम्न बातों का ध्यान रखा जाना चाहिये–

1. प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से नही लिखायी जानी चाहिये-

परन्तु कुछ मामले ऐसे हो सकते है, जहां विलम्ब के बारे मे स्पष्टीकरण दे दिया गया है, तो वह घातक नही होती, जैसे-

- डर के कारण
- कत्ल एवं अन्य गंभीर अपराध में सदमें के कारण
- गंभीर चोट के कारण
- बलात्कार के मामले में
- दहेज एवं दहेज हत्या के मामले में
- अपहरण, व्यपहरण के मामले में
- घटनास्थल से थाने की दूरी अधिक होने के कारण
- थाने पर रिपोर्ट लिखने से इनकार करने पर
- गबन के मामले में

2. प्रकाश स्त्रोत का उल्लेख न होना

3. अभियुक्त का नाम न होना

4. गवाह का नाम न होना

5. चोंटो का उल्लेख न होना

6. चोरी के मामले में चोरी गये समान की सूची दाखिल न करना

7. महत्वपूर्ण तथ्यों का लोप होना

अन्वेषण:- संज्ञेय अपराध का अन्वेषण पुलिस अधिकारी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(1) के अनुसार बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के कर सकता है।

चिक गैर दस्तंदाजी रिपोर्ट (एन0सी0आर0):- चिक गैर दस्तंदाजी रिपोर्ट को आमतौर से एन0सी0आर0 कहा जाता है। इसके बारे में प्राविधान दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 155 में है, जिसके अनुसार-

1- जब थाने के भारसाधक अधिकारी को उसके थाने की सीमाओं के अन्दर असंज्ञेय अपराध के किये जाने की सूचना प्राप्त होती है तो इसका सार वह थाने की निर्धारित पुस्तिका में दर्ज करेगा या करवायेगा और सूचना देने वाले को सम्बन्धित मजिस्ट्रेट के पास जाने को कहेगा।

2- किसी भी असंज्ञेय मामलें का अन्वेषण बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के नहीं किया जायेगा।

3- असंज्ञेय मामले में अन्वेषण की अनुमति प्राप्त होने पर पुलिस अधिकारी को संज्ञेय मामलें की भाँति अन्वेषण करने के अधिकार होते है सिवाय अभियुक्त को बिना वारन्ट गिफ्तार करने के।

4- यदि ऐसे मामलें में एक मामला संज्ञेय हो तो पूरा मामला संज्ञेय समझा जायेगा।

पुलिस रेग्यूलेशन के पैरा 102 के अनुसार जब असंज्ञेय अपराध की रिपोर्ट दर्ज की जाती है तो रिपोर्ट का महत्वपूर्ण भाग असंज्ञेय अपराध रिपोर्ट चिक रसीद पुस्तिका (पु0प्रा0सं0 347) में 02 प्रतियों में

लिखा जायेगा दोनों में से प्रत्येक पर सूचना देने वाले के हस्ताक्षर कराये जायेगे तथा ऐसी रिपोर्ट का सार थाने की जी0डी0 में दर्ज किया जायेगा।

<u>समन एवं वारंट तामील करने कर विधि</u>– किसी व्यक्ति को न्यायालय मे हाजिर होने के लिये क्रमशः निम्न तरीका अपनाया जाता है–

1. समन द्वारा

2. वारंट द्वारा

3. संबन्धित व्यक्ति के संबन्ध में उद्घोषणा जारी करके तथा उस व्यक्ति की सम्पत्ति की कुर्की करके

समन– समन न्यायालय का ऐसा आदेश होता है, जो किसी व्यक्ति को निश्चित तिथि, समय एवं स्थान पर न्यायालय मे उपस्थित होने के लिये दिया जाता है, यह आदेशिका का सरलतम रूप है।

समन की तामील कैसे की जाती है– धारा 61 द0प्र0सं0 में समन के प्रारूप में बताया गया है तथा धारा 62, 64 एवं 65, 66 में तामील करने की विधि बतायी गयी है–

/ाारा 62–समन की व्यक्तिगत तामीलः–इस प्रकार की तामील को आम बोल–चाल में समन की जाती तामील करना भी कहते है। सम्बन्धित व्यक्ति को न्यायालय द्वारा प्रेषित समन की दो प्रतियों में से एक प्राप्त कराई जाती है तथा दूसरी पर उसकी प्राप्ति के हस्ताक्षर कराकर पुलिस अधिकारी अपनी आख्या के साथ न्यायालय भेज देता है।

धारा 64–समन कर विकसित तामीलः–इसे आम बोल–चाल में समन की 'किस्म दोयम' तामील भी कहा जाता है। जब समन दिया गया व्यक्ति सम्यक् तत्परता बरतने पर भी न मिले तो समन की एक प्रति उसके परिवार के वयस्क पुरूष सदस्य को देकर दूसरी प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर कराकर पुलिस अधिकारी अपनी आख्या के साथ न्यायालय भेज देता है।

धारा 65–समन को चश्पा करके& जब उपरोक्त दोनो प्रकार से तामील सम्यक् तत्परता के बाद भी न हो सके तो समन की दो प्रतियों में से एक प्रति उस मकान के मुख्य द्वार या दरवाजे पर चिपकाकर (चश्पा करके) जहां वह व्यक्ति निवास करता है तामील की जायेगी।

धारा 66–सरकारी सेवक पर तामीलः–जहां समन किया व्यक्ति सरकारी सेवा मे है, वहां न्यायालय आमतौर पर समन दो प्रतियों में उस कार्यालय के प्रधान को भेजेगा, जो धारा 62 के अनुसार समन की तामील करायेगा।

वारंट की तामील& वारन्ट किसी व्यक्ति को न्यायालय में निश्चित तिथि, समय एवं स्थान पर गिरफ्तार कर पेश करने के लिये न्यायालय का आदेश होता है। यह आदेशिका का समन की अपेक्षा अधिक कठोर रूप होता है। वारन्ट के बारे में द0प्र0सं0 की धारा 70 से 81 में प्राविधान है।

धारा 70 में वारंट के प्रारूप एवं अवधि के बारे में बताया गया है।

धारा 71–जमानतीय वारन्टः– न्यायालय दो प्रकार से वारन्ट जारी करता हैः–

1. जमानतीय वारंट& इस प्रकार के वारन्ट में यह निर्देश होता है कि यदि संबन्धित व्यक्ति पुलिस अधिकारी को वारंट पर उल्लिखित धनराशि का बन्ध पत्र एवं जमानत दे देता है, तो वह गिरफ्तार करने पर छोड़ दिया जायेगा।

2- vtekurh; okjaV& इस प्रकार के वारंट के अधीन अभियुक्त को गिरफ्तार करने पर छोड़ने का कोई विकल्प नही होता, गिरफ्तार व्यक्ति को हर हालत में न्यायालय के समक्ष पेश करना होता है (धारा 76)

धारा 72–वारंट किसको निर्दिष्ट होंगे– सामान्य तथा वारन्ट पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट होता है, परन्तु पुलिस अधिकारी उपलब्ध न हो तथा वारंट की तुरन्त तामील आवश्यक हो तो यह किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट हो सकता है।

धारा 73– अन्वेषण के दौरान वारंट के संबन्ध में–पुलिस अधिकारी अन्वेषण के दौरान जो वारंट न्यायालय से प्राप्त करता है,वह इसी धारा के प्राविधान के अर्न्तगत है।

धारा 74– पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट– किसी पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट की तामील ऐसा अधिकारी अपनी अधीनस्थ पुलिस अधिकारी से पृष्ठांकन करके करा सकता है।

धारा 75– वारंट के सार के सूचना

धारा 76– गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अन्दर वारंट जारी करने वाले न्यायालय के समक्ष पेश करना।

धारा 77– किसी वारन्ट की तामील के अनुपालन में ऐसे व्यक्ति को भारत में कहीं भी गिरफ्तार किया जा सकता है।

धारा 79– अधिकारिता से बाहर वारन्ट की तामील

उपहति (Hurt)

उपहति की परिभाषा- धारा 319:- जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग, अंग शैथिल्य कारित करता हैं, वह उपहति करता है, यह कहा जाता हैं।

टिप्पणी- शरीर के दर्द को भी उपहति में शामिल किया गया है। किसी स्त्री को उसके बाल पकड़कर खीचनें को उपहति का अपराध माना गया है किसी के शरीर में रोग कारित करना उपहति माना गया हैं। अंग शैथिल्य से तात्पर्य मानव शरीर के किसी अंग द्वारा अपने सामान्य कार्य को करने में असमर्थ हो जाना है। यह आवश्यक नही कि ऐसा स्थाई रूप से हो।

<u>परिभाषा घोर उपहति धारा 320:-</u> उपहति की निम्न किस्में घोर उपहति कहलाती हैं-

पहला:- पुंसत्वहरण

पुंसत्वहरण का अर्थ है किसी पुरूष का उसकी पुरूषत्व शक्ति से वंचित करना। पुंसत्वहरण को गम्भीर उपहति माने जाने के पीछे यह आशय था कि स्त्रियां पुरूषों के अण्डकोषों को न भीचें।

दूसरा:- दोनों में से किसी भी नेत्र की दृष्टि का स्थाई विच्छेद।

तीसरा:- दोनों में से किसी भी कान की श्रवणशक्ति का स्थाई विच्छेद

चौथा:- किसी भी अंग या जोड़ का विच्छेद

पांचवा:- किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश या स्थाई ह्रास

छठा:- सिर या चेहरे का स्थाई विद्रूपीकरण (Disfiguration)

विद्रूपीकरण का अर्थ है किसी आदमी को ऐसी उपहतिकारित करना जो उसके रूप को बिगाड देती है चेहरे को स्थायी रूप से बिगाडना घोर उपहति है जैसे- किसी आदमी की नाक,कान या होंठ को काट लेना। जहां एक लडकी के गाल लोहे की लाल गरम छड़ से दाग दिये गये थे, जिनसे उन पर स्थायी रूप से दाग पड गये थे, घोर उपहति माना गया। चेहरे पर तेजाब ज्यादा मात्रा में डाला गया,जिससे चेहरा रूथायी रूप से बिगड़ गया,घोर उपहति माना गया।

सातवा:- हड्डी या दॉत का भंग या विसंधान (Fracture or Dislocation)

हड्डी का कट जाना,टुकडे होकर टूट जाना या उसमें कोई दरार का पड़ जाना अस्थिभंग माना जायेगा।

आठवा:- कोई उपहति, जो जीवन को संकटापत्र करती है या जिसके कारण चुटहल व्यक्ति बीस दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है या अपने मामूली काम-काज को करने के लिए असमर्थ रहता है।

बीस दिन की समयावधि शारीरिक पीड़ा या अपनें मामूली कामकाज को करने में असमर्थ रहने के लिये निर्धारित की गयी है। ऐसी उपहति जो जीवन को संकटापन्न करती है, उसकी कोई समय सीमा निर्धारित नही है।

उपहति के दण्ड

धारा 323-जो कोई स्वेच्छया उपहति कारित करेगा

अधिकतम- एक वर्ष तक का कारावास

साधारण हथियार से साधारण चोट

धारा 324–जो कोई असन,वेधन या काटने के किसी उपकरण द्वारा या किसी ऐसे उपकरण द्वारा जो यदि आक्रामक आयुध के तौर पर उपयोग में लाया जाय,तो उसे मृत्युकारित होना संभाव्य है, या अग्नि या किसी तप्त पदार्थ द्वारा,या किसी बिष या संक्षारक पदार्थ द्वारा या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा या किसी ऐसे पदार्थ द्वारा जिसका श्वाँस में जाना या निगलना या रक्त में पहुँचना मानव शरीर के लिये हानिकारक है, या किसी जीव जन्तु द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करेगा।

अधिकतम- तीन वर्ष तक का कारावास

खतरनाक हथियार से साधारण चोट

टिप्पणी–धारा 323 साधारण हथियार अथवा कार्यो से साधारण चोट का पहुँचाना है।जबकि धारा 324 का अपराध तब बनता है जब साधारण चोट पहुँचाने में किसी व्यक्ति द्वारा खतरनाक हथियारों या खतरनाक पदार्थो या जीव जन्तु का उपयोग किया जाता है। बन्दूक, पिस्टल, तलवार,चाकू आदि खतरनाक हथियार है। लाठी साधारण हथियार है। तेजाब, खौलता हुआ पानी या तेल लाल गरम लोहे की छड़ खतरनाक पदार्थ है।

धारा 325- जो कोई स्वेच्छया घोर उपहति कारित करेगा-

अधिकतम- सात वर्ष तक का कारावास

साधारण हथियार से गंभीर चोट

धारा 326–जो कोई असन,वेधन या काटने के किसी उपकरण द्वारा या किसी ऐसे उपकरण द्वारा जो यदि आक्रामक आयुध के तौर पर उपयोग में लाया जाय,तो उसे मृत्युकारित होना संभाव्य है, या अग्नि या किसी तप्त पदार्थ द्वारा,या किसी बिष या संक्षारक पदार्थ द्वारा या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा या किसी ऐसे पदार्थ द्वारा जिसका श्वाँस में जाना या निगलना या रक्त में पहुँचना मानव शरीर के लिये हानिकारक है, या किसी जीव जन्तु द्वारा स्वेच्छया घोर उपहति कारित करेगा।

अधिकतम- आजीवन कारावास तक

खतरनाक हथियारों से गंभीर चोट

टिप्पणी–साधारण कार्यो या साधारण हथियारों से गंभीर चोट पहुँचाने पर धारा 325 लागू होगी जबकि खतरनाक हथियारों या खतरनाक पदार्थो के द्वारा गंभीर चोट पहुँचाने पर धारा 326 लागू होगी। तेजाब,खतरनाक पदार्थ की श्रेणी में आता है अत: जब कोई किसी लड़की के चेहरे पर तेजाब डालकर उसका चेहरा स्थायी रुप से बिगाड़ देता है तो वह धारा 326 के अधीन दण्ड का हकदार होगा। दाँत को काटने का उपकरण माना गया है। असन ;Shooting) का अर्थ बन्दूक की गोली का जाना या तीर की तरह जाना है। वेधन (stabing) के लिये हथियार का नुकीला होना आवश्यक है।

धारा 327–सम्पत्ति उद्दापित करने के लिये या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिये स्वेच्छया उपहति कारित करना

अधिकतम –10 वर्ष तक का कारावास

साधारण उपहति को कठोरतापूर्वक इस धारा के अधीन दण्डनीय बनाया गया है क्योंकि उपहति कारित करने का उद्देश्य खतरनाक होता है।

धारा 328-(जहरखुरानी)-जो कोई इस आशय से कि किसी व्यक्ति को उपहति कारित की जाय या अपराध का किया जाना सुगम हो जाय, या यह संभाव्य जानते हुये कि वह तद्द्वारा उपहति कारित करेगा, कोई बिष या जड़िमाकारी (stupefying) ,नशा करने वाली या अस्वास्थकर औषधि या अन्य चीज उस व्यक्ति को देगा या उसके द्वारा लिया जाना कारित करेगा।

अधिकतम-दस वर्ष तक का कारावास

रेल या बस में चोरी करने के आशय से किसी व्यक्ति को नशीले बिस्कुट या फल खिला देना धारा 328 के अधीन दण्डनीय अपराध है।

धारा 332-लोक सेवक को अपने लोक कर्तव्य से निवारित या भयोपरत करने के लिये स्वेच्छया उपहति कारित करना

अधिकतम- तीन वर्ष तक का कारावास

लोक सेवक को साधारण चोट

इस धारा का उद्देश्य लोक सेवकों को अपने कर्तव्य में निर्भीकता प्रदान करने से है।

धारा 333-लोक सेवक को अपने लोक कर्तव्य से निवारित या भयोपरत करने के लिये स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना

अधिकतम- दस वर्ष तक का कारावास

लोक सेवक को गंभीर चोट

गिरफ्तारी के संबंध में विधिक स्थिति, पूछताछ की विधिया एवं मानवाधिकार

किसी व्यक्ति को दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान के अन्तर्गत निम्न व्यक्तियों द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है:-

पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी किये जाने पर निम्न प्रावधान है:-

- **धारा 41**- पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारन्ट गिरफ्तारी
- **धारा 42**- पुलिस अधिकारी द्वारा असंज्ञेय अपराध में गिरफ्तारी
- **धारा 151**- संज्ञेय अपराध की तैयारी किये जाने पर ऐसे अपराध को रोकने के लिए पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी
- **धारा 157**- अन्वेषण के दौरान गिरफ्तारी
- **धारा 170**- आरोप पत्र न्यायालय भेजने पर गिरफ्तारी
- **धारा 46**- गिरफ्तारी कैसे की जायेगी
- **धारा 48**- पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारन्ट गिरफ्तारी भारत में कही भी की जा सकती है।

धारा 43 जनता के व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी:- किसी जनता के व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी उस समय की जा सकती है जब उसकी उपस्थिति में कोई संज्ञेय एवं अजमानतीय अपराध किया जाता है या वह उद्घोषित अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है। ऐसी गिरफ्तारी पर जनता का व्यक्ति उस व्यक्ति को सम्बन्धित पुलिस अधिकारी के समझ या थानें पर ले जायेगा और ऐसे पुलिस अधिकारी के समझ ले जाने पर यदि मामला धारा 41 के अन्तर्गत आता है तो वह पुलिस अधिकारी उसे पुन: गिरफ्तार करेगें। यह प्रावधान पुलिस रेग्यूलेशन के पैरा 151 में भी किया गया है। असंज्ञेय अपराध में धारा 42 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। यदि पुलिस अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि उस व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं किया है तो उसे तत्काल छोड़ देगा।

धारा 44 मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी:- किसी कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किसी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जा सकता है जब वह व्यक्ति उसके अधिकार क्षेत्र में उसकी उपस्थिति में कोई अपराध करता है।

गिरफ्तारी के बारे में अन्य बातें-

1. धारा 50- गिरफ्तारी पर आधार एवं कारण बताये जायेगें।

2. धारा 57- गिरफ्तारी के 24 घंटे के अन्दर गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना आवश्यक होगा।

मानावधिकार:-

उच्चतम न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी के संबंध में निर्देश:-

डी0के0 बसु बनाम पश्चिमी बंगाल राज्य 1997(35) एसीसी 437 में उच्चतम न्यायालय ने गिरफ्तारी के संबंध में निम्न दिशा निर्देश जारी किये है:-

1- गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी अपनी स्पष्ट पहचान दर्शित करेगा।

2- ऐसा पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी का ज्ञापन तैयार करेगा, जिस पर कम से कम एक निष्पक्ष साक्षी के एवं गिरफ्तार किये जाने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर कराये जायेगे।

3- गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के संबंध में सूचना उसके रिश्तेदार या नामित व्यक्ति को दी जायेगी।

4- जिले से बाहर का निवासी होने की स्थिति में गिरफ्तारी के आठ से बारह घन्टें के अन्दर विधिक सहायता संगठन या सम्बन्धित थाने के माध्यम से उसके मित्र या रिश्तेदार को सूचना दी जायेगी।

5- गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को उसके इस अधिकार के बारें में जानकारी दी जायेगी।

6- गिरफ्तारी के संबंध में सूचना किसे दी गई इसकी प्रविष्टि थानें की डायरी में की जायेगी।

7- गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा अनुरोध करने पर उसके शरीर की परीक्षा कर एक ज्ञापन तैयार किया जायेगा, जिस पर पुलिस अधिकारी एवं गिरफ्तार व्यक्ति के हस्ताक्षर होगें।

8- हर 48 घन्टें पर गिरफ्तार व्यक्ति का चिकित्सकों के पैनल द्वारा मैडिकल परीक्षण किया जायेगा।

9- मैमों (ज्ञापन) सहित सभी दस्तावेजों की प्रतियॉ मजिस्ट्रेट के समझ प्रस्तुत की जायेगी।

10- गिरफ्तार व्यक्ति को पूछताछ के दौरान अधिवक्ता से मिलने की अनुमति दी जायेगी यद्यपि यह सम्पूर्ण पूछताछ के दौरान नही होगी।

11- सभी जनपद मुख्यालयों पर नियंत्रण कक्ष पर गिरफ्तारी के संबंध में विवरण सूचना पट्टिका पर दर्शित किया जायेगा।

उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्देशित किया कि उक्त निर्देशों का अनुपालन न करने पर सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी एवं वह न्यायालय की अवमानना का भी दोषी होगा।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने जोगेन्द्र कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एआईआर 1994 एससी 1359 में निर्देशित किया है कि हर मामले में गिरफ्तारी नही की जानी चाहिए। गिरफ्तारी का कोई युक्त-युक्त औचित्य होना चाहिए कि गिरफ्तारी आवश्यक और न्यायानुमति थी जघन्य अपराधों को छोड़कर गिरफ्तारी से बचना चाहिए।

किसी पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी एवं पूछताछ के दौरान किसी व्यक्ति से हिंसा एवं बल प्रयोग की अनुमति कोई कानून नहीं देता। इस संबंध में निम्न विधिक प्राविधानों का उल्लेख किया जाना समीचीन होगा।

1- धारा 160 द0प्र0सं0

2- धारा 161(2) द0प्र0सं0 के अर्न्तगत निर्देश।

3- संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अर्न्तगत निर्देश

4- धारा 162 द0प्र0सं0

5- धारा 163 द0प्र0सं0

6- भा0साक्ष्य अधि0 की धारा 24, 25, 26

7- भा0द0सं0 की धारा 330 एवं धारा 331

8- पुलिस अधिनियम की धारा 29

प्रत्येक पुलिस अधिकारी को किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी करते समय सम्वेदनशीलता का परिचय दिया जाना चाहिए।

<u>महिलाओं एवं किशोरों की गिरफ्तारी के सबंध में</u>-

1. महिलाओं की गिरफ्तारी करते समय उनकी शालीनता एवं शिष्टता का पूर्णत: ध्यान रखना चाहिए। इस संबंध में निर्देश द0प्र0सं0 की धारा 46 एवं 51 में दिये गये है।

2. किशोरों की गिरफ्तारी के सबंध में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख) अधिनियम 2000 के प्राविधान के अर्न्तगत कार्यवाही की जायेगी।

संस्वीकृति

किसी अपराध के आरोप को स्वीकार करना संस्वीकृति कहलाता है।

संस्वीकृति दो प्रकार की होती है

1. न्यायिक (न्यायालय में)

2. न्यायिकेतर(न्यायालय के बाहर)

कानून की अपेक्षा है कि संस्वीकृति स्वेच्छयापूर्वक होनी चाहिए। इसलिये धारा 24 बनाई गई।

धारा–24, के तत्व

अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति आपराधिक कार्यवाही में विसंगत (अमान्य) है यदि वह:-

1. उत्प्रेरणा (प्रलोभन),धमकी या वचन के द्वारा

2. किसी आरोप के बारे में

3. प्राधिकारवान व्यक्ति ने

4. दुनियावी (भौतिक) फायदा या हानि से बचने के लिये) के लिये की गई हो।

किन्तु प्रलोभन/धमकी/वचन का प्रभाव हट जाने पर धारा 28 में ऐसी संस्वीकृति सुसंगत(मान्य) होगी।

धारा–25, पुलिस अधिकारी से की गई ''संस्वीकृति'' किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित नही की जायेगी।

1. पुलिस अधिकारी का तात्पर्य-ऐसे किसी व्यक्ति से है जिसे पुलिस के कार्य, अधिकार मिले हों।

2. ऐसी संस्वीकृति चाहे अन्वेषण से पूर्व या पश्चात हो। जिस समय संस्वीकृति न्यायालय में सिद्ध की जा रही हो उस समय अभियुक्त होना चाहिए।

(यू0पी0 बनाम देवमणि) ।.I.R 1960 S.C 1125

केवल संस्वीकृति अपवर्जित है।

अर्थात किसी पुलिस अधिकारी के सामने किसी अभियुक्त द्वारा दिया गया बयान पूरा अपवर्जित नही होता। केवल बयान का वह भाग जो अपराध में अभियुक्त को संलिप्त(फँसाये) करें।

(नागभल्ला बनाम एम्परर)36IC 480

धारा 26– पुलिस की अभिरक्षा में होते हुये अभियुक्त द्वारा की गयी संस्वीकृति को उसके विरूद्ध साबित नही किया जा सकता। जब तक की मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में मजिस्ट्रेट से न की गयी हो।

पुलिस हिरासत का तात्पर्य- पुलिस हिरासत या अभिरक्षा का महत्वपूर्ण लक्षण है कि अभियुक्त किसी स्थान से चलने फिरने के लिये स्वतन्त्र था या नही? यदि नही तो अभियुक्त पुलिस की अभिरक्षा में कहा जायेगा।

धारा 27–

1. पुलिस अभिरक्षा में किसी अपराध के अभियुक्त द्वारा दी गयी सूचना या बयान के फलस्वरूप किसी तथ्य का चला था (Discovered)

2. तब ऐसी सुचना या बयान में से

3. उतना जितना तदद्वारा पता चले हुए तथ्य से स्पष्टतया सम्बन्धित है, साबित की जा सकती है।

जैसे- हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी के बाद कह विवेचक से अपने जुर्म को इकबाल करते हुये बताया कि उसने मृतक की हत्या चाकू से की तथा हत्या के बाद चाकू तालाब में गाड़ दिया।

विवेचक उस अभियुक्त को विशेष तालाब पर कुछ स्वतन्त्र गवाहों के साथ ले जाता है एवं अभिुक्त के बताने पर उसी विशेष स्थान पर चाकू बरामद होता है जहॉ अभियुक्त ने बताया था।

उपरोक्त अभिुक्त के बयान का भाग ''मैने चाकू से हत्या की है'' संस्वीकृति पुलिस अभिरक्षा में पुलिस अधिकारी को किये जानें कारण विसंगत(अमान्य)है, तथा अभियुक्त द्वारा दी गयी सूचना के परिणामस्वरूप किसी तथ्य का पता चलता है (यहां चाकू)न्यायालय में सुसंगत(मान्य)है।

मृत्युकालीन कथन

मृत्यु से पूर्व कोई भी व्यक्ति झूठ बोलकर भगवान से मिलने नही जाता इस सर्वमान्य धारणा पर मृत्युकालीन कथन अवधारित है।

मृत्युकालीन कथन धारा 32(1) भारतीय साक्ष्य अधिनियममें सुसंगत है यदि:-

1.वह कथन जो मृत्यु के कारण के सम्बन्ध में किया हो,उन परिस्थितियों के विषय में किया हो जिनमें उनकी मृत्यु हुई हो,

2.और उसकी मृत्यु का कारण प्रश्नगत हो

3.भले ही कथन करते समय, कथन करने वाले को अपनी मृत्यु की प्रतिशंका (Anticipation) नही हो

कथन- मौखिक,लिखित, हावभाव, किसी भी तरह से हो सकता है।

''मृत्यु का तात्पर्य'' केवल मानववध ही नही है बल्कि आत्महत्या भी शामिल है

मृत्युकालीन कथन कौन लिख सकता है?

1. कोई भी व्यक्ति मृत्युकालीन बयान लिख सकता है। अर्थात मृतक स्वयं (सुसाइड नोट) या कोई भी जनता का/सरकारी व्यक्ति ऐसा बयान लिख सकता है। जैसे- पुलिस, पब्लिक, मजिस्ट्रेट, डाक्टर।

जहॉ तक संभव हो तो मृत्युकालीन कथन को प्रश्नोत्तर करके लिखना चाहिये एवं कथन करने वाले के शब्दों को हूबहू अंकित करना उचित है।जिससे वह विश्वसनीय माना जा सके।

मृत्युकालीन कथन अंकित करते समय निम्न अपेक्षित बातों का ध्यान देना चाहिये-

1. किसी व्यक्ति के पढाने, सिखाने या उकसाने के फलस्वरूप न दिया गया हो।

पुलिस अधिकारी को यह उचित होगा कि बयान लिखते समय इस बात का ध्यान रखें।

2. मृतक कथन करने के लिये मन (Mind) की ठीक दशा में था तथा कथन बिना किसी दुश्मनी के किया हो।

3. कथन अंकित करने के बाद कथन करने वाले के हस्ताक्षर व निशानी अंगूठा स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष लगवाना चाहिये एवं उसे पढकर सुनाना चाहिये।

वे मामले जिसमे 'मृत्युकालीन कथन' मृतक ने स्वयं लिखा हो-

1. सुसाइड नोट जो मृत्यु के कारणों पर सीधा व निकट संबंध रखे

2. मृत्यु से पूर्व लिखे गये पत्र जो मृत्यु के कारण पर सीधा प्रकाश डालते है एवं मृत्यु से ठीक पूर्व लिखे गये हो।

दलवीर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2004(2)जे0आई0सी0पेज376 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने मृतका द्वारा लिखे गये पत्र जिनमें ससुराल के लोगो द्वारा दहेज की मांग के कारण लगातार उत्पीड़न करने की बातों का जिक्र किया गया था को धारा 32 (1) साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत मृत्युकालीन कथन माना है।

उत्तर प्रदेश गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1970

(UP Control of Goondas Act, 1970)

धारा–1, इसका प्रसार सम्पूर्ण उ0प्र0 में होगा।

धारा–2, परिभाषायें

क. जिला मजिस्ट्रेट– जिला मजिस्ट्रेट के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कोई अपर जिला मजिस्ट्रेट भी होगा

अधिसूचना सं0 1528/6–पु0–9–30(2)(1)/83 दिनॉक 4 जुलाई 1991 के द्वारा राज्यपाल महोदय समस्त अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन तथा वित्त राजस्व)को क्रमशः अपनी अपनी तैनाती के जिले की सीमा के भीतर उक्त अधिनियम के अधीन जिला मजिस्ट्रेट की समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये शक्ति प्रदान करते हैं।

ख. गुण्डा–गुण्डा का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है–

1. जो स्वयं या किसी गिरोह के सदस्य या सरगना के रुप में भा0द0सं0 की धारा 153 या धारा 153–ख, या धारा 294 या उक्त संहिता के अध्याय 16,17,22 के अधीन दंडनीय अपराध को अभ्यस्तः करता है या करने का प्रयास करता है या करने के लिये दुष्प्रेरित करता है या

2. जो स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम 1956 के अधीन दंडनीय अपराध के लिये न्यायालय से सिद्धदोष हो चुका है।

3. जो उ0प्र0 आबकारी अधिनियम 1910 या सार्वजनिक जुआ अधिनियम या आयुध अधिनियम 1959 की धारा 25,27,या धारा 29 के अधीन दंडनीय अपराध के लिये कम से कम तीन बार दंडित हो चुका हो।

4. जिसकी सामान्य ख्याति दुस्साहसिक और समाज के लिये एक खतरनाक व्यक्ति की है या

5. जो अभ्यस्तः महिलाओं या लड़कियों को चिढाने के लिये अश्लील टिप्पणियॉ करता हो।

6. जो दलाल हो– इसके अन्तर्गत वे व्यक्ति आयेगें जो अपने लिये या दूसरों के लिये लाभ प्राप्त करते हों, प्राप्त करने के लिये सहमत होते हो या प्रयास करते हों जिससे वह किसी लोक सेवक को या सरकार, विधान मंडल, संसद के किसी सदस्य को किसी पक्षपात के द्वारा कोई कार्य करने या न करने के लिये प्रेरित करते हों।

7. जो मकानों पर अवैध कब्जा करते हैं।

स्पष्टीकरण–''मकानों पर कब्जा करने वाले से'' तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो नाजायज/बिना अधिकार कब्जा ग्रहण करता है या ग्रहण करने का प्रयास करता है या करने के लिये सहायता करता है या दुष्प्रेरित करता है या वैध रुप से प्रवेश करके भूमि, बाग, गैरेजो को शामिल करके भवन या भवन से संलग्न बाहरी गृहों के कब्जा में अवैध रुप से बना रहता है।

धारा–3, गुण्डों का निष्कासन आदि– यदि जिला मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति गुण्डा है और जनपद में या उसके किसी भाग में उसकी गतिविधियॉ या कार्य व्यक्तियों की जान या उनकी सम्पत्ति के लिये संत्रास,संकट अथवा नुक्सान उत्पन्न कर रही है या यह विश्वास करने का आधार है कि वह जनपद में या उसके किसी भाग में धारा–2, में वर्णित खण्ड–ख, के उपखण्ड–1 से 3 तक वर्णित अपराधों में लगा हुआ है अथवा उसके लगने की संभावना है और गवाह उसके डर

के मारे उसके विरुद्ध गवाही देने के लिये तैयार नही है तो जिला मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को एक लिखित नोटिस के द्वारा उसके विरुद्ध लगाये आरोपों से सूचित करेगें और उसे अपना उत्तर देने के लिये अवसर प्रदान करेगें।

2. जिस व्यक्ति को नोटिस जारी किया गया है उसको किसी अधिवक्ता के द्वारा अपनी प्रतिरक्षा करने का अधिकार है और यदि वह चाहता है तो उसको व्यक्तिगत रुप से सुने जाने का भी अवसर दिया जायेगा और वह अपनी प्रतिरक्षा में गवाह भी पेश कर सकता है।

3. यदि जिला मजि0 का यह समाधान हो जाता है कि उस व्यक्ति की गतिविधियाँ धारा-3 की उपधारा-1, के अन्तर्गत आती हैं तो वह उस व्यक्ति को अपने जनपद के किसी क्षेत्र से या जनपद से 6 माह तक के लिये निष्कासन का आदेश कर सकता है। इसके अतिरिक्त वह यह भी आदेश कर सकते हैं कि वह आदेश में निर्दिष्ट प्राधिकारी या व्यक्ति को अपनी गतिविधियों की सूचना देने अथवा उसके समक्ष उपस्थित होने अथवा उक्त दोनों कार्य करने की अपेक्षा कर सकते है।

धारा-4, निष्कासन के पश्चात अस्थाई रुप से वापिस आने की अनुमति-जिला मजि0 किसी गुण्डे के निष्कासन के बाद उसे अस्थाई रुप से उस क्षेत्र में आने की अनुमति दे सकते है जहाँ से वह निष्कासित किया गया था।

धारा-5, आदेश की अवधि में बढोत्तरी-जिला मजि0 धारा 3 के अधीन दिये गये आदेश में निर्दिष्ट अवधि को,सामन्य जनता के हित में समय-समय पर बढा सकतें है,किन्तु इस प्रकार बढायी गयी अवधि किसी भी दशा में **कुल मिलाकर दो वर्ष से अधिक न** होगी।

धारा-6 , अपील- धारा 3 या 4 या 5 के अधीन दिये गये किसी आदेश से क्षुब्ध व्यक्ति ऐसे आदेश के दिनांक से 15 दिन के भीतर आयुक्त के पास अपील कर सकता है। आयुक्त अपील का निस्तारण होने तक आदेश के प्रवर्तन को स्थगित कर सकते है।

धारा-10, धारा 3 से 6 के अधीन दिये गये आदेशों का उल्लंघन करने पर दडं - यदि कोई गुडां धारा 3,4,5,6 के अधीन दिये गये आदेशों का उल्लंघन करे तो न्यूनतम 6 माह से जो 3 वर्ष तक का हो सकता है के कठिन कारावास से और जुर्माने से दंडित किया जायेगा।

धारा-11, निष्कासित गुंडे द्वारा अरदेशों का उल्लंघन करते हुये पुन: प्रवेश आदि पर उसका बल प्रयोग द्वारा हटाया जाना-

1. जिला मजिस्ट्रेट उसे गिरफतार करा सकता है और पुलिस की अभिरक्षा में उक्त आदेश में निर्दिष्ट क्षेत्र के बाहर किसी ऐसे स्थान के लिये,जैसा वह निर्देश दे हटवा सकता है।

2.कोई पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति को बिना वारंट गिरफतार कर तुरन्त निकटतम मजिस्ट्रेट के पास अग्रसारित करेगा,जो उसे जिला मजिस्ट्रेट के पास अग्रसारित करायेगा जो पुलिस अभिरक्षा में उसे हटवा सकेगा।

3. इस धारा के उपबन्ध **धारा 10 के उपबन्धों के अतिरिक्त है** और धारा 10 के प्रभाव को कम नही करते।

लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम–1984

धारा 2:– परिभाषा:–

क:– रिष्टि:– जो कोई इस आशय से या जानते हुए कि वह लोक सम्पत्ति (जनता/सार्वजनिक) को सदोष हानि या नुकसान पहुँचाता है, जिससे उस सम्पत्ति के मूल्य/उपयोगिता नष्ट/कम हो जाती हैं।

(ख) लोक सम्पत्ति:– केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय, कम्पनी अधिनियम एवं केन्द्र सरकार के उपक्रम की समस्त चल व अंचल सम्पत्ति एवं केन्द्र व राज्य के निगम की सम्पत्ति।

धारा 3:– लोक सम्पत्ति को नुकसान कारित करने वाली क्षति:–

1.उपधारा 2 में दी गई लोक सम्पत्ति के सिवाय जो कोई किसी कार्य को करके लोक सम्पत्ति को रिष्टि कारित करता है वह ऐसी अवधि के कारावास से जो 5 वर्ष तक की हो सकती है और जुर्माने से दंडित किया जायेगा।

उपधारा–2,जो कोई निम्न प्रकार की किसी लोक सम्पत्ति को ,किसी कार्य को करके रिष्टि कारित करता है–

क. जल,प्रकाश,बिजली अथवा उर्जा के उत्पादन, वितरण या आपूर्ति के संबंध में प्रयुक्त कोई भवन, प्रतिष्ठान या अन्य सम्पत्ति

ख. कोई तेल प्रतिष्ठान

ग. कोई मल संकर्म (Sewage works)

घ.कोई खान या कारखाना

ड़ लोक परिवहन (Public Transport) रेल, बस, दूरसंचार का कोई साधन अथवा उनसे संबंधित कोई भवन, प्रतिष्ठान या अन्य सम्पत्ति

न्यूनतम –6 माह किन्तु 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना

न्यायालय अपने निर्णय में कारण लेखबद्ध करते हुये 6 माह से कम अवधि के कारावास का दण्डादेश भी दे सकेगा।

संज्ञेय– अजमानतीय प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय

धारा–4, अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा लोक सम्पत्ति को नुक्सान करने वाली रिष्टि–जो कोई धारा 3 की उपधारा–1 या उपधारा–2 के अधीन का अपराध अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा कारित करता है तो न्यूनतम एक वर्ष से 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जायेगा।

न्यायालय अपने निर्णय में कारण लेखबद्ध करते हुये एक वर्ष से कम अवधि के कारावास का दण्डादेश भी दे सकेगा। (सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय)

धारा–5, जमानत के बारे में विशेष उपबन्ध

अभियुक्त या सिद्धदोष व्यक्ति को बिना अभियोजक को सुने जमानत पर नही दोड़ा जायेगा।

धारा–6,व्यावृत्ति– इस अधिनियम के उपबन्ध मौजूदा किसी अन्य विधि के **अतिरिक्त** होगें न कि उसके अल्पीकरण के रुप में।

इस अधिनियम के अपराध दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार संज्ञेय/ अजमानतीय आदि होगें।

विस्फोटक अधिनियम–1884

उद्देश्यः– विस्फोटकों के विनिर्माण, कब्जे, प्रयोग, विक्रय, परिवहन आयात और निर्यात को विनियमित करने के लिए अधिनिमय।

धारा 1ः– नाम

धारा 2– इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।

धारा 4ः– परिभाषाएंः– विस्फोटकः– विस्फोटक से अभिप्रेत है बारूद, नाइट्रोगिलिसरीन, गनकाटन, डाईनाइट्रो–टोल्यून, ट्राई नाइट्रो–टोल्यून, एसिड–डाईट्र फिलान, टाई–नाइटो रिसासिनाल, साइक्लोटाई मैथिलिन, टाई नाइटामाइन, पेन्टाएरिथ्रीटाल्टेटाई नाईटेट, लेड, एजाइड, लेडस्टाफाइनेट, पारे या अन्य धातू का फल्मिनेट, रंगीन आतिश या अन्य पदार्थ चाहे वह एक रसायन हो या पदार्थो का मिश्रण हो, चाहे व ठोस या तरल या गैसीय हो, जिसका प्रयोग या विनिर्माण विस्फोट द्वारा व्यवहारिक प्रभाव उत्पन्न करना या आतिशबाजी करना हो और कोहरा संकेत, आतिशबाजी, पलीते, राकेट, आघात टोपियाँ विस्फोट प्रेरक कारतूस सभी प्रकार के गोला बारूद एवं परिभाषित विस्फोटक का प्रत्येक अनुकूलन या निर्मित इसके अन्तर्गत है।

(बारूद, आतिशबाजी या अन्य पदार्थ, जो अधिनियम में परिभाषित है, जिससे विस्फोट कारित हो सके)

धारा 4 कः– वायुयानः– पतंग, वैलून, ग्लाइडर, उड्यन मशीनें भी सामिल है।

धारा 4 खः– गाडी– भूमि पर माल या यात्रियों को ले जाने वाला कोई साधन चाहे व किसी भी प्रकार से चलाया जाय।

धारा 4 ग– जिला मजिस्ट्रेट– के अन्तर्गत पुलिस आयुक्त (जहॉं पुलिस आयुक्त नियुक्त हो और तथा राज्य सरकार द्वारा इस हेतु निमित्त विनिर्दिष्ट पुलिस उपायुक्त, तथा कोई अपर जिला मजिस्ट्रेट भी है)

धारा 4 जः– विनिर्माण– के अन्तर्गत किसी विस्फोटक के संबंध में निम्न प्रक्रिया भी है–

1– विस्फोटक को उसक संघटक भागों में विभाजित करने अथवा टोड़ने अथवा विघटित करने अथवा किसी खराब विस्फोटक को प्रयोग के योग्य बनाना है।

2– विस्फोटक को फिर से बनाना उसमें परिवर्तन करना और उसकी मरम्मत करना है।

धारा 5ः– विस्फोटकों के विनिर्माण, कब्जे, प्रयोग, विक्रय, परिवहन और आयात–निर्यात का लाइसेन्स देने के बारे में नियम बनाने की शक्तिः–

केन्द्रीय सरकार भारत के किसी भाग के लिए विस्फोटकों या विस्फोटकों के किसी विनिर्दिष्ट वर्ग का निर्माण, कब्जा, प्रयोग, विक्रय परिवहन, आयात–निर्यात हेतु लाइसेन्स आदि के लिए नियम बना सकेगी।

केन्द्र सरकार अन्य विषयों के अलावा अन्य नियम जैसे वह प्राधिकारी, जिसके द्वारा अनुज्ञप्ति दी जा सकेगी, फीस और अन्य राशियॉं, आवेदन किये जाने का तरीका, तथा वह शर्तें जिन पर लाइसेन्स दिया जायेगा, कालावधि, अपील प्राधिकारी, अपील संबंधी प्रक्रिया, विस्फोटकों की कुल मात्रा, जिसे लाइसेन्सी एक नियम अवधि में क्रय कर सकता है आदि के नियम भी बना सकेगी

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की महत्वपूर्ण धाराएं (नं0 49/1988)

धारा 01:- जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर लागू।

धारा 02:- परिभाषा:-

(ब):- **लोक कर्तव्य:-** से आशय है कोई ऐसा कर्तव्य, जिसके निर्वहन में राज्य जनता या समाज को रूचि है।

(स):- **लोक सेवक:-** से आशय है:- (1) कोई व्यक्ति, जो किसी लोक कर्तव्य के निर्वहन हेतु सरकार की सेवा में हो या वेतनाधीन हो अथवा उसे इसके लिए कोई फीस, कमीशन या पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है।

(2) कोई व्यक्ति, जो किसी स्थानीय प्राधिकरण की सेवा में हो या वेतनाधीन हो।

(3) कोई व्यक्ति, जो किसी केन्द्रीय, प्रान्तीय या राज्य की किसी विधि द्वारा गठित किसी निगम, प्राधिकरण या निकाय में कार्यरत है, जिसे सरकार द्वारा सहायता प्राप्त है या उसके नियन्त्राधीन है या कोई शासकीय कम्पनी जैसा की कम्पनी अधिनियम 1956 धारा 617 में परिभाषित है।

(4) कोई न्यायाधीश, या विधि द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, जिसे स्वयं या किसी समूह के सदस्य के नाते न्याय-निर्णयन का कार्य करना हो।

(5) कोई व्यक्ति, जिसे न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा किसी कर्तव्य निर्वहन हेतु अधिकृत किया गया हो एवं इसमें न्यायालय द्वारा नियुक्त समापक, प्रापक एवं आयुक्त भी शामिल हैं।

(6) कोई मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति, जिसे किसी न्यायालय या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई मामला विनिश्चय या रिपोर्ट के लिए दिया गया हो।

(7) निर्वाचक नामावली तैयार करने, प्रकाशित करने, बनाये रखने या पुनरीक्षित करने या निर्वाचन संचालन करने के लिए सशक्त व्यक्ति।

(8) कोई व्यक्ति, जो ऐसा पद धारण करता है, जिसके आधार पर वह किसी लोक कर्तव्य निर्वहन करने के लिए अधिकृत है।

(9) कोई व्यक्ति, जो किसी पंजीकृत सहकारी संस्था, जो कृषि के उधोग, व्यापार या बैकिंग में कार्यरत है का सचिव, अध्यक्ष या अन्य प्राधिकारी है।

(10) कोई व्यक्ति, जो किसी सेवाआयोग का चेयरमैन या सदस्य या कर्मचारी है।

(11) कोई व्यक्ति, जो किसी विश्वविद्यालय का उपकुलपति या सदस्य है या कोई अन्य अध्यापक या कर्मचारी है, जो परीक्षाओं के संचालन से सम्बन्धित हो।

(12) कोई व्यक्ति, जो किसी शैक्षणिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक या अन्य किसी ऐसी संस्था का प्राधिकारी या कर्मचारी है, जिसे केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है, या प्राप्त हो चुकी है।

स्पष्टीकरण:- (1) उपरोक्त वर्णित उपखण्डों में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति ''लोक सेवक'' है चाहे वह सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो अथवा नहीं।

(2) ''लोक सेवक'' शब्द उस व्यक्ति के संबंध में भी समझा जायेगा, जो लोक सेवक के पद को धारण किया हो, चाहे वह उस पद के धारण करने के उसके अधिकार में कैसी ही विधिक त्रुटि हो।

धारा 3:- विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार।

धारा 4:- विशेष न्यायाधीशों द्वारा विचारण के प्रकरण।

धारा 5:- विशेष न्यायाधीश के अधिकार एवं प्रकिया।

धारा 6:- संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति।

धारा 7:- लोक सेवक द्वारा अपने पदीय कार्य के संबंध में, वैध पारिश्रमिक से भिन्न परितोषण ग्रहण करना:- यदि कोई लोक सेवक होते हुए या होने की प्रत्याशा रखते हुए वैध पारिश्रमिक से भिन्न किसी प्रकार का कोई पारितोषण या इनाम किसी व्यक्ति से प्राप्त करेगा या सहमत होगा या प्रयत्न करेगा कि वह लोक सेवक अपना कोई पदीय कार्य करें या करने से विरत रहे तो वह इस धारा के अन्तर्गत दण्डिनीय अपराध का दोषी है।

दण्ड:- ऐसे कारावास से दण्डित किया जायेगा, जिसकी अवधि पॉच वर्ष तक की हो सकेगी किन्तु जो छः माह से कम नही होगा और जुर्माने से भी दण्डिनीय होगा।

धारा 8:- **लोक सेवक पर भ्रष्ट या अवैध साधनों द्वारा असर डालने के लिए परितोषण का लेना:**- यह धारा उन व्यक्तियों को भी सजा की परिधी में लाती है, जो लोक सेवक को भ्रष्ट तरीके से प्रभावित करके गलत कार्य कराना चाहते है। उदाहरण के लिए एक एडवोकेट का कार्य अपनी फीस लेकर अपना मुवक्किल के वाद की पैरवी करना होता है परन्तु यदि वह अपने मुवक्किल से पैसा लेकर भ्रष्ट तरीके से अपने पक्ष में निर्णय कराने के लिए जज को प्रभावित करने का प्रयास करता है तो वह न्यूनतम छः माह अधिकतम पॉच वर्ष एवं जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

धारा 9:- लोक सेवक पर व्यक्तिगत असर डालने के लिए परितोषण का लेना:- जो कोई अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी प्रकार का परितोषण किसी लोक सेवक को अपने व्यक्तिगत प्रभाव के प्रयोग द्वारा इस बात के लिए उत्प्रेरित करने हेतु प्राप्त करेगा या सहमत होगा या प्रयत्न करेगा कि वह लोक सेवक अपना पदीय कार्य करें या विरत रहे या कोई अनुग्रह दिखाये या दिखाने से विरत रहे तो वह न्यूनतम छः माह अधिकतम पॉच वर्ष एवं जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

धारा 10:- लोक सेवक द्वारा धारा 8 व 9 के अपराधों का दुष्प्रेरण का दण्ड:- जो कोई लोक सेवक होते हुए धारा 8 या 9 में परिभाषित अपराध का दुष्प्रेरण करेगा तो वह न्यूनतम छः माह अधिकतम पॉच वर्ष एवं जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

धारा 11:- लोक सेवक द्वारा बिना प्रतिफल के अथवा अपर्याप्त प्रतिफल द्वारा मूल्यवान वस्तु की प्राप्ति:- किसी लोक सेवक द्वारा अपने द्वारा की गई या की जाने वाली कार्यवाही से सम्बन्धित, किसी व्यक्ति से प्रतिफल के बिना या अपर्याप्त प्रतिफल के द्वारा किसी मूल्यवान वस्तु को प्राप्त करने पर वह इस धारा के अपराध का दोषी होगा।

अर्थात लोक सेवक किसी ऐसे व्यक्ति से मूल्यवान चीज न ले, जिसका राजकीय कार्यवाही से सम्बन्ध हो। सजा- उपरोक्त

धारा 12:- धारा 7 या धारा 11 के अपराधों का दुष्प्रेरण:- जो कोई धारा 7 या 11 के अपराध का दुष्प्रेरण करेगा भले ही उस दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप अपराध घटित हो या नही वह उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया जायेगा।

धारा 13:- लोक सेवक द्वारा अपराधिक अवचार (दुराचरण):- लोक सेवक आपराधिक अपराध का अवचार करने वाला कहा जाता है- यदि वह

(अ) स्वभावत: धारा 7 में अर्न्तविष्ट अधिकृत कार्य में वैध पारिश्रमिक से भिन्न कोई परितोषण किसी व्यक्ति से स्वीकार करता है, प्राप्त करता है या स्वीकार करने को सहमत होता है या प्राप्त करने का प्रयास करता है।

(ब) यदि वह स्वभावत: धारा 11 में वर्णित बिना प्रतिफल या अपर्याप्त प्रतिफल के मूल्यवान वस्तु को स्वीकार करता है या प्राप्त करता है या ऐसा करने का सहमत होता है या प्रयास करता है।

(स) यदि वह लोक सेवक के रूप में अपने को सौपी गई या अपने नियन्त्राधीन सम्पत्ति का बेईमानी या छल से दुर्वनियोग या अपने प्रयोग में लाता है या किसी अन्य को ऐसा करने देता है

(द) यदि वह-

- ❖ यदि वह भ्रष्ट या अवैध साधनों से अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान चीज या आर्थिक लाभ प्राप्त करता है या
- ❖ लोक सेवक के रूप में अपनी स्थिति का दुरूप्रयोग करके अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान चीज या धन सम्बन्धी लाभ प्राप्त करता है।
- ❖ ऐसे लोक सेवक के रूप में पद पर रहते हुए किसी लोक रूचि के बिना (जनहित के बिना) किसी व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान चीज या धन संबंधी लाभ प्राप्त करता है।

(य) यदि उसके या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में ऐसे धन संबंधी साधन, सम्पत्ति है, जो उसकी आय के अनुपात से अधिक है, जिसका वह संतोषप्रद रूप से हवाला नही दे सकता अथवा उसकी ज्ञात आय के श्रोतो से समानुपातिक नही है।

उपधारा 2:- आपराधिक दुराचरण करने का दोषी लोक सेवक न्यूनतम एक वर्ष व अधिकतम सात वर्ष के कारावास तथा जुर्माने से दण्डनीय होगा।

धारा 14:- धारा 8, 9 और 12 के अधीन अभ्यास्त: अपराध करना:- जो कोई अभ्यस्त: धारा 8, 9, 12 के अधीन दण्डनीय अपराध करता है- न्यूनतम दो वर्ष अधिकतम सात वर्ष तक के कारावास से एवं जुर्माने से दण्डनीय होगा।

धारा 15- प्रयास के लिए दण्ड:- जो कोई धारा 13 की उपधारा 1 के उपखण्ड स और द में वर्णित अपराध करने का प्रयास करता है वह तीन वर्ष तक के कारावास से और जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा।

धारा 17:- विवेचना के लिए अधिकृत व्यक्ति:- निम्नलिखित रैंक की पंक्ति का पुलिस अधिकारी-

अ- दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन की दशा में निरीक्षक

ब- बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, अहमदाबाद तथा अन्य किसी मैटो पौलेटिन सिटी में सहायक पुलिस आयुक्त।

स- अन्यत्र उपपुलिस अधीक्षक द्वारा विवेचना की जायेगी।

राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई पुलिस अधिकारी साधारण या विशेष आदेश द्वारा, जो पुलिस निरीक्षक के पद से नीचे का न हो वह भी इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराध का अन्वेषण तथा वारन्ट के बिना गिरफ्तारी कर सकेगा। परन्तु यह ओर भी के धारा 13 की उपधारा 1 के खण्ड ''य'' में निर्दिष्ट किसी अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी के आदेश के बिना नही किया जायेगा, जो पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो।

धारा 19:- अभियोजन के लिए पूर्व स्वीकृति का होना आवश्यक:- कोई न्यायालय धारा 7, 10, 11, 13, 15 के अधीन दण्डनीय अपराध का संज्ञान, जो लोक सेवक द्वारा किया गया है, निम्नलिखित की पूर्व स्वीकृति के बिना नही कर सकेगा-

1- केन्द्र सरकार

2- राज्य सरकार- ऐसा लोक सेवक, जो उपरोक्त सरकार द्वारा या मंजूरी से हटाया जा सकता है।

3- किसी अन्य व्यक्ति की दशा में उसे उसके पद से हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा

4- उक्त खण्ड 3 में निर्दिष्ट प्राधिकारी पूर्व मंजूरी देने में यदि असफल रहता है तो पूर्व मंजूरी (स्वीकृति) राज्य सरकार द्वारा दी जा सकेगी। उ0प्र0 संशोधन 1991

- यह शंका उत्पन्न होने पर के अपेक्षित मंजूरी केन्द्रीय या राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी में से किसके द्वारा दी जानी चाहिए वहा ऐसी मंजूरी उस सरकार या प्राधिकारी द्वारा दी जायेगी, जो लोक सेवक को अपराध किये जाने के समय उसके पद से उसे हटाने के लिए सक्षम था।

- दण्ड प्रक्रिया संहिता में किसी बात के होते हुए भी दी गई मंजूरी में किसी अनियमितता, लोप या (मंजूरी के अभाव के कारण) अथवा गलती के कारण (मंजूरी देने वाला प्राधिकारी सक्षम न हो) के कारण न्यायालय द्वारा सामान्यत: कार्यवाही नही रोकी जायेगी।

धारा 20– लोक सेवक के विरूद्ध धारणाः– धारा 7, 11, या 13 की उपधारा 1 के खण्ड अ या ब के अधीन दण्डनीय अपराधों के विचारण में लोक सेवक के विरूद्ध

धारा 12 (धारा 7 एवं 11 के अपराधों का दुष्प्रेरण) के विचारण में देने वाले अभियुक्त के विरूद्ध उपधारणा की जायेगी।

धारा 21:– अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम साक्षी होनाः– अपनी इच्छा से अपने बचाव के लिए साक्षी बन सकता है।

धारा 22 कुछ उपान्तरणों के साथ द0प्र0सं0 का प्रयुक्त होनाः–

अ– धारा 243 द0प्र0सं0 (वारन्ट मामलों में बचाव पक्ष के साक्ष्य के समय) अभियुक्त से अपेक्षा की जायेगी की वह तुरन्त अथवा न्यायालय द्वारा दिये गये समय के भीतर अपने गवाहो की ओर उन दस्तावेजों की, जिन पर निर्भर करना चाहता है एक लिखित सूची दें

ब– धारा 309 की उपधारा 2 के तीसरे परन्तुक के पश्चात निम्न परन्तुक रखा जायेगा–

परन्तु यह कि कार्यवाही को केवल इस आधार पर स्थगित नही किया जायेगा के कार्यवाही के एक पक्षकार द्वारा धारा 397 के अधीन रिवीजन किया गया है।

धारा 370 द0प्र0सं0 में किसी बात के होते हुए भी न्यायाधीश अभियुक्त या उसके प्लीडर की अनुपस्थिति में जॉच या विचारण करने के लिए अग्रसर हो सकेगा परन्तु अभियुक्त द्वारा मॉग किये जाने पर उक्त साक्षी को प्रतिपरीक्षा के लिए बुलाया जायेगा।

धारा 24– रिश्वत देने वाले का अपने कथन पर अभियोजित न होना– अधिनियम की धारा 7 से 11 अथवा धारा 13 या 15 के अधीन किसी अपराध के लिए किसी लोकसेवक के विरूद्ध किसी कार्यवाही में किसी व्यक्ति के इस कथन से कि उस लोक सेवक को वैध पारिश्रमिक से भिन्न कोई परितोषण या कोई मूल्यवान चीज देने की प्रस्थापना की थी या सहमति दी थी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध (वादी) धारा 12 के अधीन कोई अभियोजन नही हो सकेगा अर्थात वादी के विरूद्ध दुष्प्रेरक के रूप में अभियोजन नही हो सकेगा।

धारा 27– अपील एवं रिवीजन– उच्च न्यायालय के समक्ष किया जायेगा।

धारा 28– इस अधिनियम का अन्य विधियों के परिवर्धन में होना।

दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961

(1961 का 28वां अधिनियम)

धारा–1, संक्षिप्त नाम,विस्तार और प्रारम्भ– जम्मू और कश्मीर राज्य के अतिरिक्त सम्पूर्ण भारत में दिनांक 20 मई 1961 से प्रभावशील

धारा–2, दहेज की परिभाषा– इस अधिनियम में दहेज से तात्पर्य है–

क. विवाह के एकपक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के लिये या

ख. विवाह के किसी पक्ष के माता पिता या अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के दूसरे पक्ष या किसी अन्य व्यक्ति के लिये

विवाह करने के सम्बन्ध में(विवाह के समय या उसके पूर्व या पश्चात किसी भी समय)प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दी जाने वाली या दी जाने के लिये प्रतिज्ञाा की गयी किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति से है,जिन्हें शरियत लागू होती है मेहर इसके अर्न्तगत नही है।

स्पष्टीकरण– मूल्यवान प्रतिभूति का वही अर्थ है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 30 में है।

धारा–3, दहेज देने या दहेज लेने के लिये शास्ति– इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात यदि कोई व्यक्ति दहेज देगा या लेगा अथवा दहेज लेने या देने के लिये दुष्प्रेरित करेगा तो वह ऐसी अवधि के कारावास से जो 5 वर्ष से कम न हो और 15 हजार रूपये या ऐसे दहेज की मूल्य की रकम के बराबर इनमें जो भी अधिक हो ऐसे जुर्माने से दंडित किया जायेगा।

परन्तु न्यायालय ऐसी पर्याप्त और विशेष कारणों से जो निर्णय में लेखबद्ध किये जाने 5 वर्ष से कम की अवधि का कारावास का दंड दे सकेगा।

(2) उपधारा एक की कोई बात निम्न के संबन्ध में लागू नही होगी

विवाह के समय वर एवं वधू को दी गयी भेंटें(इस निमित्त कोई मांग किये गये बिना) परन्तु एंसी भेंटे इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार बनायी गयी सूची में प्रविष्ट की जायेगी।

धारा–4, दहेज मांगने के लिये शास्ति– यदि कोई व्यक्ति प्रत्यक्षत: या परोक्षत: वर या वधू के माता पिता या अन्य रिश्तेदारों या पालक से दहेज मांगता है–न्यूनतम 6 माह से 2 वर्ष तक का कारावास और 10 हजार रूपया जुर्माना से दंछनीय होगा।

धारा–4(क)–विज्ञापन पर पाबंदी– यदि कोई व्यक्ति–

क. किसी दैनिक,नियतकालिक समाचार पत्र में या अन्य किसी माध्यम से किसी विज्ञापन के द्वारा अपने पुत्र या पुत्री या अनय किसी रिश्तेदार के विवाह के उपलक्ष्य में किसी कारोबार में अंश के रूप में अन्य हित,अपनी सम्पत्ति में कोई अंश या धन, दोनों देने का प्रस्ताव करता है

ख. खंड क में निर्दिष्ट कोई विज्ञापन मुद्रित,प्रकाशित या प्रसारित करता है-न्यूनतम 6 माह अधिकतम 5 वर्ष अथवा 15 हजार रूपये से दंडनीय होगा।

पर्याप्त और विशेष कारण लेखबद्ध कर 6 माह से कम भी कर सकते है।

धारा-5, दहेज देने या लेने के लिये करार का शून्य होना- किया गया करार शून्य (व्यर्थ) होगा।

टिप्पणी- विवाह के अनुबंध स्वरूप तिलक में दी गयी राशि यदि विवाह न हो तो वापसी योग्य न होगी क्योंकि अनुबंध व्यर्थ है।

धारा-6, दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के फायदे के लिये होना- जब कोई दहेज उस स्त्री के अतिरिक्त,अन्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाये तो वह व्यक्ति उसे उस स्त्री को हस्तांतरित कर देगा-

क. यदि दहेज विवाह के पूर्व प्राप्त किया गया हो तो विवाह से 3 मास के भीतर

ख. यदि दहेज विवाह के समय या पश्चात प्राप्त हुआ हो,तो ऐसी प्राप्ति के दिनांक से 3 मास के भीतर या

ग. यदि स्त्री अवयस्क हो तो उसके द्वारा 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने के 3 मास के भीतर,तथा ऐसे अंतरण तक उसे न्यास के रूप में स्त्री के लाभ के

लिये धारण करेगा।

2. यदि कोई व्यक्ति उपधारा एक में निर्दिष्ट समय के भीतर या उपधारा तीन द्वारा यथा अपेक्षित कोई सम्पत्ति अंतरण करने में असफल रहता है तो वह कारावास से- **न्यूनतम 6 माह अधिकतम 2 वर्ष या जुर्माना न्यूनतम 5 हजार से 10 हजार तक या दोनो से दंडित किया जायेगा।**

3. जब उपधारा एक के अधीन सम्पत्ति के लिये स्वत्व धारण करने वाली स्त्री उसे प्राप्त करने के पूर्व मर जाये तो उस स्त्री के वारिस उस सम्पत्ति को धारण करने वाले व्यक्ति से सम्पत्ति पाने के लिये दावा करने के अधिकारी होगें।

परन्तु जहां ऐसी किसी स्त्री की विवाह के सात वर्षो के भीतर प्राकृतिक कारणों के अलावा अन्य किसी कारण से मृत्यु हो जाती है तो ऐसी सम्पत्ति निसंतान होने पर उसके माता पिता को संतान हो तो संतानो को अंतरित होगी।

(3-क)-उपधारा दो अधीन सिद्ध दोष व्यक्ति ने अपनी दोष सिद्धि के पूर्व,ऐसी सम्पत्ति उसकी हकदार स्त्री या यथा स्थिति उसके माता पिता ,संतान को अंतरित नही की हो तो न्यायालय दंड देने के अतिरिक्त लिखित में आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगा कि वह व्यक्ति ऐसी सम्पत्ति को उसके हकदार को(स्त्री,संतान,माता पिता) को आदेश में दी गयी अवधि में अंतरित करे। निर्दिष्ट अवधि में निर्देश का पालन करने में असफल रहने पर सम्पत्ति के मूल्य के बराबर की रकम उससे ऐसी वसूल की जा सकेगी,मानो कि वह उस न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माना एवं यह रकम उसके हकदार को दी जायेगी।

4. धारा तीन व चार की कार्यवाही के साथ भी इस धारा का प्रयोग हो सकेगा।

धारा–7, अपराधों का संज्ञान– 1. इस अधिनियम के अधीन किये गये अपराधों का विचारण महानगरीय मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट से नीचे वाला न्यायालय नही करेगा।

और संज्ञान न्यायालय द्वारा अपनी जानकारी पर या पुलिस की रिपोर्ट

पर या अपराध से व्यथित व्यक्ति या उसके माता पिता या अन्य रिश्तेदार अथवा केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समाज कल्याण संस्था या संगठन के परिवाद पर कर सकेगा।

2. द0प्र0सं0 1973 के अध्याय 36 की कोई बात इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध पर लागू नही होगी–परिसीमाकाल

3. व्यथित व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कथन उसे इस अधिनियम के अधीन अधियोजन के अध्यधीन नही करेगा।

धारा–8, अपराधों का अजमानतीय,अशमनीय एवं कुछ प्रयोजनो के लिये संज्ञेय होना–इस अधिनियम के समस्त अपराध अजमानतीय,असमनीय एवं विवेचना के लिये पुलिस द्वारा संज्ञेय माने जायेगे,बगैर किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी बिना वारंट या मजिस्ट्रेट की आज्ञा के बिना नही हो सकेगी।

धारा 8 (।द्धण कतिपय वादों में सबूत का भार–धारा तीन या चार के अधीन अपराध न करने की सत्यता को सिद्ध करने का दायित्व अभियुक्त पर होगा।

धारा 8 ;ठद्ध – दहेज निषेध अधिकारी

1. राज्य सरकार जितना उचित समझे उतने दहेज निषेध अधिकारी नियुक्त कर सकेगी।

2. द0नि0अ0 निम्न शक्तियों का प्रयोग एवं कार्यो का निष्पादन करेगा–

क. देखेगा कि अधिनियम के उपबन्धों का पालन किया गया है

ख. जितना संभव हो दहेज का लेना, माँगना रोकेगा

ग. अभियुक्त के अभियोजन के लिये आवश्यक साक्ष्य एकत्र करना

घ. सरकार द्वारा सौपे गये एवं नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट कार्यो का निष्पादन करेगा।

3. राज्य सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचित कर दहेज प्रतिषेध अधिकारी को पुलिस अफसर की शक्तियाँ प्रदत्त कर सकती है।

दहेज निषेध अधिकारी को सलाह देने और सहायता करने के आशय से राज्य सरकार एक सलाहकार परिषद (जिसमें 5 सामाजिक कल्याण कार्य कर्ता से अधिक नही होगें एवं उनमें कम से कम दो महिलायें होगी) नियुक्त कर सकेगी।

<u>विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908</u>

<u>(अधिनियम सं0 6/1908)</u>

धारा–1, इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है, और यह भारत से बाहर भी भारत के नागरिको पर लागू होता है।

धारा–2, परिभाषा–

क. विस्फोटक पदार्थ के अर्न्तगत विस्फोटक पदार्थ बनाने के लिये सामग्री,किसी विस्फोटक पदार्थ में या उससे विस्फोट कारित करने मे प्रयुक्त की जाने के लिये आशयित कोई उपकरण,मशीन या सामग्री या उपकरण मशीन का कोई भाग

ख. विशेष वर्ग के विस्फोटक पदार्थ–जैसे, आर0डी0एक्स,टी0एन0टी0,एल0टी0पी0ई0आदि एवं इनके यौगिक,तथा अन्य समान प्रकार के विस्फोटक और कोई अन्य पदार्थ जिसे केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचित करे।

धारा–3, जीवन और सम्पत्ति को जोखिम में डालनें वाला विस्फोट करने के लिये दंड–कोई व्यक्ति विधि विरूद्ध रूप से तथा विद्वेषपूर्ण रूप से

क. किसी विस्फोटक पदार्थ से इस प्रकार का विस्फोट करेगा जिससे जीवन के खतरे में पडने या सम्पत्ति को गंभीर क्षति होने की संभावना हो–चाहे कोई क्षति हुई हो या नही– **न्यूनतम 10 वर्ष का कठोर कारावास से या आजीवन कारावास से एवं जुर्माने से दंडित होगा।**

ख. किसी विशेष वर्ग के विस्फोटक पदार्थ द्वारा विस्फोट कारित करेगा–**मृत्युदंड या कठोर आजीवन कारावास से एवं जुर्माने से दंडित होगा।**

एक व्यक्ति रमेश बस स्टैण्ड पर मानव क्षति करने के आशय से एक बम फेंकता है जो फट जाता है परन्तु उससे किसी व्यक्ति को कोई चोट नही पहुचती है रमेश ने इस धारा के अर्न्तगत दंडनीय अपराध किया है।

धारा–4, विस्फोटकारित करने के प्रयत्न के लिये अथवा जीवन या सम्पत्ति को जो जोखिम में डालने के आशय से विस्फोटक बनाने या रखने के लिये दंड– कोई व्यक्ति जो विधि विरूद्धत: और विद्वेषत: का इस प्रकार का विस्फोट करेगा जिससे जीवन के खतरे पडने या सम्पत्ति को गंभीर क्षति होने की संभावना है, किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा या किसी विशेष वर्ग के विस्फोटक पदार्थ द्वारा करने के आशय से कोई कार्य करता है या कार्य करने हेतु षड़यंत्र करता है या

ख. कोई विस्फोटक पदार्थ या किसी विशेष वर्ग का विस्फोटक पदार्थ इस आशय से बनाता है या अपने पास या अपने नियंत्रण में रखता है कि उसके द्वारा वह जीवन को खतरे में डाले या सम्पत्ति को गंभीर क्षति करे चाहे कोई विस्फोट हो या नही और चाहे किसी व्यक्ति को या किसी सम्पत्ति को वस्तुत: कोई क्षति हुई हो या नही–**विस्फोटक पदार्थ के मामले में आजीवन कारावास से या 10 वर्ष तक की अवधि के किसी भी प्रकार के कारावास से एवं जुर्माने से दंडित किया जायेगा।**

विशेष वर्ग के विस्फोटक पदार्थ के मामले में <u>कठोर</u> आजीवन कारावास से या 10 वर्ष तक के <u>कठोर</u> कारावास से और जुर्माने से दंडित किया जायेगा।

धारा–5, संदिग्ध परिस्थितियों में विस्फोटक पदार्थ बनाने या अपने पास रखने के लिये दंड– कोई व्यक्ति जो ऐसी परिस्थितियों में कोई

विस्फोटक पदार्थ या किसी विशेष वर्ग के विस्फोटक पदार्थ बनाता है,या जानबूझकर अपने पास या अपने नियंत्रण में रखता है जिससे के यह संदेह उत्पन्न हो जाता है कि उसने उसे विधि पूर्ण उददेश्य के लिये नही बनाया था या अपने पास नही रखा था-

क. विस्फोटक पदार्थ के मामले में 10 वर्ष तक के कारावास से एवं जुर्माने से दंडित

ख. विशेष वर्ग के विस्फोटक पदार्थ के मामले मे कठोर आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कठोर कारावास एवं जुर्माने से दंडित

धारा-6, दुष्प्रेरको को दंड- कोई व्यक्ति जो धन देकर या परिसर उपलब्ध कराके, सामग्री देकर या अन्य किसी भी रीति से इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को कराता है,उसके किये जाने के लिये मंत्रणा देता है,सहायता करता है या दुष्प्रेरण करता है उस अपराध के लिये उपबंधित दंड से दंडित किया जायेगा।

धारा-7, इस अधिनियम मे दिये गये किसी अपराध के लिये किसी व्यक्ति के विचारण के लिये कोई न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट की सम्मति के बिना कार्यवाही नही करेगा।

अध्याय –2

दण्ड न्यायालयों का गठन एवं कार्यविधि

नई दण्ड प्रक्रिया संहिता (1973) में महत्वपूर्ण संशोधन यह किया गया है कि मजिस्ट्रेट न्यायालयों को दो वर्गो में बॉटा गया है। 1–न्यायिक मजिस्ट्रेट– न्यायिक मजिस्ट्रेट उच्च न्यायालय के अधीन रहते हुए सुद्धत: न्यायाकि कार्य करते है। 2– कार्यपालक मजिस्ट्रेट– कार्यपालक मजिस्ट्रेट राज्य सरकार के अधीन रहते हुए प्रशासकीय प्रकृति के कार्य जैसे निरोधात्मक कार्यवाही आदि के कार्य करते हैं।

इस प्रकार न्याय पालिका एवं कार्यपालिका को अलग–अलग कर दिया गया है।

धारा–6:– दण्ड न्यायालयों के वर्ग– प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालयों तथा विधि के अधीन गठित न्यायालयों के अतिरिक्त निम्न वर्ग के दण्ड न्यायालय होगे:–

1–सत्र न्यायालय, 2– प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और किसी महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय, 3– द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय, 4– कार्यपालक मजिस्ट्रेट के न्यायालय

धारा 7:– प्रादेशिक खण्ड– प्रत्येक जिले में एक सत्र न्यायाधीश का न्यायालय होगा, जिसे राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद गठित करेगी।

धारा 8:– महानगर क्षेत्र– ऐसे नगर या शहर, जिनकी आबादी दस लाख से अधिक है राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा महानगर क्षेत्र घोषित कर सकती है। उत्तर प्रदेश में कानपुर शहर में इस प्रकार की व्यवस्था प्रचलित है।

धारा 9– सेशन न्यायालय– राज्य सरकार प्रत्येक सेशन खण्ड (जिला) के लिए एक सेशन न्यायालय स्थापित करेगी, जिसमें एक न्यायाधीश होगा, जो उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जायेगा तथा उच्च न्यायालय प्रत्येक जिले में अपर सेशन न्यायाधीश एवं सहायक सेशन न्यायाधीश की नियुक्ति करेगी।

धारा 10– सहायक सेशन न्यायाधीश एवं अपर सेशन न्यायाधीश जनपद में सेशन न्यायाधीश के अधीन होगे।

धारा 11–(1) न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय प्रत्येक जिले में प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेटों के न्यायालय राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद अधिसूचना द्वारा स्थापित करेगी।

(2)– ऐसे न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किये जायेगे।

(3)– उच्च न्यायालय सिविल न्यायालय में कार्यरत न्यायाधीशों को प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियॉ प्रदान कर सकते है।

धारा 12– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय–

1– उच्च न्यायालय प्रत्येक जिले में एक प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा।

2– उच्च न्यायालय किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है, जिसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सब या कोई शक्तियॉ प्राप्त होगी।

3– इसी प्रकार उच्च न्यायालय उपखण्ड में किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को उपखण्ड न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है।

धारा 13- विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट- केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के अनुरोध पर उच्च न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसने सरकार के अधीन कोई पद धारण किया हो या जिसे उस मामले से संबंधित विधि का ज्ञान हो विशेष वर्ग के अपराधों के निस्तारण के लिए विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है। नियमावली के अनुसार ऐसा व्यक्ति चार वर्ष की अवधि या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, जो भी पहले हो कार्य कर सकेगा।

धारा 14- न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता

धारा 15- न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना-

1- प्रत्येक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होगा और प्रत्येक अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के साधारण नियन्त्रण के अधीन रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीन होगा।

2- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों के मध्य समय-समय पर कार्य वितरण कर सकते है तथा इस संबंध में विशेष आदेश दे सकते हैं।

धारा 16, 17, 18, 19 के अन्तर्गत महानगर मजिस्ट्रेट एवं अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, विशेष महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन है, जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों की शक्ति एवं कार्यों के समान है।

धारा 21- विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट:- यह धारा राज्य सरकार को 1- विशिष्ट क्षेत्रों के लिए या (2) विशिष्ट कृत्यों का पालन करने के लिए विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करती है।

माल या मुल्जिम की शिनाख्त करने वाले मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति इसी धारा के अन्तर्गत की जाती है।

<u>न्यायालयों की शक्ति</u>

धारा 26- न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय है-

(1क) भारतीय दण्ड संहिता के अधीन किसी अपराध का विचारण-

उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है।

सेशन न्यायालय द्वारा किया जा सकता है।

किसी अन्य ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, जिसके द्वारा उसका विचारणीय होना प्रथम अनुसूची में दिखाया गया है।

(ख) किसी अन्य विधि के अधीन किसी अपराध का विचारण जब उस विधि में न्यायालय का उल्लेख हो तब उस न्यायालय द्वारा किया जायेगा और जब उस विधि में न्यायालय का उल्लेख न हो तो तब-

उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है।

किसी अन्य ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, जिसके द्वारा उसका विचारणीय होना प्रथम अनुसूची में दिखाया गया हो।

संशोधन वर्ष 2008 **धारा 26 में नये संशोधन के अनुसार:- भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376, 376क, 376ख, 376ग और 376घ के अपराधों का विचारण यथा साध्य महिला पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जायेगा।**

धारा 323 दण्ड प्रक्रिया संहिता में प्रावधान है कि यदि मजिस्ट्रेट को विचारण के दौरान यह प्रतीत होता है कि अपराध सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो वह उसे सत्र न्यायालय को सुपुर्द कर देगा। इसके अतिरिक्त धारा 193 के अनुसार सत्र न्यायालय को सामान्यत: आरम्भिक अधिकारिता वाले न्यायालय के रूप में संज्ञान लेने की अधिकारिता नही होती।

धारा 27- किशोरो के मामलें में अधिकारिता:- इस धारा का अब व्यवहारिक महत्व नही है क्योकि अब किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधि0 2000 के प्रावधान के बाद इस संहिता की धारा 27 के प्रावधान महत्व नही रखते है।

धारा 28- दण्डादेश जो उच्चन्यायालय और सेशन न्यायालय दे सकेगें:- (1) उच्च न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई दण्डादेश दे सकता है।

विधि द्वारा प्राधिकृत दण्डादेश- भा0द0वि0 की धारा 53 में निम्न दण्डों की व्यवस्था है-

1- मृत्यु दण्ड

2- आजीवन कारावास (substituted for transportation-1955)

3- निरसित

4- कारावास, जो भॉति का है।

कठिन अर्थात कठोर श्रम के साथ सादा

5- सम्पत्ति का समपहरण

6- अर्थदण्ड

(2) सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दण्डादेश दे सकता है परन्तु मृत्यु दण्डादेश के उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट किये जाने की आवश्यकता होगी।

धारा 354(3) द0प्र0सं0 के अनुसार यदि अभियुक्त को मृत्युदण्ड दिया जाता है तो न्यायालय ऐसा करने के विशेष कारणों का उल्लेख करेगा।

(3) सहायक सेशन न्यायाधीश दस वर्ष तक की अवधि के कारावास का दण्डादेश दे सकता है।

धारा 29- दण्डादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकेगें- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय सात वर्ष तक के कारावास का दण्डादेश दे सकेगें।

(2) प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय तीन वर्ष तक की अवधि के कारावास या दस हजार रूपये के जुर्माने या दोनों का दण्डादेश दे सकेगा।

(3) द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय एक वर्ष तक की अवधि का कारावास या पॉच हजार रूपये जुर्माना या दोनों का दण्डादेश दे सकेगा।

(4) मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियॉ और महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय को प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियॉ होगी।

धारा 30- जुर्माना देने पर व्यत्तिक्रम होने पर कारावास का दण्डादेश-

(1) किसी मजिस्ट्रेट का न्यायालय जुर्माने देने पर व्यत्तिक्रम होने पर इतने अवधि के कारावास से दण्डित कर सकता है, जो कानून द्वारा अधिकृत है परन्तु वह अवधि:-

क- धारा 29 के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्ति से अधिक नही होगी।

ख- जहॉ कारावास मुख्य दण्डादेश के भाग के रूप में दिया गया है वहा उस कारावास की अवधि के चौथाई से अधिक न होगी, जिसको मजिस्ट्रेट उस अपराध के लिए दण्ड के तौर पर देने में सझम है।

जुर्माने के संबंध में प्रावधान भा0द0वि0 की धारा 63 से 70 में दिये गये है। उच्च न्यायालय तथा सेशन न्यायालय को जुर्माना लगाने की कोई सीमा नही है परन्तु भा0द0वि0 की धारा 63 के अनुसार यह बहुत अधिक नही होगी। सामान्यत: यह न्यायालय का विवेकाधिकार होता है।

धारा 31- एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोषसिद्ध होने के मामलों में दण्डादेश:- इस धारा के अनुसार एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए किसी अपराधी को दण्डित किया जाता है तो दण्डादेश कैसे पारित किया जायेगा, यह बताया गया है। यदि न्यायालय ने यह निर्देश न दिया हो कि दण्ड साथ-साथ भोगें जायेगें तो वह ऐसे क्रम से एक के बाद एक प्रारम्भ होगे, जिसका न्यायालय निर्देश दे परन्तु भा0द0वि0 की धारा 71 के प्राविधानों का ध्यान रखा जायेगा।

सम्पत्ति का निस्तारण

पुलिस रेग्यूलेशन के अध्याय 14 में सम्पत्ति की अभिरक्षा एवं उसके निस्तारण के संबंध में वर्णित किया गया है:-

पु0रे0 165:- सभी चल सम्पत्ति, जिसे पुलिस द्वारा कब्जे में लिया गया है उसकी सूची तैयार की जायेगी तथा सम्बन्धित मजिस्ट्रेट को प्रेषित की जायेगी।

पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 25, 26, 27 व दण्ड प्रक्रिया संहिता के विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत कब्जे में ली गई सम्पत्ति के संबंध में वर्णित किया गया हैं।

द0प्र0सं0 की धारा 451 से 459 तक सम्पत्ति के निस्तारण के संबंध में निम्न प्रावधान है-

धारा 451:- जब सम्पत्ति जॉच या विचारण के समय दण्ड न्यायालय के समझ पेश की जाती है तब न्यायालय सम्पत्ति के संबंध में आदेश देगा।

धारा 452:- जब दण्ड न्यायालय में जॉच या विचारण समाप्त हो जाता है तब न्यायालय उसके समझ पेश की गई वस्तु के बारे में आदेश दे सकेगा।

धारा 453:- न्यायालय अभियुक्त के पास से मिली चुराई गई सम्पत्ति या धन मिलने पर व दोषसिद्ध होने पर स्वामी एवं केता के आवेदन पर सम्पत्ति/धन वापिस किये जाने का आदेश दे सकेगा।

धारा 455:- भा0द0सं0 की धारा 292,, 293, 501, 502 के आधीन दोषसिद्ध होने पर न्यायालय ऐसी साम्रगी को नष्ट करने का आदेश दे सकेगा।

धारा 456:- जब अपराधिक बल, बल प्रदर्शन या अन्य ऐसे अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध किया जाता है, जिसने किसी स्थान पर जबरन कब्जा किया है तब वह कब्जा सम्बन्धित को लौटाया जा सकता है।

प्रतिबन्ध:- दोषसिद्ध आदेश के एक मास के पश्चात बेदखली आदेश नही दिया जायेगा।

धारा 457:- जब किसी सम्पत्ति के कब्जे में लेने की सूचना मजिस्ट्रेट को दी जाती है, जिसे जॉच या विचारण में प्रस्तुत नहीं किया जाना है तब मजिस्ट्रेट सम्पत्ति पर दावा करने वाले के संबंध में आदेश दे सकता है।

धारा 458:- यदि सम्पत्ति के संबंध में छः मास तक कोई दावेदार उपस्थित नही होता अथवा दावा साबित नही कर पाता तब मजिस्ट्रेट ऐसी सम्पत्ति को विक्रय का आदेश दे सकता है।

धारा 459:- यदि सम्पत्ति का कब्जा पाने का हकदार व्यक्ति अज्ञात अथवा अनुपस्थित है और सम्पत्ति शीध्र खराब हाने वाली है तब सम्पत्ति के स्वामी के लाभ के लिए मजिस्ट्रेट विक्रय का आदेश ले सकता है।

पुलिस एक्ट 1861 के अन्तर्गत सम्पत्ति का निस्तारण

पुलिस एक्ट के अन्तर्गत जिले के मजिस्ट्रेट से तात्पर्य उस अधिकारी से है, जिस पर कार्यपालिका प्रशासन का भार है और मजिस्ट्रेट की शक्तियॉ प्रयोग करता है।

धारा 25:- प्रत्येक पुलिस अधिकारी समस्त बिना दावे वाली सम्पत्ति को भारसाधन में लेकर सूचना जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

धारा 26:– जिले का मजिस्ट्रेट सम्पत्ति को निरूद्ध कर सकेगा तथा उद्घोषणा निकाल सकेगा कि उक्त सम्पत्ति पर दावा रखने वाला उद्घोषणा की तिथि से छः मास के अन्दर अपना अधिकार प्रस्तुत करें।

धारा 27:– यदि सम्पत्ति पर कोई दावेदार नही होता है तब मजिस्ट्रेट के आदेशों के अधीन सम्पत्ति बेच दी जायेगी।

पुलिस रेग्यूलेशन के पैरा 168ए के अनुसार माल निस्तारण

पुलिस द्वारा बरामद किये गये अवैध आग्नेयास्त्रों और शस्त्र, जो न्यायालय के निर्णय के बाद नष्ट किये जाने है वह एक कमेटी के सदस्यों की मौजूदगी में नष्ट किये जायेगे। कमेटी में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित अधीक्षक स्तर का पुलिस अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित सम्मानित व्यक्ति, जो राज्य सेवक न हो, सदस्य होगें।

3– क्षयशील (शीध्र नष्ट) प्रकृति की सम्पत्ति के निस्तारण के संबंध में:–

सम्पत्ति के निस्तारण से निम्न उद्देश्यों की पूर्ति होगी:–

1– माल मुकद्माती के निष्प्रयोग पड़े रहने से सम्पत्ति के स्वामी को क्षति नही होगी।

2– न्यायालय या पुलिस को माल मुकद्माती को अपनी सुरक्षा में रखने की आवश्यकता नही होगी।

3– यदि सम्पत्ति वापस करने से पूर्व विधिवत् पंचनामा तैयार कर लिया जाये तब न्यायालय में सम्पत्ति के स्थान पर पंचनामा साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकेगा।

पैरोकार के कर्तव्य

थाने से जिस पुलिस अधिकारी द्वारा अभियोगों की पैरवी की जाती है उसे पैरोकार कहते हैं।

पैरवी रजिस्टर:– न्यायालय में विचाराधीन वादों की प्रगति के संबंध में पैरवी रजिस्टर पुलिस प्रपत्र 175 रखा जाता है:–

अभियोगों की पैरवी करते समय थाना पैरोकार के प्रमुख कर्तव्य:–

- ❖ पैरोकार को पैरवी रजिस्टर नियमित रूप से तैयार करना चाहिए एवं सभी विवरण पुलिस कर्मियों का नम्बर स्पष्ट रूप से अंकित करना चाहिए।
- ❖ सभी प्राप्त सम्मनों को तामील हेतु थाने में प्राप्त कराने चाहिए तथा नियत तिथि से पूर्व तामील/अद्म तामील वापस लेने चाहिए।
- ❖ माल मुकद्माती थाने पर लम्बित होने पर न्यायालय में समय से प्रस्तुत करना चाहिए यदि मालखाना प्रभारी अवकाश पर जा रहा हो तब थानाध्यक्ष से आदेश कराकर उक्त अवधि के माल मुकद्माती प्राप्त करने चाहिए।
- ❖ थाने के रिकार्ड जी0डी0, एन0सी0आर0 जिल्द की यदि आवश्यकता हो तो समय से रिकार्ड रूम से प्राप्त करना चाहिए।
- ❖ वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण की उपस्थिति हेतु सम्मन की तामील प्रभावी रूप से कराने के लिए थानाध्यक्ष को अवगत कराना चाहिए।

- ❖ पैरोकार को समय से न्यायालय में उपस्थित होना चाहिए तथा न्यायालयों में लम्बित अभियोगों में साक्ष्यों की उपस्थिति के संबंध में स्पष्ट रिपोर्ट अभियोजक को प्रस्तुत करनी चाहिए।
- ❖ न्यायालय के आदेश पर आहूत की गई रिपोर्ट एवं जमानत आख्याओं पर सुस्पष्ट रिपोर्ट अभियोजक को प्रस्तुत करनी चाहिए।
- ❖ न्यायालय से स्वीकृत जमानत एवं निर्णीत वाद एवं आत्मसमर्पण करने वाले अभियुक्तों की सूचना प्रतिदिन कोर्ट माहर्रिर से प्राप्त कर थानाध्यक्ष को अवगत कराना चाहिए।
- ❖ अभियोजक द्वारा गवाहो की सुरक्षा एवं अन्य परिस्थितियों के संबंध में रिपोर्ट, जो थानाध्यक्ष को प्रेषित की जाती है उसे थानाध्यक्ष के समझ रखकर आदेश प्राप्त कराना चाहिए।
- ❖ पैरोकार न्यायालय द्वारा मॉगी गई समान्य एवं विशेष सूचना को समय से न्यायालय में उपलब्ध करायेगा एवं न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को भी थानाध्यक्ष को अवलोकित कराकर अनुपालन सुनिश्चित करायेगा।
- ❖ न्यायालय द्वारा आहूत किये गये अभिलेख (केस डायरी, जी0डी0, असंज्ञेय रिपोर्ट की जिल्द, माल मुकद्माती) को समय से सही स्थिति में प्रस्तुत करेगा।
- ❖ न्यायालय से निर्णीत वादों से सम्बन्धित माल मुकद्माती थाना एवं सदर मालखाना पर लम्बित होने की दशा में अभियोजक के माध्यम से निस्तारण कराने में सहयोग प्रदान करेगा।
- ❖ पैरोकार को जनरल रूल (क्रिमीनल) अनुसूची ए के अनुसार न्यायालय में वर्दी में उपस्थित होना चाहिए।
- ❖ पैरोकार थाना अभियोजन एवं न्यायालय के लिए महत्वपूर्ण कड़ी है तथा अभियोगों को सफल (दण्डित) बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका है।

मानव शरीर सम्बन्धी अपराधो की विवेचना

भारतीय दण्ड विधान के अध्याय 16 के अनुसार शरीर को प्रभावित करने वाले **अपराध** निम्नलिखित हैं :-

1. यह अपराध जो व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव डालते हैं ˙(धारा **302,304,304ए व 304**बी भा0दं0वि आदि)

2. वह अपराध जो गर्भपात व अजात शिशु की मृत्यु से सम्बन्धित है (धारा **312 से 318** भा0द0वि0)

3. वह अपराध जो चोट पहुॅचाने से सम्बन्धित है (धारा **324 से 338** भा0द0वि0तक)

4. वह अपराध जो किसी व्यक्ति से सदोष अवरोध या सदोष परिरोध से सम्बन्धित है (धारा **341 व 342** भा0द0वि0)

5. वह अपराध जो अपराधिक बल और हमला के अपराध से सम्बन्धित है ˙(धारा **352 से 358** भा0द0वि0)

6. वह अपराध जो **अपहरण व ब्यपहरण** से सम्बन्धित है। (धारा **363,366** भा0द0वि0)

7. वह अपराध जो **बलात्कार** से सम्बन्धित है। (धारा **376** भा0दं0वि0)

शरीर सम्बन्धी अपराधों की विवेचना में ध्यान रखने योग्य बिन्दु :-

1. **मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्य** एकत्र किये जॉय जैसे **वादी व गवाहों के बयान, घटना स्थल के आस पास रहने वालों के बयान व रंजिश को को लिखित साक्ष्य** आदि।

2. यदि अभियुक्त अज्ञात हो, तो उनके आयु वर्ग शरीर का गठन आदि ज्ञात करके उसी प्रकार के अपराधियों में उन्हें तलाश किया जाय।

3. यदि अभियुक्त नामांकित हैं और दो तीन बार तलाश करने पर नहीं मिल रहे हैं, तो धारा **82/83 दं0प्र0सं0** की कार्यवाही की जाय।

4. **डाक्टरी परीक्षण-पीड़ित व्यक्ति का निम्नखित बिन्दुओं पर कराया जाना आवश्यक हैं :-**

(क) चोटों की जानकारी के लिये (**बल प्रयोग के अपराधों मे**)

(ख) आयु की जानकारी के लिये (धारा **363,366,376** भा0दं0वि0 की विवेचना मे)

(ग) बलात्कार की पुष्टि के लिये (धारा **376** भा0दं0वि0 की विवेचना मे)

(घ) चोटों के शस्त्रों की जानकारी के लिये (**बल प्रयोग के अपराधो में**)

(ड) चोटों के समय की जानकारी के लिये (**बल प्रयोग के अपराधो की विवेचना में**)

5. यदि मृतक अज्ञात हैं, तो उसकी पहचान कराने हेतु प्रचार किया जाय व पहचान हो जाने के बाद उसकी हत्या के कारणों की जॉच कराके विवेचना आगे बढाई जाय।

6. **मृतक व्यक्ति का पोस्टमार्टम एक्जामिनेशन निम्न बिन्दुओं पर कराना आवश्यक हैं :-**

(क) मृत्यु का कारण जानने के लिये।

(ख) मृत्यु का समय जानने के लिये।

7. **भौतिक साक्ष्य** एकत्र करने के लिये **घटना स्थल का** निरीक्षण कराना आवश्यक है। यह **भौतिक साक्ष्य निम्न प्रकार के हो सकते हैं :-**

(क) रक्त

(ख) फिंगर प्रिन्टस

(ग) फुट प्रिन्टस

(घ) कारतूस के खोखे

(ड़) बाल

(च) कपड़ें के टुकडे

(छ) शस्त्र का भाग

(ज) सिगरेट के टुकडे आदि

(झ) चूडी के टुकडे

बलवे के अपराध की विवेचना का प्रारूप

1. बलवे के अपराध की विवेचना में क्या सिद्ध करना आवश्यक है।

- अपराध में 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का सम्मिलित होना।
- उनका कोई सामान्य उद्देश्य होना।
- उन सभी ने या उनमें से किसी एक के द्वारा सामान्य उद्देश्य की पूर्ति या हिंसा का प्रयोग करना।

2. बलवे की विवेचना में निम्नलिखित कार्य प्रथम दिन ही किये जाँय।

- वादी व गवाहों का बयान केस डायरी में लिखना।
- घायलों का उपचार व डाक्टरी परीक्षण करना।
- यदि कोई घायल मरणासन्न हो, तो मजिस्ट्रेट से उसका मृत्युकालिक कथन अंकित कराना।

3- ?kVuk LFky dk fujh{k.k djuk

- घटना स्थल का निरीक्षण प्रथम दिन ही किया जाय व उसका उल्लेख केस डायरी में किया जाय।
- घटना स्थल का मानचित्र बनाया जाय यदि संभव हो, फोटोग्राफ करा लिया जाय।
- घटना स्थल पर यदि हिंसा का कोई भौतिक साक्ष्य मिलता है, तो उसे एकत्र किया जाय और फर्द बनाकर कब्जे में लिया जाय जैसं-लाठी,डंडा,ईट,पत्थर,काँच के टुकड़े,जूते,चप्पल चले हुये कारतूस, रक्त रंजित वस्तुयें,टूटी हुई या जली हुई कार,स्कूटर, साईकिल आदि।

4. यदि कोई भौतिक साक्ष्य घटना स्थल से मिलता है, तो आवश्यकतानुसार उसका परीक्षण विधि विज्ञान प्रयोगशाला से कराया जाय जैसे घटना स्थल से मिले चले हुये कारतूस का अभियुक्त से मिले तमंचा या लाईसेन्सी शस्त्र से मिलान कराया जाना।

5. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रयोग में लाये गये शस्त्रों व डाक्टरी परीक्षण में लिखी गई चोटो का मिलान करके विवेचक को यह चैक कर लेना चाहिये कि दोनों में कोई विरोधाभास तो नही है और यदि कोई अन्तर हो तो वादी, गवाहो और डाक्टर के बयान से उसे स्पष्ट कर लिया जाय।

6. डाक्टर द्वारा यदि कोई चोट विचाराधीन रखी गई है, तो उसका परिणाम प्राप्त करके केस डायरी में लिखा जाय और यदि चोट गम्भीर पाई गई है, तो मुकदमें की धारा में परिवर्तन करके उसका उल्लेख केस डायरी में भी किया जाय।

7. अभियुक्तों की गिरफ्तारी ऊी यथाशीघ्र की जाये अन्यथा पीड़ित पक्ष बदले की भावना से कोई अपराध कर सकता है।

8. अभियुक्त यदि तलाद्गा करने पर नही मिलते हैं तो उनके विरूद्ध धारा 82/83 दंण्ड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही अवश्य की जाय।

9. बलवे की घटना के पूर्व यदि वादी पक्ष द्वारा या अभियुक्त पक्ष द्वारा कोई प्रार्थना पत्र दिया गया हो या प्रथम सूचना रिपोर्ट संज्ञेय अपराध या असंज्ञेय अपराध लिखाई गई हो तो उसका विवरण केस डायरी में लिखा जाय।

10. अभियुक्त द्वारा प्रयोग किये गये शस्त्रों की बरामदगी की जाय।

11. यदि दोनों पक्षों की ओर से बलवे के मुकदमें लिखाये गये हों तो साक्ष्य के आधार पर ही आरोप पत्र दिये जाने चहिये अन्यथा केवल दोषी पक्ष का ही चालान करना चाहिये। दोनों मुकदमें में आरोप पत्र लगाना अनिवार्य नही होता है।

12. बलवा करने वाले और आत्मरक्षा में बल प्रयोग करने का निर्धारण चोटों की संख्या, चोंटो की प्रकृति, शस्त्रो के प्रकार और घटना के समय को दृष्टि में रख कर किया जाना चाहिये।

13. विवेचना निष्पक्ष होनी चाहिये अन्यथा बलवा फिर हो सकता है।

14. आरोप पत्र देते समय धारा 106 दं0प्र0संहिता के अन्तर्गत यह भी प्रार्थना की जानी चाहिये कि यदि अभियुक्त दंडित किय जाते है तो उन्हें आगामी 3 वर्षो के लिये शॉंति बनाये रखते हेतु पाबन्द जमानत व मुचलका किया जाय।

15. बलवे के अपराध की विवेचना जहॉं तक संभव हो 15 दिन में पूरी की जाय।

8. पीडित व्यक्ति का बयान धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत लिखने के बाद यदि आवद्ष्यक हो, तो धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत न्यायालय में रिपोर्ट देकर लेखबद्ध कराया जाना चाहिए व उसके अनुसार कार्यवाही की जाय (धारा 363, 364, 376 भा0द0वि0 के अपराध में)

9. घायल व्यक्ति का मृत्युकालिक कथन मजिस्ट्रेट से लेखबद्ध कराया जाय। यदि मजिस्ट्रेट उपलब्ध नहीं है, तो डाक्टर से कथन लेखबद्ध करने की प्रार्थना की जाय।

10. यदि अभियुक्त के चोटें आई हैं व वह गिरफ्तार हो गया है, तो उसका डाक्टरी परीक्षण कराया जाय।

11. विचाराधीन चोटों का परिणाम डाक्टर से रिपोर्ट देकर ज्ञात किया जाय वे यदि चोटें गम्भीर पाई जॉय तो धाराओं में परविर्तन किया जाय।

12. अभियुक्त/अभियुक्तों की गिरफ्तारी तत्परता से की जाय जिससे कोई बदले की भावना से अपराध न घटित हो जाय।

13. अभियुक्त के घटना के पूर्व व घटना के बाद के आचरण का साक्ष्य एकत्र किया जाय।

14. अभियुक्त से पूछताछ करके हत्या में प्रयुक्त शस्त्र या शव या अपहृत व्यक्ति को बरामद करने का प्रयास किया जाय।

15. यदि हिंसा के अपराध में (हत्या, बलवा) आरोप पत्र दिया जा रहा है, तो आरोप पत्र में ही सजा देते समय अपराधियों को आगामी 3 वर्ष तक शान्ति बनाये रखने हेतु पाबन्ध जमानत व मुचलका करने हेतु प्रार्थना की जाय। (धारा 106 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

16. प्राप्त साक्ष्य का मूल्यांकन करके आरोप पत्र दिया जाय।

व्यपहरण (Kidnapping) **व अपहरण** (Abduction) **के अपराध की विवेचना का योजना प्रारूप**

व्यपहरण और **अपहरण** के अपराध के सम्बन्ध में **भा.द.वि.** की मुख्य रूप से निम्नलिखित धाराओं में विवरण दिया गया है:-

1. **धारा 363 भा.द.वि.**–किसी व्यक्ति का भारत से बिना उसकी **सम्मति** के या किसी **अवयस्क बालक या बालिका** को उसकी **विधि पूर्ण संरक्षता** से बिना **संरक्षक** की अनुमति के ले जाना।

2. **धारा 363ए भा.द.वि.**–जो कोई किसी अव्यस्क का इसलिये व्यपहरण करेगा कि ऐसा अवयस्क भीख माँगने के कार्य हेतु लगाया गया है।

3. **धारा 364 भा.द.वि.** किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण उसकी हत्या करने के उद्देश्य से करना।

4. **धारा 364ए भा.द.वि.**–किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण फिरौती प्राप्त करने के लिये करना।

5. **धारा 365 भा.द.वि.**–किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण गुप्त रीति से सदोष परिरोध करने के लिये करना।

6. **धारा 366 भा.द.वि.**–किसी स्त्री का उसकी इच्छा के विरुद्व उससे विवाह करने के लिये या बलात्कार करने के लिये बल पूर्वक या धोखे से व्यपहरण या अपहरण करना।

धारा 363/365/366 भा.द.वि. की विवेचना में विवेचक को क्या-क्या साक्ष्य एकत्रित करके केस डायरी में लेखबद्व करना चाहिये

1. वादी व गवाहों के कथन अंकित किये जायें।
2. अपहरण के **कारण का साक्ष्य** एकत्र करके **केस डायरी** में लेखबद्व करना।
3. निरीक्षण **घटना स्थल** किया जाये व **मानचित्र** बनाया जाये।
4. **आस-पास** रहने वाले **लोगों के कथन** अंकित किये जायें।
5. अपहृत को **बरामद** करने के लिये **प्रयास** किये जायें।
6. **अपहृत** के बरामद होने पर पफर्द बरामदगी लिखी जाये व गवाहान पफर्द बरामदगी के बयान लिखे जायें।
7. अपहृत की आयु के सम्बन्ध में **अभिलेखीय साक्ष्य** एकत्रा किया जाये।
8. अपहृत के बरामद होने पर **उसका डॉक्टरी परीक्षण निम्नलिखित बिन्दुओं** पर कराया जाये-
   - उसकी **आयु** जानने के बारे में।
   - यदि वह **महिला** है, तो उसके **साथ बलात्कार** होने के बारे में।
   - उसके **शरीर** पर **चोटों** के होने के **बारे में।**
9. अपहृत के बरामद होने के स्थान का निरीक्षण किया जाये व मानचित्रा बनाया जाये।

10. अपहृत के बरामद होने पर उसका **कथन न्यायालय** में धारा **164 दण्ड प्रक्रिया संहिता** में **लेखबद्व** कराया जाये व उसी के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जाये।

11. साक्ष्य के आधार पर धाराओं में परिवर्तन किया जाये **जैसे–धारा 368/376 भा.द.वि.** आदि की **बढ़ोत्तरी** करना।

12. **बरामद किये गये** अपहृत व्यक्ति **को उसके** घर वालों को लिख–पढ़कर सुपुर्द **किया जाये।**

13. अभियुक्त की **गिरफ़्तारी** के बाद उसका **कथन** अंकित किया जाये।

14. उपलब्ध **साक्ष्य के आधार पर** विवेचना को **अन्तिम रूप** दिया जाये।

धारा 364/364ए भा.द.वि. के अपराध की विवेचना में विवेचक को निम्न साक्ष्य एकत्रित करके केस डायरी में लेखबद्व करना चाहिये

1. इस प्रकार के अपराध की सूचना मिलते ही तत्काल **सीमावर्ती थानों व जनपदों** को सूचना देकर नाकाबन्दी व चेकिंग की व्यवस्था कराई जाये। यदि अभियुक्तों द्वारा किसी वाहन का प्रयोग किया गया है, तो उसका **नम्बर, मेक व रंग की भी सूचना** दी जाये ताकि वाहन को पकड़ने में आसानी हो जाये।

2. यदि अपहृत व्यक्ति के घर पर टेलीपफोन की सुविधा उपलब्ध हो, तो सम्बन्धित **एक्सचेंज व घर के फोन पर होशियार पुलिस कर्मियों को नियुक्त किया जाये जिससे आने वाले** टेलीफोन संदेश को चेक किया जा सके व नोट किया जा सके।

3. अपहृत के घर आये अपहरणकर्ताओं के **टेलीफोन टेप** किये जायें ताकि वे साक्ष्य में प्रयुक्त किये जा सकें।

4. अपहृत के घर का **टेलीफोन आब्जर्वेशन पर एक्सचेंज** में तत्काल रखवा दिया जाये जिससे यह पता लग सके कि **अपहृत व अभियुक्त** किस क्षेत्रा में हैं।

5. संदिग्ध अभियुक्त के मोबाइल फोन की निगरानी भी रखी जा सकती है और सेल्यूलर पफोन की कम्पनी से डाटा निकलवा कर उसकी समीक्षा करके भी अभियुक्त और अपराध के सम्बन्ध में क्षेत्रा की जानकारी की जा सकती है।

6. यदि मोबाइल **टेलीफोन** की सूचना के माध्यम से **अपराधियों के क्षेत्र** की जानकारी हो जाये तो उस क्षेत्रा की **गोपनीय घेराबन्दी** की जाये व अभियुक्तों को तलाश किया जायें यह कार्य इलैक्ट्रानिक सर्विलांस के द्वारा किया जा सकता है।

7. यदि यह क्षेत्रा अन्य जनपद में हो, तो उस जनपद के अधिकारियों की सहायता से निश्चित स्थान का पता लगाने में वहाँ की **स्थानीय पुलिस** व उसके **गोपनीय** सूत्रों की मदद प्राप्त की जाये।

8. यदि इस प्रकार के प्रयासों से अभियुक्त गिरफ़्तार हो जाते हैं, तो उनसे **गहन पूछताछ** की जाये और उसका उल्लेख केस डायरी में किया जाये।

9. यदि अभियुक्तों की गिरफ़्तारी के समय अपहृत व्यक्ति बरामद नहीं होता है, तो पकड़े गये **अभियुक्तों से पूछताछ** करके **अपहृत की उपस्थिति के ठिकानों** पर पुलिस बल भेजकर अपहृत को बरामद किया जाये।

10. इस प्रकार की विवेचना में अपहृत की बरामदगी हेतु जनपद की **स्पेशल टास्क फोर्स** की मदद ली जाये।

11. अपहृत व्यक्ति की **बरामदगी की फर्द** तैयार की जाये ताकि वह फर्द बरामदगी **साक्ष्य** में प्रयुक्त हो सके। इसकी नकल **केस डायरी** में की जाये।

12. अपहृत व्यक्ति की बरामदगी पर उसका **डॉक्टरी परीक्षण** कराया जाये।

13. अपहृत व्यक्ति का बयान **धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता में मजिस्ट्रेट** के समक्ष लेखबद्व कराया जाये।

14. इस पूरी कार्यवाही में **गोपनीयता रखी** जाये।

15. जहाँ तक सम्भव हो **इस प्रकार के अपराध की विवेचना थाना प्रभारी स्वयं** करें।

16. उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर **आरोप पत्र** प्रेषित किया जाये।

चोरी Theft

परिभाषा- धारा 378:- जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से, उस व्यक्ति की सम्मत्ति के बिना, कोई जंगम सम्पत्ति, बेईमानी से ले लेने का आशय रखते हुए, वह सम्पत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है, वह चोरी करता है, यह कहा जाता है।

स्पष्टीकरण:- 1- जब तक कोई वस्तु भूबद्ध रहती है, चोरी का विषय नही होती किन्तु जैसे ही वह भूमि से पृथक की जाती है वह चोरी का विषय होने योग्य हो जाती हैं।

2- पृथक्करण का किया जाना ही हटाना होगा।

3- किसी रोकी हुई बाधा का हटाना उस वस्तु को हटाना है।

4- यदि किसी जीव-जन्तु को हटाये जाने से कोई वस्तु हटती है तब भी इसे उस वस्तु का हटाया जाना मान लिया जायेगा।

चोरी के आवश्यक तत्व

1- वस्तु को किसी व्यक्ति के कब्जे में से हटाया जाना आवश्यक है।

जब बेईमानी से किसी वस्तु को हटाया जाता है उस समय उस वस्तु का किसी व्यक्ति के कब्जे में होना आवश्यक है यदि किसी का कब्जा नही है और कोई पडी हुई वस्तु कोई उठा लेता है तो यह चोरी नही होगी बल्कि आपराधिक दुर्निवियोग का अपराध हो सकता है। इसी प्रकार मृत व्यक्ति, व्यक्ति की परिभाषा में नही आता है अत: उसके कब्जे से हटाने पर चोरी का अपराध नही होगा बल्कि धारा 404 में वर्णित अपराध हो सकता है। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति की घड़ी, जो उसके कमरे में एक मेज पर पड़ी है वह उसके कब्जे में होती है केवल अपने हाथ में लिये रहना ही कब्जा नही होता।

2- सम्पत्ति का जंगम सम्पत्ति होना आवश्यक है:-

धारा 22 में जंगम सम्पत्ति को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार भूमि, भूबद्ध चीजे या भूवद्ध चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हुई चीजों के अलावा अन्य सभी मूर्त सम्पत्ति जंगम सम्पत्ति है।

धरती का कोई भाग या मिट्टी पत्थर धरती से पृथक करने पर जंगम सम्पत्ति बन जाते हैं। पेड़ों को काटते ही वह चोरी का विषय बन जाते है।

मानव शरीर जीवित या मृत जंगम सम्पत्ति नही है किन्तु संग्रहालय या वैज्ञानिक संस्थाओं में सुरक्षित मृत शरीर या ममी चोरी का विषय है।

3- बेईमानी से ले लेने का आद्य आवद्यक है:-

धारा 24 के अनुसार बेईमानी से तात्पर्य एक को सदोष लाभ या अन्य को सदोष हानि से है। बेईमानी के आशय के अभाव में चोरी का अपराध नही हो सकता है। कोई व्यक्ति अपनी ही सम्पत्ति को यदि बेईमानी के आशय से अनुमति के बिना हटाता है तो वह चोरी का दोषी होगा। यदि कोई सद्भावपूर्वक विश्वास रखते हुये कि वह उसकी वस्तु है, उसे बिना अनुमति के हटाता है तो चोरी नही होगी क्योंकि बेईमानी के आशय का अभाव है। शर्त यह है कि यह विश्वास उचित आधार पर हो। यह टपजींसए1982 ब्त्स्थ्र 1873;ठवउद्ध में अवधारित किया गया है।

4. सम्मति के बिना

सम्मति के बिना हटाया जाना आवश्यक है। सम्मति को धारा 90 में स्पष्ट किया गया है जिसके अनुसार भय या भ्रम के अधीन दी गई सम्मति कोई सम्मति नही है। सम्मति अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकती है। सम्मति स्पष्ट होनी चाहिए।

5. सम्पत्ति का हटाया जाना

चोरी का अपराध पूर्ण होने के लिये आवश्यक है कि सम्पत्ति को हटाया गया हो। यदि सम्पत्ति हटाने में असफल हो जाता है तो धारा 379/511 का अपराध तो बन सकता है किन्तु धारा 379 का नही। स्थायी रुप से हटाया जाना आवश्यक नही है। यदि कुछ समय के लिये भी हटाने का कार्य कर दिया गया है तो भी चोरी का अपराध पूर्ण हो जाता है।

चोरी का दण्ड

धारा 379- जो कोई चोरी करेगा

अधिकतम- 3 वर्ष तक का कारावास

धारा 380:- जो कोई ऐसे किसी निर्माण, तम्बू या जलयान में चोरी करेगा जो मानव निवास के रुप में या सम्पत्ति की अभिरक्षा के लिये उपयोग में आता हो

अधिकतम-7 वर्ष तक का कारावास

धारा 381- लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे की किसी सम्पत्ति की चोरी

अधिकतम-7 वर्ष तक का कारावास

धारा 382:- चोरी करने के लिये किसी व्यक्ति की मृत्यु, उपहति, अवरोध कारित करने की अथवा इनका भय कारित करने की तैयारी करके चोरी

अधिकतम-10 वर्ष तक का कारावास

केवल तैयारी मात्र से ही धारा 382 का अपराध बन जाता है। यदि मृत्यु या उपहति कर दी जाती है तो अपराध लूट का हो सकता है न कि चोरी । यदि कोई व्यक्ति वस्त्रों के अन्दर पिस्टल छिपा कर चोरी करता है तो वह धारा 382 के अधीन दंडित किया जा सकेगा।

उद्दापन Extortion

परिभाषा धारा 383:- जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को कोई क्षति करने के भय में साशय डालता है और इस प्रकार भय में डाले गये व्यक्ति को, कोई सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति या मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किये जा सकने योग्य कोई हस्ताक्षरित या मुद्रांकित चीज, किसी व्यक्ति को परिदत्त करने के लिये बेईमानी से उत्प्रेरित करता है, वह उद्दापन करता है।

आवश्यक तत्व

1. किसी व्यक्ति को क्षति करने के भय में साशय डालना

उद्दापन के अपराध के लिये क्षति के भय में डालना आवश्यक है। क्षति को धारा 44 में परिभाषित किया गया है। जिसका तात्पर्य ऐसी हानि से है जो किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति या सम्पत्ति को अवैध रुप से कारित हुई हो। इस प्रकार किसी भी तरह की हानि पहुँचाने का भय उद्दापन के अपराध को पूर्ण कर सकता है।

केवल सम्पत्ति संबंधी हानि का भय आवश्यक नही है।

उदाहरण स्वरूप मान-हानि कारक अपमान लेख प्रकाशित करने, घोर उपहति कारित करने के भय में डालना भी क्षति करने के भय में डालना होगा।

2- किसी व्यक्ति को कोई सम्पत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना:-

उद्दापन का अपराध गठित करने के लिए यह आवश्यक है कि भय में डाले गये व्यक्ति को बेईमानी से सम्पत्ति परिदत्त करने को उत्प्रेरित किया गया हो। यह अपराध तब पूर्ण होता है जब सम्पत्ति का परिदान (दे दी गई हो) हो गया हो। यदि भयभीत व्यक्ति द्वारा सम्पत्ति का परिदान नही किया जाता है तो धारा 385 या 387 में दण्डित किया जा सकता है। चोरी के अपराध में सम्पत्ति को हटाया जाता है जबकि उद्दापन के अपराध में सम्पत्ति देने को भय में डालकर उत्प्रेरित किया जाता है। भयभीत व्यक्ति हानि की आंशका से अपनी सम्पत्ति स्वयं परिदत्त करता हैं।

उद्दापन का दण्ड:-

धारा 384:- जो कोई उद्दापन करेगा।

अधिकतम- 3 वर्ष तक का कारावास

धारा 385:- जो कोई उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को किसी क्षति के पहुँचाने के भय मे डालेगा या डालने का प्रयत्न करेगा।

अधिकतम- 02 वर्ष तक का कारावास

धारा 386:- जो कोई किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालकर उद्दापन करेगा।

अधिकतम -10 वर्ष तक का कारावास

धारा 384 एवं 386 में मूल अन्तर यह है कि यदि धमकी मृत्यु या घोर उपहति कारित करने की दी गई हैं तो दण्ड 386 के अधीन दिया जायेगा। यदि साधारण क्षति करने की धमकी है तो दण्ड धारा 384 के अधीन दिया जायेगा।

धारा 387:- उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालना

अधिकतम- 07 वर्ष तक का कारावास

जब मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालने से सम्पत्ति का परिदान हो जाता है तो धारा 386, और यदि सम्पत्ति का परिदान नही होता है तो धारा 387 के अधीन दण्डित किया जायेगा

लूट (Robbery)

<u>परिभाषा धारा 390:-</u> सब प्रकार की लूट में या तो चोरी या उद्दापन होता है।

<u>चोरी कब लूट है:-</u> चोरी लूट है यदि उस चोरी को करने के लिए, या उस चोरी के करने में, या उस चोरी द्वारा प्राप्त सम्पत्ति को ले जाने या ले जाने का प्रयत्न करने में, अपराधी उस उदेश्य से स्वेच्छया किसी व्यक्ति की मृत्यु, या उपहति या सदोष अवरोध कारित करता है अथवा तत्काल मृत्यु का, या तत्काल उपहति का, या तत्काल सदोष अवरोध का भय कारित करता है या कारित करने का प्रयत्न करता है।

<u>उद्दापन कब लूट है:-</u> उद्दापन लूट है, यदि अपराधी वह उद्दापन करते समय भय में डाले गये व्यक्ति उपस्थिति में है, और उस व्यक्ति को स्वयं उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की तत्काल मृत्यु या तत्काल उपहति या तत्काल सदोष अवरोध के भय में डालकर उद्दापन करता हैं और इस प्रकार भय में डालकर भय में डाले गये व्यक्ति को उद्दापन की जाने वाली चीज उसी समय और वहॉ ही परिदत्त (देने के लिए) करने के लिए उत्प्रेरित करता हैं।

<u>स्पष्टीकरण:-</u> अपराधी का उपस्थित होना कहा जाता है, यदि वह उस अन्य व्यक्ति को तत्काल मृत्यु के, तत्काल उपहति के या तत्काल सदोष अवरोध के भय में डालने के लिए पर्याप्त रूप से निकट हो।

<u>आवश्यक तत्व:-</u>

1- उस उदेश्य से स्वेच्छया मृत्यु उपहति या सदोष अवरोध करना या भय कारित करना-

चोरी लूट में उस समय परिवर्तित हो जाती है जब अपराधी चोरी करने के लिए या चोरी से प्राप्त सम्पत्ति को ले जाने के लिए जानबूझकर मृत्यु, उपहति या सदोष अवरोध करता है अथवा इनका भय कारित करता हैं। इस प्रकार चोरी और लूट में मूल अन्तर मृत्यु, उपहति या सदोष अवरोध कारित करने अथवा इनका भय कारित करने में हैं। भय का तात्पर्य तत्काल भय से है।

2- उद्दापन के लूट में परिवर्तित होने के लिए तत्काल भय का होना आवश्यक है।

उद्दापन लूट में तभी परिवर्तित होता है जब अपराधी, पीड़ित व्यक्ति की उपस्थिति में हो और तत्काल मृत्यु तत्काल उपहति या तत्काल सदोष अवरोध के भय में डाला हो, और उद्दापन की जाने वाली चीज उसी समय और वहॉ ही देने के लिए उत्प्रेरित किया गया हो। इस प्रकार यदि इन तत्वों का अभाव है तो अपराध उद्दापन का होगा न कि लूट का।

<u>दण्ड:-</u>

धारा 392:- जो कोई लूट करेगा

अधिकतम 10 वर्ष तक के कारावास से और यदि लूट राज्यमार्ग पर सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच की जाये तो 14 वर्ष तक के कारावास से दण्डित किया जायेगा।

धारा 393:- जो कोई लूट करने का प्रयत्न करेगा।

अधिकतम 07 वर्ष तक का कारावास

जब लूट पूर्ण न हो पाए तो धारा 393 में अपराधी दण्डित किया जायेगा। इस प्रकार लूट का प्रयत्न करने में धारा 511 गठित नही होती।

धारा 394:- यदि कोई व्यक्ति लूट करने में या लूट का प्रयत्न करने में स्वेच्छया उपहति कारित करेगा, तो ऐसा व्यक्ति और जो कोई अन्य व्यक्ति ऐसी लूट करने में या लूट का प्रयत्न करने में सयुक्त तौर पर संपृक्त (शामिल) होगा।

अधिकतम- आजीवन कारावास

यह धारा संयुक्त उत्तदायित्व के सिद्धान्त पर आधारित है यदि लूट का एक भी अपराधी स्वेच्छया उपहति लूट करने में करता है तो धारा 394 का दण्ड सभी लूट में शामिल अपराधियों को दिया जा सकेगा। किन्तु शर्त यह है कि उपहति स्वेच्छया की गई हो और लूट करने में लूट का प्रयत्न करने में ही की गई हो। लूट के साथ यदि उपहति है तो उपर्युक्त धारा 394 होगी। उपहति में घोर उपहति भी शामिल है।

डकैती

परिभाषा धारा 391:- जब कि पॉच या अधिक व्यक्ति सयुक्त होकर लूट करते है या लूट करने का प्रयत्न करते है या जहॉ कि वह व्यक्ति जो सयुक्त होकर लूट करते है या करने का प्रयत्न करते है और वह व्यक्ति जो उपस्थित है और ऐसे लूट के किए जाने या ऐसे प्रयत्न में मदद करते है, कुल मिलाकर पॉच या अधिक है, तब हर व्यक्ति जो इस प्रकार लूट करता है या लूट का प्रयत्न करता है या उसमें मदद करता है, कहा जाता है कि वह डकैती करता है।

आवश्यक तत्व

1. कम से कम पाँच व्यक्तियो का होना-

लूट या लूट का प्रयत्न करने वाले व्यक्तियो की संख्या यदि पाँच या पॉच से अधिक है तो डकैती का अपराध गठित हो जाता है। वास्तविक लूट करने वाले पाँच या पाँच से अधीक है अथवा वास्तविक लूट करने वाले एवं वहाँ उपस्थित होकर लूट में मदद करने वाले व्यक्तियों की संख्या भी मिलाकर पाँच या पाँच से अधिक होती है। तो भी अपराध डकैती का होगा।

2. पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्ततः लूट या लूट का प्रयत्न करना:-

डकैती के अपराध में लूट कारित करने अथवा उसका प्रयत्न करने को समाहित कर लिया गया है। दोनो कार्यो का एक ही दण्ड है। लूट का होना आवश्यक है। यदि पाँच या अधिक व्यक्तियों द्वारा चोरी की जा रही है जो लूट में नहीं आती, तो अपराध डकैती का नहीं होगा। इसी प्रकार पाँच या अधिक व्यक्तियों द्वारा उद्दापन किया जा रहा है जो लूट की परिभाषा में नहीं आता है तो अपराध डकैती का नही होगा।

दण्ड

धारा-395:- जो कोई डकैती करेगा

अधिकतम आजीवन कारावास से

धारा-396:- हत्या सहित डकैती-

यदि ऐसे पाँच या अधिक व्यक्तियों में से, जो संयुक्त होकर डकैती कर रहे हो, कोई एक व्यक्ति इस प्रकार डकैती करने में हत्या कर देगा, तो उन व्यक्तियों में से हर व्यक्ति मृत्यु से या आजीवन कारावास से या दस वर्ष तक के कारावास से और जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

व्याख्या:- धारा-396 संयुक्त उत्तरदायित्व के सिद्धान्त पर आधारित है। यदि एक व्यक्ति द्वारा डकैती करने में हत्या की जाती है तो सभी शामिल डकैत धारा-396 के दण्ड से दण्डित किये जायेगें। इतना अवश्य आवश्यक है कि किसी व्यक्ति द्वारा हत्या डकैती करने में हुयी हो यदि हत्या डकैती करने में नहीं हुई हैं तो अन्य साथी धारा-395 में ही दण्डित किये जा सकेगें।

Rahimal v/s State of UP 1992 CrLJ 3819 All में अवधारित किया गया है कि जब अभियोजन पक्ष डकैती के दौरान हत्या का आरोप लगाता है, तो अपराध धारा 395 से धारा 396 के अधीन चला जाता है। किसी अपराध को धारा 396 के अधीन लाने के लिए अभियोजन पक्ष को यह साबित करना पड़ता है कि हत्या डकैती के दौरान की गई थी।

Kalika Tiwari v/s Vijay Bahadur Rai AIR 1997 SC 2186 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यदि कोई डकैत डकैती डालते समय या उसके अग्रसारण में हत्या कर देता है, तो उसके सारे साथी, जो उस डकैती डालने में हिस्सा ले रहे है, इस धारा के अधीन

सिद्धदोष किये जा सकते है, चाहे उन्होने डकैती में भागीदारी के अलावा हत्या में कोई भाग न लिया हो। ऐसे मामले में अभियोजन पक्ष के लिए धारा 34 में वर्णित कोई सामान्य आशय या धारा 149 में सामान्य उद्देश्य साबित करना आवश्यक नही होता। सभी इस धारा के अन्तर्गत दण्डित होगें। भले ही सभी ने हत्या के प्रयत्न में भाग न लिया हो।

धारा 397:- लूट या डकैती करते समय अपराधी किसी घातक आयुध का उपयोग करेगा, या किसी व्यक्ति को घोर उपहति कारित करेगा, या किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने या उसे घोर उपहति कारित करने का प्रयत्न करेगा, **तो वह कारावास, जिससे ऐसा अपराधी दण्डित किया जायेगा, सात वर्ष से कम का नही होगा।**

टिप्पणी:- इस धारा में केवल न्यूनतम दण्ड की व्यवस्था की गई है अत: लूट या डकैती के दण्ड की जो भी उपयुक्त धारा हो उसके साथ ही इस धारा का प्रयोग किया जा सकता है। इस धारा का प्रयोग केवल उन्ही व्यक्तियों के विरूद्ध किया जा सकता है, जो इस धारा की परिधि में आते हैं। घातक आयुध की श्रेणी में लाठी नही आती है, बन्दूक, तलवार जैसे आयुध घातक आयुध हैं। उपयोग करने का तात्पर्य केवल चोट पहुॅचाने से नही है बल्कि किसी व्यक्ति को भयभीत कर देना भी घातक आयुध के उपयोग करने की श्रेणी में आ जाता है।

धारा 398-यदि लूट या डकैती का प्रयत्न करते समय अपराधी किसी घातक आयुध से सज्जित होगा, तो वह कारावास, जिससे ऐसा अपराधी दण्डित किया जायेगा, सात वर्ष से कम का नही होगा।

टिप्पणी:- धारा 397 एवं धारा 398 का प्रयोग लूट या डकैती के दोनों अपराधों में किया जा सकता है।

धारा 399:- डकैती करने के लिए तैयारी करना (अधिकतम 10 वर्ष तक कारावास)

धारा 402:- डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित होना (अधिकतम 07 वर्ष तक कारावास)

धारा 400:- जो कोई ऐसे व्यक्तियों की टोली का होगा, जो अभ्यास्त: डकैती करने के प्रयोजन से सहयुक्त हो (अधिकतम आजीवन कारावास)

टिप्पणी:- यह धारा उन लोगों को दण्डित करती है, जो ऐसे लोगो की टोली के होते है जिन्होने डकैती करना अपना व्यवसाय बना रखा हैं।

धारा 401:- जो कोई ऐसे व्यक्तियों की किसी धूमती फिरती टोली या अभ्यास्त: चोरी या लूट करने के प्रयोजन से सहयुक्त टोली का होगा वह अधिकतम सात वर्ष के कारावास से दण्डित किया जायेगा।

टिप्पणी:- यह धारा चोरो और लूटेरों की टोलियों पर लागू होती है।

भा0द0सं0 की महत्वपूर्ण धारायें

धारा–22, चल सम्पत्ति–भूमि और भूमि से स्थायी रुप से जकड़ी हुई को छोड़कर प्रत्येक प्रकार की मूर्त सम्पत्ति चल सम्पत्ति है।

धारा–24, बेईमानी से –जो कोई इस आशय से कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष लाभ या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करें, वह उस कार्य को बेईमानी से करता है।

धारा–34, जब कोई आपराधिक कार्य साममान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है,तब प्रत्येक व्यक्ति के बारे में यह माना जायेगा कि जैसे–वह कार्य अकेले उसीने किया है।

धारा–52, सद्भावपूर्वक–कोई कार्य सद्भावपूर्वक किया गया माना जायेगा जब वह उचित सावधानी और सतर्कता के साथ किया जाता है।

धारा–82, कोई बात अपराध नही है जो सात वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है।

धारा–83, सात वर्ष से ऊपर किन्तु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य अपराध नही है।

धारा–84, विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य अपराध नही है जो कार्य करते समय चित्त विकृति के अधीन हो।

धारा–85, नशे में किया गया कार्य अपराध नही है यदि वह चीज जिससे नशा हुआ था, उसको अपने ज्ञान के बिना या इच्छा के विरुद्ध दी गई थी।

धारा–96, कोई बात अपराध नही है जो प्राईवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है।

धारा–97, प्राईवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का तात्पर्य किसी अपराध के विरुद्ध अपने एवं अन्य के शरीर अथवा सम्पत्ति की प्रतिरक्षा करना।

धारा–146, बलवा–जब किसी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे जमाव का हर सदस्य बलवा करने के अपराध का दोषी होगा।

धारा–147, जो कोई बलवा करने का दोषी होगा–दो वर्ष तक कारावास

धारा–149, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा किये गये अपराध के लिये प्रत्येक व्यक्ति उस अपराध का दोषी होगा।

धारा–159, दंगा–जब दो या अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शान्ति में विध्न डालते है,तब यह कहा जाता है कि वे दंगा करते है।

धारा–160, **जो कोई दंगा करेगा**–एक माह तक कारावास

धारा–182, लोक सेवक को मिथ्या सूचना देना– जो कोई लोक सेवक को मिथ्या सूचना देगा कि लोक सेवक अपनी शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति को क्षति करने के लिये करे– 6 माह तक कारावास

धारा–201, सबूत को गायब करना या मिथ्या सूचना देना– जो कोई यह जानते हुये कि कोई अपराध किया गया है,उससे संबन्धित साक्ष्य का विलोप करेगा अथवा मिथ्या सूचना देगा ताकि अपराधी को वैध दंड से बचाया जाय।

धारा–272, विकय के लिये आशयित खाद्य या पेय का जो कोई अपमिश्रण करेगा जिससे वह अपायकर बन जाये– आजीवन कारावास

धारा–273, अपायकर खाद्य या पेय को बेचना या बेचने का प्रस्ताव करना या अभिदर्शित करना– आजीवन कारावास

धारा–279, लोक मार्ग पर उतावलेपन या लापरवाही से वाहन चलाना या हांकना– 6 माह तक कारावास

धारा–294, लोकस्थान में या उसके समीप अश्लील कार्य करना या अश्लील गाने गाना,जिससे दूसरों को क्षोभ होता हो– 3 माह तक कारावास

धारा–295, किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से किसी पूजा के स्थान को या किसी पवित्र वस्तु को नष्ट,नुकसान ग्रस्त या अपवित्र करना– 2 वर्ष तक कारावास

धारा–295(क), धार्मिक भावनाओं को आहत करने के विद्वेषपूर्ण आशय से लिखित या मौखिक शब्दों,संकेतो या दृश्यरूपणों द्वारा धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करना– 3 वर्ष तक कारावास

धारा–353, लोक सेवक को अपने कर्त्तव्य पालन से रोकने या डराने के लिये हमला या आपराधिक बल का प्रयोग– 2 वर्ष तक कारावास

धारा–354, जो कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से या ज्ञान से उस स्त्री पर हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा– 2 वर्ष तक कारावास

धारा–361, व्यपहरण(kidnapping)–जो कोई 16 वर्ष से कम आयु वाले नर को,या 18 वर्ष से कम आयु वाली नारी को या पागल व्यक्ति को,विधिपूर्ण संरक्षता से उसके संरक्षक की सम्मति के बिना ले जाता है या बहका ले जाता है, वह व्यपहरण करता है।

धारा–362, अपहरण (Abduction):- जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिये बल द्वारा विवश करता है,या प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरित करता है,वह उस व्यक्ति का अपहरण करता है।

धारा–363, जो कोई किसी व्यक्ति का व्यपहरण करेगा–7 वर्ष तक कारावास

धारा–364, हत्या करने के लिये व्यपहरण या अपहरण– आजीवन कारावास

धारा–364(।), फिरोती आदि के लिये व्यपहरण या अपहरण–मृत्यु या आजीवन कारावास

धारा–366, विवाह को विवश करने अथवा अयुक्त संभोग करने को विवश किये जाने के लिये किसी स्त्री का व्यपहरण या अपहरण– 10 वर्ष तक कारावास

धारा–375, बलात्कार;त्ंचमद्ध **कि परिभाषा**

धारा–376, बलात्कार का दंड– जो कोई बलात्कार करेगा–आजीवन कारावास

धारा–377, प्रकृति विरूद्ध अपराध–जो कोई किसी पुरूष,स्त्री या जीव जन्तु के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरूद्ध स्वेच्छया इन्द्रिय भोग करेगा– आजीवन कारावास तक

धारा–405, आपराधिक न्यास भंग की परिभाषा

धारा–406, जो कोई आपराधिक न्यास भंग करेगा– 3 वर्ष तक कारावास

धारा–409, लोक सेवक,बैंकर,व्यापारी या ऐजेन्ट द्वारा आपराधिक न्यास भंग– आजीवन कारावास तक

धारा–415, Ny(Cheating):- **छल की परिभाषा**–असत्य को सत्य के रूप मे प्रस्तुत करना और दूसरे व्यक्ति द्वारा उस पर विश्वास करके कोई कार्य करना जो कि वह सत्य का पता होने पर न करता ।

धारा–420, छल करके किसी व्यक्ति को बेईमानी से सम्पत्ति परिदत्त करने के लिये उत्प्रेरित करना– 7 वर्ष तक कारावास

धारा–435, अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि(नुकसान)– 7 वर्ष तक कारावास

धारा–436, मकान आदि को नष्ट करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि– आजीवन कारावास

धारा–452, उपहति,हमला या सदोष,अवरोध की तैयारी के पश्चात गृह अतिचार– 7 वर्ष तक कारावास

धारा–457, कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिये रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रि गृह भेदन– 5 वर्ष तक कारावास,यदि वह अपराध जिसका किया जाना चोरी हो तो –14 वर्ष तक कारावास

धारा–504, जो कोई लोक शान्ति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से किसी व्यक्ति को साशय अपमानित करेगा– 2 वर्ष तक

धारा–506, जो कोई आपराधिक अभित्रास(धमकी देना)का अपराध करेगा– 2 वर्ष तक कारावास,किन्तु यदि धमकी मृत्यु या घोर उपहति इत्यादि कारित करने की हो तो **7 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जा सकेगा।**

धारा–511, अपराधों को करने के प्रयत्न करने के लिये दंड– उस अपराध के अधिकतम दंड से आधे तक का कारावास

7.62 M.M S.L.R IAI

1- दोहराई- रायफल के बारे में प्रश्न

2- उद्देश्य (Aim)- 7.62 mm S.L.R के बारे में जानकारी देना है।

3- आमबयान- Introduction and Orientation- S.L.R पैदल सेना का एक बहुत ही उत्तम और कारगर हथियार है। यह पैदल सेना एवं पैरा फोर्स के जवानो का व्यक्तिगत हथियार है। यह सेमी एटोमैटिक है। इसलिए इसे सैल्फ लोडिंग रायफल कहा जाता है। यह गैस से चलने वाला तथा स्वत: लोड होने वाला शस्त्र है।

उत्पत्ति:-

द्वितीय विश्व युद्ध के उपरान्त बेल्जियम के वैज्ञानिक डी0वाई0 सैव ने एक अर्द्धस्वचलित रायफल का निर्माण किया जिसे ABL (Arme Belgique Legere) रायफल कहा गया। इसे एफ0एन0 कम्पनी ने बनाया। उस समय इसका बोर 7.92 एमएम था और उसमें जर्मन एम्युनेशन प्रयोग किया जाता था । बाद में इस हथियार के बट एवं ट्रेगर में परिवर्तन किया गया और नया मॉडल 7.62 एमएम बोर में तैयार किया गया और इसमें नाटो का 7.62 एमएम कार्टिज प्रयोग किया गया और इस नये मॉडल का नाम FAL (Fusil Automatic Lager) रखा गया । इसी FAL हथियार से बाद में एस0एल0आर0 की उत्पत्ति हुई जिसे भारत में सन् 1965 में बनाया गया ।

4- **आम जानकारी** (General Data)

(A) रायफल का पूरा नाम-7.62 mm 1A1 S.L.R

(B) श्श एम्युनेशन-7-62 mm X51mm रिम लैस कार्टिज

(C) श्श कैलीवर-7-62 mm

(D) S.L.R की लम्बाई बिना बैनट(शार्ट बट)- 44.35 इंच

श्श श्श नार्मल बट के साथ- 44.85 इंच

,, ,, लम्बे बट के साथ- 45.35 इंच

,, ,, बैनट के साथ लम्बाई- 55.00 इंच

(E) बैरल की लम्बाई- 21.00 इंच

(F) रायफल का वजन खाली मैगजीन के साथ- 9 पौण्ड 11 औंस

(G) बैनट व भरी मैगजीन सहित रायफल का वजन- 11 पौण्ड 14 औंस

(H) बैनट का वजन- 10 औंस

(I) मैगजीन कैपेसिटी- 20 राउण्ड

(J) साइट रेंज 200 गज से 600 गज तक

(Kद्ध ग्रूब्ज 06(Right tulist)

(L) मजल वैलासिटी 2700 फिट + - 30 फिट प्रति सैकेण्ड़

(M) साइटिंग रेडियस 21.77 इंच

(N) रेट आफ फायर धीमा- 5 गोली प्रति मिनट

,, ,, तेज - 20 से 30 गोली प्रति मिनट

(O) कारगर रेंज 300 गज

5- विशेषतायें :-

1- कैरिंग हैड़िल लगा होने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाना व ले जाना आसान है।

2- फ्लैट ट्रेजैक्ट्री वेपन्स है।

3- आर्कटिक ट्रिगर होने के कारण ग्लब्स पहनकर बर्फिली इलाके में फायर कर सकते है।

4- साइड प्रोजैक्टर व टयूब लाचिंग लगाकर ग्रिनेड फायर किया जा सकता है।

5- बैनट लगाकर सी0क्यू0बी0 की लडाई में इस्तेमाल किया जा सकता है।

6- एक अच्छा फायरर एक मिनट में 60 गोली फायर कर सकता है।

7- मैकानिज्म आसान होने के कारण जवान रोको को स्वयं दूर कर सकता है।

कमियां :-

1- फ्लैट ट्रैजेक्टरी वैपन्स होने के कारण डैड ग्राउन्ड में छिपे दुश्मन पर फायर नहीं किया जा सकता।

2- सैल्फ लोडिंग होने की वजह से रोके पड सकती हैं ।

3- एम्युनेशन की बचत के लिए ऊंचे दर्जे की सिखलाई आवश्यक है।

6- एस0एल0आर0 का खोलना व जोड़ना।

(A) **एस0एल0आर0 खोलना**- किसी भी शस्त्र की सफाई के लिए एवं उसकी रोके एवं रूकाबट दूर करने के लिए जवान को शस्त्र का खोलना व जोड़ना ठीक प्रकार से आना चाहिए। सीखे हुए तरीके से रायफल का निरीक्षण करें। क्योंकि किसी भी शस्त्र को खोलने से पहले उसका सेफ्टी प्रीकोशन करना अति आवश्यक है।

(1) यकीन करो कि चैम्बर खाली है।

(2) सैफटी कैच श्रेश पर करो और मैगजीन उतारो

(3) बैनट कैच को दबाते हुए बैनट को उतारो ।

(4) अपर सिलिंग कडी को खोलो फिर लोअर सिलिंग कडी को रोल करते हुए रायफल से अलग करों।

गैस प्लग और पिस्टल:- गैस प्लग को खोलने के लिए बायें हाथ से गैस प्लग पिलन्जर को दबायें साथ ही साथ दाहिने हाथ से प्लन्जर को पकड़ते हुए गैस प्लग को घड़ी के सीधे रूख इतना घुमाओं कि हेयर लाईन 9 बजे की लाइन हो जायें। प्लग पर दबाव बनाते हुए गैस प्लग को बाहर निकालो और दाहिने तरफ रखो फिर दाहिने हाथ से पिस्टल व पिस्टल स्प्रिंग को बाहर निकालों और गैस प्लग के बायें रखों।

स्लाइड और ब्रीच ब्लॉक:- बायें हाथ से हैंड गार्ड तथा दाहिने हाथ से बाडी लांकिग लीवर कैच को पीछे करते हुए बट के नीचे करों । दाहिने हाथ से बाडी कवर को पीछे खींच कर एस0एल0आर0 से अलग करते हुए पिस्टल के बायें रखों।

रिटर्निंग राड़ को पकड़ कर पीछे खिचों और स्लाइड और बीच ब्लॉक को बाहर निकालो। ब्रीच ब्लॉक को स्लाड से अलग करों और बाडी कवर के बायें रखों।

बाड़ी ग्रुप:- शेष बचे बाड़ी ग्रुप को दाहिने हाथ से बट को ऊपर की तरफ झटका मारो ताकि बट बाड़ी लाकिंग लीवर से जोड़ा जायें।

एस0एल0आर0 का जोड़ना:-

जो पुर्जा सबसे बाद में खोला गया है वह सबसे पहले जोड़ा जायेगा।

(A) **बाड़ी ग्रुप**:- बायें हाथ से हैण्ड गार्ड तथा दाहिने हाथ से बट को पकड़ते हुए दाहिने हाथ के अंगूठे से बाड़ी लाकिंग लीवर कैच को पीछे करते हुए बट को नीचे दबाओं।

(B) ब्रीच ब्लॉक को स्लाड के अन्दर बैठाओं। स्लाइड की गाइड रिव बाडी की रेसिस से मिलाते हुए आगे तक जाने दो।

(c) **बाड़ी कवर**:- दाहिने हाथ से बाड़ी कवर को पकडते हुए बाडी कवर के रिव बाडी के ऊपर रेसिस से मिलाते हुए आगे जाने दो। दोनों हाथो की मदद से बट को बाडी लांकिग लीवर कैच में लगाते हुए जोड़ो।

(D) **पिस्टल और गैस प्लग**:- पिस्टल व स्प्रिंग को सिलेण्डर में दाखिल करो गैस प्लग की हेयर लाइन को 9 बजे की लाइन रखते हुए बाडी के उलटे रूख घुमाते हुए 6 बजे की लाइन करों।

बैनट:- 1- एस0एल0आर0 को खड़ा करों।

2- दाहिने हाथ से बैनट व बाये हाथ से एस0एल0आर0 पकड़ते हुए बैनट रिंग को फलैश-हाईडर के उपर से नीचे को दबाओं।

सिलिंग:- सीखें हुए तरीके से पहले लोअर भाग फिर अपर सिलिंग में डालते हुए मुनासिव कसना।

मैगजीन:- 1- मैगजीन का निरीक्षण करों।

2- छोटा मेहराव आगे व बड़ा मेहराब पीछे करते हुए बाये हाथ से मैगजीन हाऊजिंग में लगाओं किट की आवाज होगी। यकीन करो मैगजीन लग गयी है।

एस0एल0आर0 का लोड और अनलोड:-

(1) **मैगजीन का भरना**:- एस0एल0आर0 में 7-62x51 mm एम्युनेशन फायर किया जाता है।

(A) सर्वप्रथम भरे जाने वाले राउण्डो की गिनती करो।

(B) राउण्डों को साफ करों व मैगजीन को साफ करों।

(C) मैगजीन भरने के लिए मैगजीन का छोटा मेहराव अपनी तरफ रखते हुए मैगजीन को घुटनों पर बूट की टो पर टिकाओ राउण्ड का बुलट अपनी तरफ रखते हुए एक-एक राउण्ड भरो। भरते समय यदि कोई राउण्ड नीचे गिर जाता है तो उसे साफ करके अन्त में भरा जाय।

2- **मैगजीन का खाली करना:**- मैगजीन का बुलेट वाला हिस्सा बायें हाथ से नीचे की तरफ रखते हुए किसी नोकदार चीज से या किलिप की मदद से हर दूसरे राउण्ड को नीचे दबाओं। मैगजीन खाली होने पर राउण्डों को चार्जर क्लिीप में लगाओं।

एस0एल0आर0 का भरना:- एस0एल0आर0 से स्टैडिंग पोजिशन से भर पोजिशन बनाओं । बाया पैर थोड़ा बाये ले जाओ दाहिने हाथ से रायफल को आगे फ्रन्ट हैण्ड गार्ड को तथा दाहिने हाथ से पिस्टल ग्रिप को पकडो पैरल सामने 45श पर हो । अंगूली ट्रेगर गार्ड के बाहर हो। "भर" के हुकुम पर सैफटी कैच "S" पर करों वाउच का बटन खोलो रायफल को थोड़ा दाहिने टर्न करों। बायें हाथ से खाली मैगजीन उतारों पाउच में रखो भरी मैगजीन का निरीक्षण करो छोटा मेहराव आगे रखते हुए एस0एल0आर0 पर चढ़ाओं।

खाली करना:- "खाली कर" के हुकुम पर कलमे वाली अंगुली ट्रेगर से बाहर निकालों सैफटी कैच "S" पर करों। बायें हाथ से मैगजीन कैच दबाते हुए खाली मैगजीन उतारो पाउच में रखो रायफल को कॉक करो ट्रेगर दबाओ खाली मैगजीन लगाओ।

एस0एल0आर0 की चाल:- दो एस0एल0आर0 एक खुली हुई व एक जुडी हुई ।

पीछे की चाल:- जुड़ी हुई रायफल पर- जब ट्रेगर को दबाते हैं तो हैमर आजाद होकर फायरिंग पिन रिर्टनर पर ठोकर मारता है। जिससे फायरिंग पिन चैम्बर वाले राउण्ड के परक्यूशन कैप पर ठोकर मारती है जिससे गोली फायर हो जाती है। गोली फायर होने से गैस पैदा होती है जो बुलेट को आगे बैरल में धकेलती है। कुछ गैस बुलेट को तारगेट तक ले जाने में मदद करती है तथा कुछ गैस, गैस बैनटसे होते हुए गैस सिलेण्डर में पिस्टल हैड पर ठोकर मारती है जिससे पिस्टल पीछे को हरकत करता है। पिस्टल का पिछला हिस्सा स्लाइड के अगले भाग पर ठोकर मारता है जिससे स्लाइड व ब्रीच ब्लॉक पीछे को हरकत करते है जिससे ब्रीच ब्लॉक में बना एक्ट्रेक्टर खाली केश को पकड़कर चैम्बर से बाहर लाता है। कार्यवाही एक्सटैक्ट की हो जाती है।

गैस की ताकत से स्लाइड व ब्रीच ब्लॉक और पीछे हटते है। खाली केश बाड़ी में बने इजैक्टर से टकरा कर इजैक्सन स्लाट से बाहर गिर जाता है। कार्यवाही इजैक्ट की जो जाती है।

गैस की ताकत से स्लाइड पीछे हटते हुए हैमर को नीचे दबा देता है और ब्रीच ब्लॉक दबाव मैगजीन स्प्रिंग से हट जाता है जिससे मैगजीन स्प्रिंग ऊपरी राउण्ड को प्लेंट फार्म पर फीड़ पीस के सामने कर देती है। कार्यवाही फीड़ की हो जाती है।

स्लाइड के पीछे हटने पर रिर्टनिंग राड़ बट टयूब स्प्रिंग को बट टयूब में दबा देती है । स्लाइड वफर से टकराकर रूक जाती है तथा एस0सल0आर0 की पीछे की चाल समाप्त हो जाती है।

आगे की चाल:- बट टयूब स्प्रिंग ब्रीच ब्लॉक और स्लाइड को आगे धकेलती है जिससे ब्रीच ब्लॉक और स्लाइड आगे बढते है। जिससे ब्रीच ब्लॉक में बना फीड़-पीस मैगजीन के ऊपर वाले राउण्ड को चैम्बर में दाखिल कर देता है। कार्यवाही लोड की जो जाती है।

इसी दौरान ब्रीच ब्लॉक की चाल पुरी हो जाती है। मगर स्लाइड की कुछ चाल बाकी रह जाती है। स्लाइड जैसे ही आगे बढती है स्लाइड का पिछला व बायां पहलू नाम एक्च्यूटिंग बैन्ट सैफ्टी

सियर को आगे व नीचे दबा देता है। जिससे हैमर आजाद हो जाता है। कार्यवाही कॉक की जो जाती है।

जैसे ही हम ट्रेगर दबाते हैं तो हैमर फायरिंग पिन रिर्टनर पर ठोकर मारता है। कार्यवाही फायर की हो जाती है।

<u>रोकें तथा फौरी इलाज</u>:- यदि एम्युनेशन साफ हो तथा गैस रैग्युलेटर एवं चैम्बर जवान ठीक प्रकार साफ करे तो हथियार में रोकें नही पड़ती। एस0एल0आर0 में पड़ने वाली रोकें निम्नलिखित है-

1- **<u>मिस फायर</u>:**- यदि रायफल शुरू से फायर न करें या फायर करते-करते रूक जाय तो फौरी इलाज के लिए कलमे वाली अंगुली ट्रेगर से बाहर निकाले बट को कन्धे से नीचे लायें एस0एल0आर0 को कॉक करो, होल्डिंग ओपनिंग कैच लगाओं। रायफल को बायें टर्न करे इजैक्सन स्लाट से देखों।

यदि कॉक करने से चैम्बर से जिन्दा राउण्ड नीचे गिरता है तो गिरे राउण्ड को उठायें परक्युशन कैप को देखो । यदि चोट लगी है तो रोक का कारण मिस फायर रायफल को कॉक करो फायर जारी करो ।

2- **<u>खाली मैगजीन</u>:**- यदि फोरी इलाज की कार्यवाही के दौरान चैम्बर और मैगजीन दोनो खाली है तो रोक का कारण ''खाली मैगजीन''। सीखे हुए तरीके से खाली मैगजीन को उतारे भरी हुई मैगजीन का निरीक्षण कर लगायें और फायर जारी करें।

3- **<u>बाडी की रोक</u>:**- यदि मैगजीन भरा, चैम्बर में राउण्ड या खाली केश लटका हुआ हो तो रोक का कारण ''बाडी की रोक'' बाडी की रोक को दूर करने के लिए चाल वाले पुर्जो को पीछे रोकते हुए एस0एल0आर0 के दाहिने टर्न करके हिलायें। चाल वाले पुर्जे आगे जाने दे एवं फायर जारी करें

<u>रूकाबट</u>:- जिन रोको को फोरी इलाज की कार्यवाही से ठीक नही किया जाता वह रोके रूकाबट कहलाती है।

1- **<u>गैस की कमी</u>:**- यदि फायर करते समय फायर न हो फौरी इलाज की कार्यवाही में देखों। मैगजीन भरी चैम्बर खाली यह गैस की कमी के कारण रूकाबट ।

चाल वाले पुर्जो को आगे जाने दो, सैफटी कैच 'S' पर लगाओं । रायफल को पीछे खीचों गैस रैग्युलेटर को छोटे नम्बर पर फिट करों । एस0एल0आर0 आगे करो, सैफटी कैच 'R' पर करो और फायर जारी करों ।

2- **<u>पुर्जो का टूट जाना</u>:**- यदि फौरी इलाज की कार्यवाही के बाद भी एस0एल0आर0 फायर न करें तो रोक का कारण पुर्जो का टूट जाना। खाली कर की कार्यवाही करों और पुर्जो की बदली करों, फायर जारी करो।

3- **<u>चैम्बर की रोक</u>:**- यदि पुर्जे टूटे नही हैं तो चैम्बर में कटा केश रोक का कारण चाल वाले पुर्जो को पीछे करों क्लीयरिंग प्लग को चैम्बर में डालो फिर कॉक करो खाली कटे केश को क्लीरिंग प्लग से अलग करो

.303'' राइफल पाठ योजना

1. सबक का उद्देश्यः- .303'' राइफल की आम जानकारी देना है।

2. दोहराईः- वैपन्स कितने प्रकार के होते हैं-

प्प **आटोमेटिकः** एक साथ दो या दो से अधिक गोली फायर हो

प्प्प **सेमीआटोमेटिकः** बार-बार लोड अन लोड नहीं करना पड़ता दूसरी गोली फायर करने के लिए ट्रीगर से दबाव हटाकर पुनः दबाव लेने से फायर होता जायेगा।

प्प्प्प **डेड वैपन्सः** फायर करते समय बार-बार लोड और अनलोड करना पड़ता है

जैसे- .303'' राइफल।

प्ट जिस वैपन्स से हम फैलाव वाले इलाके में शत्रु की कैजुअल्टी कर सकते हैं।

जैसे- 2'' मोर्टर जी0एफ0 राइफल आदि।

3. तरतीब-

भाग 1:- प्रयोग में लायी जाने वाली राइफलें:- पैदल सेना/बलों में विभिन्न प्रकार की राइफलें प्रयोग में लायी जाती हैं। परन्तु हमारे पुलिस फोर्स में मुख्य तथा निम्न प्रकार की राइफलें प्रयोग में लायी जाती हैं।

1. राइफल नं0 1 माकZ III .303''
2. राइफल नं0 2 मार्क IV .22''
3. राइफल नं0 4 मार्क I .303'' (बैटल साइड या ड्यूल साइड)
4. राइफल नं0 4 मार्क I T .303'' टेन्जेन्ट राइड
5. राइफल ब्र ब्रेनो माडल टू .22''
6. 7.62 एम0एम0 एस0एल0आर0
7. 7.62 एम0एम0 ए0के0 47/ए0के0एम0 राइफल
8. 5.56 एम0एम0 इन्सास राइफल

नोटः- तरतीब में सिर्फ .303'' राइफल की जानकारी दी जायेगी।

राइफल की उत्पत्तिः- सन 1880 ई0 में कनाडा के निवासी जेम्स पेरिस ली नामक वैज्ञानिक ने इस राइफल का अविष्कार किया तथा 1902 ई0 में इन्फील्ड कम्पनी ने इसमें सुधार करके मार्क व एक छोटी मैगजीन लगायी। इस प्रकार वैज्ञानिक के नाम व कम्पनी के नाम को मिलाकर इस राइफल का पूरा नाम रखा गया।

जैसे- जेम्स पेरिस ली से ली शब्द

कम्पनी इनफील्ड से- इन्फील्ड शब्द

छोटी मैगजीन होने के कारण– शार्ट मैगजीन

कम्पनी में सुधार के आधार पर– स्टर व नम्बर मिलाकर पूरा नाम रखा गया।

राइफल का पूरा नाम– **1.** ली इनफील्ड शार्ट मैगजीन वन स्टार राइफल नं0 1 मार्क ष्ष्ष .303'' राइफल

2. ली इन फील्ड सार्ट मैगजीन वन स्टार राइफल नं0 IV .303''

राइफल शब्द से तात्पर्य:– बैरल के अन्दर गुब्ज कटे है जिसको राईफलिंग सिस्टम कहते हैं, इसी के आधार पर राइफल कहते हैं।

राइफल की आम जानकारी:–

विवरण	राइफल नं0 1 मार्क III	राइफल नं0 IV मार्क ।
1. लम्बाई	44'', 44.5'', 45''	44'', 44.5'', 45''
बैरल	25''	25''
बैनट	12.25''	8.5''
साइटिग रेडियस	19.40''	28.74''
2. वजन	8 पौण्ड 10½	9 पौण्ड 1 औन्स
बैनट	1.1 पौण्ड	7 औन्स, 2.7 पौण्ड
बैनट सहित राइफल	9. 11½	9.8 पौण्ड
वजन	10 राउण्ड	10 राउण्ड
मैगजीन क्षमता	50 राउण्ड बी0डी0आर0	50 राउण्ड बी0डी0आर0
पोज एम्युनीशन	.303''	.303''
कैलीवर	5 राउण्ड प्रति मिनट	5 राउण्ड प्रति मिनट
फायर क्षमता स्लो	10 से 15 राउण्ड प्रति मिनट	10– 15 राउण्ड प्रति मिनट
रैपिड	200^X ls 2000^X	300^X से 600^X
साइट रेन्ज		200^X ls 1300^X
		200^X से 1600^X
	300^X	300^X
कारगर रेन्ज	2440' प्रति सेकेन्ड	2440' प्रति सेकेन्ड
मजलवेला सिटी	4–5 तक	5–6 तक
ग्रुब्ज	लीव बैक साइट	टेन्जेन्ट साइड, ड्यय या बैटल साइड
बैक साइट प्रकार		

विद्दोषतायें:– 1. सिगंल शाट व रैपिड फायर किया जा सकता है। फ्लेट टेजक्ट्री शस्त्र है।

2. कारगर रेन्ज 300^X है जो काफी प्रभावकारी है।

3. सिखलाई के बाद अन्य शस्त्रों की सिखलाई आसान हो जाती है जिस कारण इसे बेसिक वैपन्स कहते हैं।

4. रोके आसान हैं।

5. ट्रेसर राउण्ड फायर करके तारगेट इन्डिकेट कर सकते हैं।

6. C.Q.B. शस्त्र है । बैनटलगा कर गुथम-गुत्था की लड़ाई लड़ सकते हैं।

कमियाँ:- 1. कारगर रेन्ज कम है।

2. बार-बार लोड अनलोड करना पड़ता है इसलिए इसे डेड़ वैपन भी कहते हैं।

3. फ्लेट टेजक्ट्री शस्त्र होने के कारण आड़ के पीछे छुपे हुए दुश्मन पर फायर नहीं किया जा सकता है।

भाग–2

राइफल का खोलना हिस्से पुर्जों का नाम व काम व जोड़ना:–

आवश्यकता:– 1. राइफल का रखरखाव व सफाई करने हेतु

2. रोक पड़ने या हिस्से पुर्जो के टूट जाने की दशा में आसानी से पुर्जे बदल सकें।

3. अपने शस्त्र पर पूरा भरोसा हो जाता है।

सेफ्टी प्रीकाशन– 1. अप्रिय घटनाओं से बचने हेतु ।

सेफ्टी प्रीकाशन की दक्षायें:–

1. कोत से राइफल उठाते समय

2. फायर से पहले व फायर के बाद

3. क्लास शुरू करने से पहले व क्लास के बाद

4. सन्तरी ड्यूटी या रेकी पेट्रोल जाने से पहले व आने के बाद

5. राइफल को कोत में जमा करने से पहले।

राइफल की पहचान:–

1. लकडी के रंग से

2. बट नम्बर व आर्सनल नम्बर से

आर्सनल नम्बर:– 1. मैगजीन पर 2. बोल्ट नाव लीवर पर 3. नेक्स फार्म के दाहिने किनारे पर 4. लीफ बैक साइड के नीचे 5. स्टाकफोर हैण्ड गाड पर 6. नोज कैप के नीचे 7. बैनटवेस पर

राइफल नं0 4 मार्क । :– 1. मैगजीन 2. बोल्टनाव लीवर 3. साकिट बैण्ड 4. नेक्स फार्म के आगे रियर हैण्ड गार्ड पर 5. स्टाक फोर इन्ड नोज कैप के नीचे।

खोलना:– बसवम के आधार पर कार्यवाही कलास करके

ब– बैनट
स– सिलिंग
व– बोल्ट
म– मैगजीन

पूर्जे रखने की तरतीब:– दाहिने से बायें क्रमश: एक सीध में रखे जायें।

हिस्से पुर्जों के नाम व काम:–

बाडी ग्रुप:– राइफल के 3 भाग होते हैं– 1. बट ग्रुप 2. बाड़ी ग्रुप 3. बैरल ग्रुप

बट ग्रुप:– 1. बट प्लेट से साकिट बैण्ड तक का भाग पर ग्रुप है। 2. तीन प्रकार के बट छोटा– 12'', मध्यम 12) बड़ा 13'' बट प्लेट ५ास्त्र एक्सर साइज, बटट्रिप– आयल बोतल व चिन्दी के रखने हेतु, टो–बट– विश्राम की दक्षा में राइफल रखने, हिलबट– सावधान की दशा में, स्माल ऑफ–दी–बट– मजबूत पकड के लिए, साकिट बैण्ड– बट व बाडी ग्रुप को जोडता है।

बाडी ग्रुप– सेफ्टीकैच– ताले का का काम, सियर– काकिंग पीस के पीछे रोकता है, लाकिंग बोल्ट– काकिग पीस को सेफ की दशा में पीछे रोकता है, तथा लाकिन पिन बोल्ट के उपर उठने से रोकती है।

बोल्ट रिटर्निंग कैचः– बोल्ट खोलते समय काम आता है।

रजिस्टिंग सोल्डरः– लोड़ करते समय बोल्ट रूकता है।

बृज चार्जर गाइड– भर की कार्यवाही में चार्जर को गाइड करता है।

बैरल ग्रुपः– नेक्स फार्म से मजल एण्ड तक

चेम्बर– राउण्ड भरा जाता है। स्टाक फोर हैण्ड/रियर हैण्ड फोर हैण्ड गार्ड शस्त्र कवायत व फायरिंग में मजबूत पकड़ हेतु ।

आउटर बैण्डः– राइफल में लकडी को जोड़ता है तथा सिलिंग कडी को जोड़ता है।

वैक साइड लीवः– एलीवेशन देना, साइट एलाइनमेन्ट को दुरूस्त करना तथा फोर साइट का काम प्वाइंट आफ 'एम' को कवर करना या दूर के निशान को कवर करना।

बोल्टः– मैगजीन से राउण्ड को चेम्बर में दाखिल करना, फायर करना तथा चेम्बर के खोखा, चिन्दा राउण्ड को बाहर निकालना।

मैगजीनः– राइफल में राउण्ड भरकर लगायी जाती है। डब्ल्यू स्प्रिंग मैगजीन के ऊपरी राउण्ड को बोल्ट फेस के सामने चेम्बर में जाने के लिए तैयार करना।

मैगजीन लिप्सः– मैगजीन के अन्दर राउण्डों को रोके रखना।

शक व सवालः– प्रश्न उत्तर से समझाना।

जोड़नाः– खोलने के ठीक उलट कार्यवाही होगी साथ साथ रिक्रूटों की राइफलें भी उनके द्वारा जोड़ने की कार्यवाही करायेंगें।

बोल्ट लगाते समय ध्यान देने वाली बातेंः–

1. बाडी व बोल्ट का नम्बर एक
2. बोल्ट हेड की चूडियाँ मुनासिव कसी
3. बोल्ट हेड व बोल्ट रिब एक सीध में हों
4. फुल वैण्ड व स्टील लग एक सीध में हों
5. सेफ्टी कैच पूरा आगे हो
6. राइफल नं0 4 मार्क ५ की टेन्जेन्ट साइट खड़ी हो

अभ्यास खोलने जोड़ने काः–

1. क्लास को दूर टास्क में भेंजे
2. बोल्ट व मैगजीन आपस में बदली करें
3. बोल्ट हेड की चूडियां आवश्यकता से ज्यादा ढीली कर दो
4. वाच करो कि बताये तरीके से जोड़ने की कार्यवाही हो रही है या नहीं

नोट:– अन्त में आँख बन्द करके खोलने व जोडने का अभ्यास जब तक जवान भली–भाँति खोलना जोड़ना न सीख जाये।

भाग–3

भरना व खाली करना:– रोकों से बचने व कारगर फायर करने के लिए आवश्यक है कि जवान को भरते समय की आम हिदायतों से भली–भाँति समझाया जाय।

1. एम्यूनीशन की सफाई

2. चार्जर किलिप का भरना:– 3 अप 2 डाउन

राइफल का भरना:– निलिग या सीटिग पोजीशन से नमूना बाद नमूना अभ्यास

I. **राइफल भरी मानी जाती है:**–

1. मैगजीन में राउण्ड हों
2. चेम्बर खाली हो
3. सेफ्टी कैच पीछे हो
4. काकिग पीस आगे हो
5. पोच के बटन बन्द हों

II. **राइफल खाली मानी जाती है:**–

1. चेम्बर, मैगजीन खाली हो
2. काकिंग पीस आगे हो
3. सेफ्टी कैच पीछे हो

III. **राइफल रेडी मानी जाती है:**–

1. चेम्बर में राउण्ड हों
2. सेफ्टीकैच आगे हो
3. काकिग पीस पीछे हो
4. कलमे वाली अंगुली ट्रेगर पर
5. फायरर फायरिंग पोजिशन में राइफल कन्धे में मजबूत पकड़ के साथ
6. पोच के बटन बन्द हों

भरना, खाली करने का पूर्ण अभ्यास उपरोक्त वर्णित तीनों दशायें समझाकर ।

भर पोजीशन से राइफल का भरना व पकड़:– अच्छे फायर के तीन बुनियादी सिद्वान्तों को ध्यान में रखते हुए 3 भागों में बताया जायेगा जो निम्न प्रकार है:–

भाग 1– भर पोजीशन से मजबूत पकड़

भाग 2– सही शिस्त

भाग 3– दुरूस्त ट्रेगर का दबाना

भाग 1– भर पोजीशन और मजबूत पकड़:– नमूना साथ नकल

भर पोजीशन में ध्यान देने वाली बातें:–

1. बदन लाइन आफ फायर से तिरछा हो ।

2. दोनों टांगे खुली एड़िया जमीन से चिपकी हुई।

3. दाहिना हाथ राइफल के स्माल आफ दी बट पर तथा बाया हाथ तौल बिन्दु पर, बैरल जमीन की सतह से 4'' उपर उठी बट सीने के सामने इतना आगे हो कि आसानी कन्धे में ले जाये जा सके।

4. शरीर के नीचे चुभने वाली चीज हो तो हटा दिया जाए।

5. सीना कुदरती तौर से उठा नजर सामने।

मजबूत पकड़:- राइफल को कन्धें में ले जाओ।

1. बायें हाथ का काम राइफल तारगेट की सीध में उठाना।

2. दाहिने हाथ का काम स्माल आफ दि बट को पकड़े मजबूत पकड़ हासिल करना।

3. दाहिने गाल का काम व सिर का काम बट को उपर उठने से रोकना।

4. कन्धे का काम बट को पीछे आने से रोकना।

प्रदर्शन व अभ्यास

<u>भाग 2- सही शिस्त:</u>- निम्न बातों को ध्यान में रखो:-

1. राइफल को सीधा रखो

2. तारगेट को देखो और शिस्त की जगह नियुक्त करो

3. कन्धे के खिलाफ आँख बन्द करो

4. बैक साइट से फोर साइट पर नजर जमाओ

5. फोर साइट की नोक बैक साइट **U** के दोनों कन्धों की ऊचाई के बरावर/अपरचर के बीचोबीच रखते हुए शिस्त की जगह से मिलाना। **अभ्यास RAT या एमिग रेस्ट पर एम करेक्टर की सहायता से देखो गलती ठीक कराओ बाद में एमिंग वाक्स एक्सर साइज भी कराओ।**

<u>भाग 3- सही ट्रिगर का दबाना:</u>- सही ट्रेगर आपरेशन के लिए चारों **TOE** अभ्यास विधिवत कराया जाय।

1. **TOE – N0.1-** हाथ पर काबू पाते हुए कलमे वाली अंगुली को हरकत देना।

2. **TOE – N0.2.** हाथ के रग पुठ्ठों पर काबू करना।

3. **TOE – N0.3-** दिमाग व कलमे वाली अंगुली में तालमेल पैदा करना।

4. **TOE – N0.4-** आँख दिमाग व कलमे वाली अंगुली में तालमेल पैदा करना मजबूत पकड़ के साथ अर्थात लिम्बर अप की कार्यवाही।

<u>भाग- 4</u>

<u>फायर करना:</u>-

1. उपरोक्त तीनों सिद्वान्तों का विधिवत अभ्यास व समझाने के बाद फायर करने को जानकारी दी जाती है।

2. सिंगलशाट 5 राउण्ड प्रति मिनट व रैपिड फायर 10 से 15 राउण्ड प्रतिमिनट के हिसाब से फायर कराया जाता है।

<u>फायर का कम:-</u> अच्छे फायर परिणाम के लिए निम्न बातों का ध्यान में रखना आवश्यक है-

1. पक्का इरादा- हौसला बुलन्द हो घबराहट न हो।

2. समय- सही समय 6 सेकेन्ड।

3. रेन्ज- दिया गया रेन्ज सेट किया हो नही ंतो साइट लगाओ।

4. सही शिस्त- सही साइट एलाइनमेन्ट की कार्यवाही से।

5. सांस नियंत्रण- राइफल की उपर नीचे की हरकत रोकने हेतु।

6. फायर- ट्रेगर के दोनों दबाव बारी-बारी दवाओ पहला 3 से 4 पौण्ड दूसरा 5 से 6) पौण्ड का।

7. फॉलोथ्रो- गोली फायर हो जाने के बाद पकड़ एवं शिस्त को जब तक दुरूस्त रखना तब तक गोली तारगेट पर हिट नही हो जाती।

8. मार पुकार- तारगेट के कवर प्वाइन्ट को पुकारो।

9. रिलोड़- पकड़ को बनाये रखते हुए दाहिने/बायें हाथ से रिलोड कर पूर्व की भाँति फायर करो।

अभ्यास- आई/एमिंग डिस्क की सहायता से।

<u>कुदरती सिधाई हॉसिल करना:</u>- लिम्बर अप की कार्यवाही करते समय कुदरती सिधाई लेना विधिवत बताया जाय जो निम्न प्रकार से होती है।

1. राइफल को कन्धे में ले जाओ बिना शिस्त राइफल की पोजीशन तारगेट के किस भाग पर है।

1. उपर है तो बदल को आगे करो, कोहनियों को क्लोज करो।

2. नीचे है:- बदन को पीछे कोहनियों को खोलो।

3. दाहिने:- बदन को थोड़ा दाहिने करो।

4. बायें:- बदन को थोड़ा बायें करो और राइफल को बिना शिस्त तारगेट को बीच में सेट करो ''इस प्रकार फिर बायें हाथ की कोहनी को मत हटाओ।''

<u>फायरर द्वारा गलती व परिणाम:</u>- फायर करते समय निम्न प्रकार की गलती अक्सर होती है, उसका परिणाम निम्न प्रकार होता है-

1. सिर मारना, आँख बन्द करना:- गोली 11 बजे की लाइन लगेगी।

2. कन्धा मारना:- नीचे 7 बजे की लाइन में गोली लगेगी।

3. झटके से ट्रेगर दबाना:- गोली 4 बजे की लाइन लगेगी।

4. सॉस पर काबू न करना:- गोलियाँ उपर नीचे लगेगी।

5. ढीली पकड़- तारगेट मिस कर सकती है अथवा गोली कहीं भी लग सकती है।

नोट:- अभ्यास के दौरान उक्त बातों पर विद्योष ध्यान दिया जाय।

<u>भाग-5</u>

रोकें व रूकाबटें दूर करना:– आम तौर पर राइफल में कम रोक पड़ती है। रोक पड़ने पर जवान स्वयं दूर कर सकता है।

1. चेम्बर की रोक:– 1. मिस फायर

2. डबल फीड़

2. मैगजीन की रोक:–1. मैगजीन लिप्स का ढीला होना अर्थात डबल फीड की कार्यवाही।

2. अनफिट मैगजीन।

3. रूकाबर्टे:– किसी आवश्यक पुर्जे का टूट जाना।

हाफ कॉक व सेफ्टीकैच का काम:– राइफल में दो प्रकार की सेफ्टी है–

1. एप्लाईड् सेफ्टी– सेफ्टी कैच
2. मैकेनिकल सेफ्टी– हाफ कॉक

1. सेफ्टीकैच का काम:– राइफल में ताले का काम करता है अर्थात हादसा होने से रोकता है।

सेफ्टीकैच का काम निम्न प्रकार है:–

सेफ्टीकैच पीछे हो:– राइफल कॉक हो और सेफ्टीकैच पीछे करने पर लाकिंग बोल्ट लाकिंग पीस के अगली रेसेज में आ जाता है तथा सियर से फुल बैण्ड का लगाव टूट जाता है। ट्रेगर दबाने से काकिंग पीस हरकत नहीं करता।

2. जब काकिंग पीस आगे हो सेफ्टीकैच पीछे हों तो सेफ्टी बोल्ट पिछली रेसेज में जिस कारण बोल्ट नहीं खुलता।

<u>हाफ कॉक व कारण:</u>– निम्न कारण से होता है–

1. सेफ्टीकैच का पूरा आगे न होना।

2. बोल्ट नाब लीवर का पूरा न बैठाना व ट्रेगर दबा देना। पुन: बोल्ट नाव लीवर को नीचे बैठना व सेफ्टी कैच आगे करना।

<u>हाफ कॉक की दशा</u>:–

1. शियर फुल बैण्ड से हाफ बैण्ड में फंस जाती है। ट्रेगर नहीं दबता।

2. डिवीजनल स्टड व काकिग पीस स्टड साइड टू साइड हो जाते हैं– बोल्ट नहीं उठता।

<u>हाफ कॉक दूर करना</u>:– 1. कॉकिंग पीस को पीछे खीचों ।

2. कारण को दूर करो।

3. रिलोड् करो फायर करो।

<u>भाग–6</u>

1– पीछे की चाल:– 1. अनलॉक– बोल्ट हैड का 1/8'' पीछे हटना, बोल्ट रिव रजिस्ट्रिंग सोल्डर व स्टील लग बाडी इनक्लाइन स्लाट झिर्ररी को छोड़ना।

2. एक्सटेक्ट:– एक्सटेक्टर का खोखे राउण्ड को इजक्टर की सीध तक लाना।

3. इजेक्ट:– बाडी में बायीं तरफ बने इजक्टर से खोखे का टकरा कर बाहर गिर जाना।

4. फीड:– बोल्ट हैड का रजिस्ट्रिंग सोल्डर टकराना, **W** स्प्रिंग की ताकत से राउण्ड का बोल्ट फेस के सामने आना।

2– **आगे की चालः**– **1. कॉकः**– सियर व फुल बैण्ड का लगाव।

2. लोड़ः– बोल्ट केस का मैगजीन से राउण्ड को चेम्बर में दाखिल करना।

3. लॉकः– बोल्ट हेड द्वारा ब्रीचको बन्द करना, बोल्ट रिव का रजिस्टिंग सोल्डर को कवर करना, स्टील लग का बाड़ी में बने इनक्लाइन स्लॉट को कवर करना।

4. फायरः– ट्रेगर दबाने पर स्टाइकर का राउण्ड के .22 कैप पर ठोकर मारना तथा फायर होना।

<u>नोटः</u>– भरी व स्कल्टन राइफल से प्रदर्शित कर चाल बतायी जाय।

7.62 एम.एम. ए.के.एम असाल्ट राइफल

1- उददेश्य:-7.62 एम.एम. ए.के.एम असाल्ट राइफल के बारे में आम जानकारी देना है ।

2- दौहराई:-कार्बाइन की मैगजीन में कितने राउन्ड आते है सवाल जबाब से

3- तरतीब भागो में

भाग 1-राइफल की आम जानकारी-राइफल का पूरा नाम 7.62 एम.एम. ए0के0एम0

1-सेफ्टीप्रीकाशन- 1- मैगजीन को उतारो

2- चैन्ज लीवर फायर पोजीशन में करो

3- कॉक करो चेम्बर को देखो

4- चाल वाले पुर्जे आगे जाने दो

5- ट्रेगर दबाओ

6- चेन्ज लीवर एस पर करो

7 खाली मैगजीन लगाओ

जनरल डाटा- पूरा नाम 7.62 एम एम असाल्ट राइफल

कैलीवर	7.62 एम एम
एम्यूनिक्षान	7.62X39 एम एम
बैरल की लम्बाई	414 एमएम
साइटिंग रेडियस	376 एम0एम0
वजन	3.150 किलोग्राम
खाली मैगजीन	322 ग्राम
भरी मैगजीन	827 ग्राम
कारगर रेन्ज	300 मीटर
अधिकतम रेन्ज	1000 मीटर
मजल वैलासिटी	715 मीटर / सेकिन्ड
ग्रुब्ज	4

साइक्लिक रेट आफ फायर 600 राउन्ड/ मिनट

मैगजीन क्षमता 30 राउन्ड

रेट आफ फायर ब्रस्ट -1 मिनट में 1 मैगजीन

सिंगल 1 मिनट में 1 मैगजीन

रेपिड् 1 मिनट में 3 से 4 मैगजीन

चेन्ज लीवर की दशा एस

ए

आर

सफाई की चिन्दी की माप सूखी 4X2 और तेल 4X1.5

सेफ्टी डिवाइस एप्लाईड सेफ्टी - चेन्ज लीवर

मैकेनिकल सेफ्टी - रोटेटिंग बोल्ट

बैनट की लम्बाई 10 इंच

विशेषताये :- 1- सिगंल/ आटोमेटिक फायर सिस्टम

2- मैगजीन क्षमता 30 राउन्ड

3- प्रेस्ड शीट मैटल की बॉडी बनी होनी के कारण वजन में हल्की व मजबूत

4- बैरल की पृष्ठ कोमियम धातु की होने के कारण गैस फाउलिग कम जमती है।

5- सी0क्यू0बी0 का शस्त्र है।

6- बैनट व स्केबर्ड से कटर बनाया जा सकता है ।

7- ब्लैन्क फायर अटेचमेन्ट लगाकर ब्लैन्क राउन्ड आटोमेटिक फायर किया जा सकता है ।

<u>**कमियाँ :-**</u> 1- रोके अधिक पडती है

2- फ्लेट टेजक्ट्री का शस्त्र है ।

3- डेड ग्राउन्ड में छुपे दुश्मन पर फायर नही किया जा सकता ।

अन्तर	
ए0के0एम0	ए0के0 47
रिसीवर कवर में ट्रान्सफर रिव है	नही है
लम्बाई 876 एम एम	869 एम एम
लकडी व फोल्ड बट है	लोहे का बट है
वजन 3.150	4.800
साइट लिमिट 100 -1000	100-800
कमपैन सटर लगा है	नही है
बैरल क्लिनिग राड लगा है	नही है
बलैन्क फायर अटेचमेन्ट है	नही है

बैनट में अन्डर कट रिब्स बने है	बैनट तिकोना टाइप है

खोलना:- 1- राइफल का निरीक्षण

2- मैगजीन उतार कर कॉक करो

3- ट्रेगर न दबाया जाये

4- चेन्ज लीवर फायर पोजीशन में करो

<u>कार्यवाही</u> :- राइफल खोलने की तरतीब निम्न प्रकार होगी तथा उपयोगिता या काम निम्न प्रकार होगा ।

1- सिलिग- शस्त्र को लाने-लेजाने हेतु लगी होती है ।

2- बैनट - सी0क्यू0बी0 में काम आता है

3- मैगजीन- राउन्ड भरने के काम आती है ।

4- रिसीवर कवर- चाल वाले पुर्जो को धूल मिट्टी से बचाता है ।

5- रिटर्निग रोड - चाल वाले पुर्जे आगे की ओर धकेलता है ।

6- रिसीवर - रोटेटिंग बोल्ट को आगे पीछे ले जाता है। तथा राइफल को एक्शन कॉक करता है ।

7-रोटेटिग बोल्ट- लोड व अनलोड व फायर की कार्यवाही करता है ।

8- गैस टयूब - पिस्टन को आवश्यक गैस पहुचाता है ।

9-कम्पैन सटर- राइट स्वीग व मजल क्लाइम को रोकता है ।

10- क्लीनिग राड - बैरल साफ करने के काम आती है ।

जोडना:- जो पुर्जा सबसे बाद में खुला है सबसे पहले जोडा जायेगा ।

रायफल की सफाई:- तीन भागो में बतायी जाये जैसा कि .303 राइफल में भी बताया गया है।

1- आम सफाई

2- फायर से पहले की सफाई

3- फायर से बाद की सफाई

रायफल का भरना व खाली करना व साइट लगाना

1- मैगजीन का भरना व सफाई

2- मैगजीन का छोटा महराव अपनी तरफ रखते हुए क्रमश: राउन्डो को गिनकर भरो 30 राउन्ड भर जाने के बाद आगे मत भरो व बडे महराव में छेद से देखो । राउन्ड का पेदा दिखाई देगा ।

खाली करना- अंगूठे या चार्जर क्लिप की मदद से खाली करो ।

<u>राइफल का भरना</u> - भर पोजीशनसे हुक्म भर पर खाली मैगजीन उतार कर भरी मैगजीन लगाओ। चेन्ज लीवर "S" पर रहेगा ।

रेडी पोजीशन- 1-राइफल को कन्धे में ले जाओ ।

2- चेन्ज लीवर फायर पोजीशन में ।

3- राइफल को कॉक करो ।

4- अगले आदेश का इन्तजार करो ।

खाली कराना :- 1- चेन्ज लीवर "S" पर करो ।

2- भरी मैगजीन उतारो ।

3- चेन्ज लीवर फायर पोजीशन में करो ।

4- राइफल कॉक करो । ट्रेगर दबाओ, चेन्ज लीवर "S" पर करो, खाली मैगजीन लगाओ ।

मेक सेफ:- खाली कर की पूरी कारवाई के बाद भरी मैगजीन लगाओ। यह एक आड़ से दूसरी आड़ में जाते समय किया जाता है ।

<u>रायफल में पड़ने वाली रोकें व रूकाबटें तथा दूर करना</u>

1- मैगजीन की रोक:- I. खाली मैगजीन, II. अनफिट मैगजीन

2- चेम्बर की रोक:- Iणमिस फायर, II. साईज से मोटा राउन्ड, III. चेम्बर में कटा केश

3-बॉडी की रोक:- I. डबल फीड:- मैगजीव व इजेक्शन की गलती से होती है।

<u>रूकाबटें</u>::- किसी पुर्जे का टूट जाना स्पेयर पार्ट से बदली करों या आरमोरर द्वारा बदली कराओं। बाद अभ्यास सवाल जबाव से भी

ए0के0एम0 रायफल की चाल:

पीछे की चाल

I. अनलॉक:- रोटेटिंग बोल्ट दाहिने से बायें घूम जाता है।

II. एक्सट्रेक्ट:- एक्स ट्रेक्टर का खोखे राउन्ड को चेम्बर से बाहर निकालकर इजेक्टर की सीध में लाना।

III. इजेक्टर:- खोखा टकराकर बाहर गिरना।

IV. फीड:- मैगजीन का उपरी राउण्ड फीडपीस की सीध में आना।

आगे की चाल

I. लोड-राउन्ड का चेम्बर में दाखिल होना।

II. कॉक-रिसीवर का दाहिना व पिछला पहलू सेफ्टीसियर को दबाता है गन कॉक हो जाती है।

III. लॉक:- रोटेटिंग बोल्ट का बॉयें से दाहिने घूम कर रेसिस में बैठ जाना।

IV. फॉयर:- फायरिंग पिन का राउण्ड के पैदें में चोट मारना ही फायर हो जाता है।

संक्षेप:- सवाल-जवाब से 1 और अभ्यास

इन्सॉस 5.56 एम0एम0

उद्देश्य सबक का उददेश्य 5.56 एम0एम0 इन्सास की जानकारी:-

INSAS IN- INDIAN, S-SMALL, A-ARMS, S-SISTEM

आम ब्यान:-

लडाई के मैदान में एक जवान की जिन्दगी जितनी उसके दुरूस्त निशाने पर निर्भर करती है। उतना ही किसी शस्त्र को खोलने व जोडने व जानकारी पर निर्भर करती है। इसलिए शान्ति प्रशिक्षण काल में प्रत्येक जवान को इतना अभ्यास दिया जाये कि वह चन्द मिनट जाया किये बगैर इस कार्यवाही में अमल में ला सकें।

उत्पत्ति:-

द्वितीय विश्व युद्व के बाद रूस में 7.62ग39 ए0के0 47 शस्त्र अपनायें। यह शस्त्र अमेरिका में निर्मित 7ण्62ग54एम0एम0 शस्त्र ए0के0 47 शस्त्र के सामने अच्छा प्रर्दशन नही कर सकें क्यों कि ए0के0 47 के हलके वजन व कम रिक्वाल होने के कारण हिट प्रतिशत अधिक रहा।

इन सिद्वांतों को ध्यान में रखते हुये ए0आर0डी0ई0 पूना में वर्ष 1979 में एक कान्फ्रेन्स हुई कि क्यों न एक ऐसा शस्त्र इजाद किया जाये कि जिसमें ए0के0एम0 के सारे गुण रहते हुये हलका व अच्छी एक्युरेन्सी मिल सकें।

17 वर्ष तक रिसर्च चलते हुये आर्डिनेन्स फैक्ट्री इच्छापुर (ओ0एफ0आई0) कलकत्ता द्वारा वर्ष 1997 में इन्सॉस तैयार की गयी। सबसे पहले भारतीय सेना ने वर्ष 1999 में कारगिल युद्व में प्रयोग किया जो काफी सफल रहें।

इन्सास एम्युनेशन:-

किसी भी शस्त्र को इजाद करने से पूर्व उसके एम्युनेशन के बाद में विचार किया जाता हैं, इसी के मददेनजर इन्सास एम्युनेशन की सर्वप्रथम एक ही आवश्यकता रखी गयी है कि इन्सास एम0एम0जी0 एम्युनेशन 800 मीटर तक की मार कर सकें। इसके लिए आवश्यक था कि एक ऐसा एम्युनेशन बनाया जाये जिसमें कम से कम 488 जूल्स की टर्मिनल एनर्जी हों। क्योंकि किसी अनप्रोटेक्ट टारगेट को न काविल बनाने के लिए 81 जूल्स की एनर्जी होना जरूरी हैं। यदि टारगेट प्रोटेक्ट है तो 407 जूल्ट एनर्जी की आवश्यकता होती हैं।

विशेषताये:-

किसी भी शस्त्र की विशेषतायें स्वत: शस्त्र को देखने से ही मिल जाती है। इसको जवान को अलग से याद न कर शस्त्र में ही देख कर जानना चाहिए।

1- यह शस्त्र छोटा व हल्का होने के कारण कैरी व कैमोफ्लाईज करने में आसान हैं।

2- साइड प्रोजेक्टर की व्यवस्था स्वयं फलैश ऐलीमेनेटर में हैं, जिससे ग्रेनेड फायर कर सकते हैं।

3- इसका बैनेट मल्टी परपज हैं।

4- कारगर रेन्ज अधिक हैं।

5- इसके अन्तर्गत (टी0आर0बी0) 3 राउन्ड ब्रस्ट हैं। जिससे एम्युनेशन की बर्बादी कम

होती है।

6- रिर्टनर गाईड लांकिक लीवर है।

7- मैगजीन पारदर्शी है। जिससे जवान को अपने एम्युनेशन का पता लग जाता है।

8- इसकी बॉडी प्रेस्ड सीट स्टील मेटल की है। जिससे वजन कम है।

9- इसमें डयूबटेल साईड है, जिसमें नाईटपेसिब/डेपेसिब लगाकर फायर कर सकते है।

कमियाँ:-

1- टी0आर0बी0 होने के कारण रोके अधिक पडती है।

2- मैगजीन पारदर्शी होने के कारण देखने वाले व्यक्ति को पता चल जाता है कि कितना एम्यूनेशन शेष है।

3- शोला अधिक देती है।

जनरल डाटा:-

बिना मैगजीन रायफल का वजन	4.018 किलो ग्राम
खाली मैगजीन के साथ वजन	4.108 किलो ग्राम
खाली मैगजीन वजन	.90 ग्राम
भरी मैगजीन के साथ रायफल का वजन	4.373 किला ग्राम
मात्र भरी मैगजीन का वजन	355 ग्राम
बैनट का वजन	305 ग्राम
बैनट की लम्बाई	285 एम0एम0
फिक्स बट के साथ रायफल की लम्बाई	960 एम0एम0
बैनट के साथ रायफल की लम्बाई	1110 एम0एम0
बैरल की लम्बाई	464 एम0एम0
साईड रेडियस	470 एम0एम0
साईक्लों रेट आफ फायर	650 राउण्ड प्रति मिनट
ग्रुब्ज की संख्या	6

खोलना/जोडना व हिस्से पुर्जो के नाम:-

किसी शस्त्र को खोलने से पहले उसका सेफ्टी प्रीकाशन वास्ते जानमाल सलामती के लिए नितान्त आवश्यक हैं। सबसे पहले मैगजीन कैच को दबाते हुये मैगजीन को उतार कर अलग रख दें। चेन्ज लीवर को सेफ से आर0 या बी0 पर लगायें और गन को काकिंग हैण्डल से कॉक करें तथा साथ ही साथ बॉडी होल्डिग डिवाईस को लगाये व इजेक्शन स्लाट से देखे चेम्बर खाली चाल वाले पुर्जो को आगे जाने दें। ट्रेगर न दबाये क्यों कि इन्सास रायफल कॉक होकर ही खुलती हैं। वर्तमान

समय में हमारे पास केवल कुछ शस्त्र है जो कॉक होकर खुलते है, इसको याद करने के लिए आवश्यक है कि एक **'की'** बर्ड याद किया जाये। ए0एस0आई0

ए0 **ए0के0एम0**

एस0 **एस0एल0आर0**

आई0 **इन्साँस**

यदि इन शस्त्रों को बगैर कॉक किये गये खोला गया तो हैमर चाल वाले पुर्जो को निकालने में रूकावट डालेगा।

खोलने के क्रम में सबसे पहले बैनट कैच को दबाते हुये बैनट को खोले व स्केवर्ड से अलग करें।

रायफल को बाये घुटने पर इस प्रकार रखें कि मजल वायी तरफ को हो जाये। दाहिने हाथ के अगूठें से लीवन लॉकिग गाईड को दवायें बाये हाथ की मदद से लॉकिग लीवर को दवायें जब रिर्टनर गाईड आगे आ जाता है तब लॉकिग लीवर से दवाब हटा दें इससे ओपनिंग कवर आजाद हो जायेगा और ओपनिंग कवर को उठा कर ऊपर रखें।

रिकॉल स्प्रिग गाईड:-

रिर्टनर गाईड को आगे की तरफ पुश करते हुये रेसिस से बाहर करें व ऊपर उठाते हुये निकालें, इसके बाद पिस्टल एक्सटेंशन असेम्बली को निकालते हुये बाये हाथ की चारों उगलियों पर रखें।

ब्रीच ब्लाक:-

इसको खोलने के लिए एक्सटेंशन को उलटा पकडे, जिससे ब्रीच ब्लाक ऊपर हो जायें और ब्रीच ब्लाक को आगे से पीछे धकेलते हुये दाहिने टर्न करें, जिससे पाथ अपने रास्ते से जुदा हो जायेगा और आगे की ओर निकालें।

अपर हैड गार्ड:-

अपर हैड गार्ड को खोलने के लिए लॉकिग गैस सिलेन्डर पिन को ऊपर उठाते हुये सिलेन्डर सहित खोले व बाद में सिलेन्डर को अपर हैड गार्ड से अलग कर दें। इससे ज्यादा एक जवान को रायफल नही खोलना चाहिए।

हिस्सेपुर्जे:-

बैरलग्रुप:-

फलैश एलीमिनेटर, बैनट स्टड़, गैस ब्लाक, गैस प्लग, सिलिगं कडी, ग्रेनेड साईड, कैप हैड गार्ड, बैरल, ब्रेकेट।

गैस ब्लाक/गैस प्लग:-

फोर साईड, गैस ब्लाक, गैस सिलेन्डर।

बॉडी ग्रुप:-

कॉकिग हैडल, बाडी होल्डिग डिवाईस, कैरी हेन्डिल, बाडी कवर, ट्रेगर गार्ड, ट्रेकर, बैक साईड, डियूव टेल साईड, टी0आर0बी0बॉक्स, सेफटी सी0एल0, हेमर, चेंज लीवर स्पेन्डल गार्ड, ट्रेगर सियर, मैगजीन हाउजिंग, पिस्टल ग्रिप।

बट ग्रुप:-

स्माल ऑफ द बट, लोअर सिलिगं कडी, बट प्लेट, टो बट, हिल बट, टोबट स्क्रू, हिलबट स्क्रू।

भरना व खाली करना:-

मैगजीन भरना:-

किसी भी शस्त्र को भरने से पहले जरूरी है कि उसकी मैगजीन भरना दुरूस्त आता हों। अभी मै बताऊगा कि मैगजीन का भरना। मैगजीन भरने से पहले मैगजीन का निरीक्षण किया जाये कि मैगजीन कहीं से टूटी हुई तो नही हैं। मैगजीन लिप्स सही हैं, मैगजीन स्प्रिग सही कार्य कर रहा हैं। मैगजीन को इस प्रकार पकडे कि चारो उगलियॉ बाहर से अगूंठा प्लेटफार्म के ऊपर सवार हो। छोटा मेहराव अपनी तरफ तथा बडा मेहराव बाहर की तरफ हो। मैगजीन को बूट की टोह या रांग पर रखें, मैगजीन को भरने से पहले एम्यूनेशन को साफ किया जायें तथा गिनती कर ली जायें। मैगजीन प्लेटफार्म पर राउन्ड को रखते हुये, नीचे व आगे की तरफ पुश करें इसी क्रम में भरते समय कोई राउन्ड गिर जाता है तो उस राउन्ड को सबसे बाद में साफ करके भरें। यदि मैगजीन को तुरन्त प्रयोग नही करना हैं तो आखिरी राउन्ड पर चिन्दी लगा दी जाये और पोच में उल्टा रखा जायें जिससे स्प्रिग पावर दुरूस्त रह सकें।

रायफल का भरना:-

दुरूस्त भर पोजीशन बनाते हुये भर के आदेश पर कार्यवाही इस प्रकार करें। पोच का बटन खोले रायफल से खाली मैगजीन उतारें, पोच में दाखिल करें, पोच से भरी मैगजीन निकाले मुलाहजा करें व मैगजीन हाउजिंग में दाखिल करें, यकीन करें कि मैगजीन सही लग गयी हैं।

रेडी पोजीशन:-

रेन्ज या रेडी का आदेश मिलने पर दी गयी रेन्ज लगायें व चेन्ज लीवर की बदली करें, रायफल को कॉक करें व एक ही झटके से चाल वाले पुर्जो को आगे जाने दें। कलमें वाली उगली ट्रेगर पर सवार हों।

रायफल खाली करना:-

खाली कर, आदेश मिलने पर कार्यवाही इस प्रकार करें, ट्रेगर से उगली बाहर करें। रायफल को भर पोजीशन में लाये। बायें हाथ के अगूठें से मैगजीन कैच को दवाते हुये मैगजीन को आगे पुश करते हुये उतारे और पोच में रखे। रायफल को कॉक करें जिससे चेम्बर वाला राउन्ड इजेक्शन स्लाट से बाहर निकल कर गिर जायेगा। चाल वाले पुर्जे आगे जाने दें। ट्रेगर दवायें, चेंज लीवर सेफ पर लगाये, नीलिंग पोजीशन बनायें गिरे हुये राउण्ड को साफ कर पोर्च में रखें और खाली मैगजीन रायफल पर लगायें।

मैगजीन खाली करना:-

मैगजीन को बायें हाथ की मदद से इस प्रकार पकडें कि चारों उगलियॉ बाहर से, अगूंठा अन्दर से ग्रिप किये हुये छोटा मेहराव जमीन की तरफ हों। ध्यान रहें कि मैगजीन खाली करते समय राउन्ड किसी साफ स्थान या दरी के ऊपर गिरें। किसी नुकीली चीज से मैगजीन के ऊपरी राउण्ड के खिलाफ दबाब बनाये, इसी क्रम में मैगजीन खाली करते जायें। नुकीली चीज के स्थान पर राउण्ड का उपयोग कर सकते है लेकिन ध्यान रहें कि सात-आठ राउण्ड के बाद खाली करने वाले राउण्ड को बदल दिया जायें।

रोके व रूकाबटें:-

खाली मैगजीन:-

जब हम फायर कर रहे होते है तो गन, फायर करते समय रूक जायें तो कार्यवाही इस प्रकार करें कि ट्रेगर से उगली बाहर करें। रायफल को भर पोजीशन में लायें, रायफल कॉक करें, बायें टर्न करें। इजेक्शन स्लाड से देखा, चेम्बर खाली, मैगजीन खाली। रोक का कारण खाली मैगजीन, खाली मैगजीन उतारें, पोच में दाखिल करें, पोच से भरी हुई मैगजीन निकाल कर लगायें और फायर में शामिल हो जायें। रायफल सही फायर करेंगी।

मिस फायर:-

जब रायफल शुरू से ही फायर न करें, या फायर करते-करते रूक जायें तो कार्यवाही इस प्रकार करें। ट्रेगर से उगली बाहर करें। रायफल को भर पोजीशन में लायें, रायफल कॉक करें, देखा एक राउण्ड इजेक्शन स्लाड से बाहर गिरा, नीलिंग पोजीशन में जाये, राउण्ड उठाकर देखा परक्युशन कैप पर चोट लगी है तो रोक का कारण मिस फायर। मिस फायर की रोक दुवारा कॉक करने पर स्वत: ही दूर हो जाती हैं। दुबारा फायर में शामिल हो, रायफल से ही फायर करेगी।

सख्त खिचाव:-

जब रायफल फायर करते हुये, रूक जायें तो कार्यवाही इस प्रकार करें। ट्रेगर से उगंली बाहर करें। रायफल को भर पोजीशन में लायें तथा काग करें। काग करने पर देखा रायफल काग नही हो रही हैं तो रोक का कारण सख्त खिचाव हैं। मैगजीन को उतारें चेन्ज लीवर, सेफ पर करें व सिंटिग पोजीशन बनायें। स्वयं या दो जवान की मदद से पुलथ्रो का डबल फन्दा बना कर कांकिग हैण्डल में फसा कर खीचे, रोक दूर हो जाने पर पुन: फायर में शामिल हों।

रूकाबटें:-

1-गैस का कम या ज्यादा होना:-

इसके अन्तर्गत दो पोजीशनें हैं:-

1-लो 2-हाई

आवश्यकतानुसार सेटिग करें।

2–इन्स्ट्रेक्टर का टूट जाना:–

इन्स्ट्रेक्टर की बदली करें।

3–फायरिंग पिन का टूट जाना:–

फायरिंग पिन की बदली करें।

रोकें:–

रोकें वह होती है जो कम समय में जवान स्वयं दूर कर सकता है।

रूकाबटें:–

रूकाबटें वह होती है, जिसमें समय अधिक लगता है, जबान केवल सीमित रूकाबटें ही दूर कर सकता है।

इन्सास रायफल की चाल:–

जब हम चेन्ज लीवर आर0 या बी0 पर करते है और ट्रेगर दबाते है तो हैमर आजाद होकर फायरिंग पिन के पिछले हिस्से पर ठोकर मारता है। जिससे फायरिंग पिन अपने रास्ते से निकल कर चेम्बर वाले राउण्ड के परक्यूशन (पैन्दा) कैप पर ठोकर मारती है, जिससे राउण्ड फायर हो जाता है, फायर राउण्ड से पैदा गैस बुलट प्रूफ, बुलट को आगे धकेलते हुये, आगे ले जाती है। जब बुलट गैस बैण्ड के पास पहुचता है तो कुछ गैस गैस बैण्ड के जरिये सिलेन्डर में दाखिल होती है, कितनी दाखिल होती है यह गैस रेगूलेटर पर निर्धारित होती है।

गैस सिलेण्डर में दाखिल गैस, पिस्टल हैड पर दबाब देती है, जिससे पिस्टल एक्सटेंशन पीछे हरकत करता है। पाथ वे केम की सहायता से ब्रीच ब्लाक को दाये से बायें इतना घुमाता है कि ब्रीच व्लाक का लग बैरल की लांकिक पोस्ट से अलग हो जाता है, इस कार्यवाही को अनलॉक कहते है।

अनलॉक होने के बाद ब्रीच लॉक पिस्टन एक साथ हरकत करते है, इस दौरान इस्ट्रेक्टर फायर केस (खोखा) को पीछे लाता है, इससे इस्ट्रेक्ट कहते है।

चाल वाले पुर्जो की हरकत जारी रहती है, हरकत के दौरान पिस्टल एक्सटेशन का केम हेमर को नीचे दबाता है, बाद में पिस्टन एक्सटेशन का पिछला व निचला पहलू हैमर को पूरा नीचे बैठा देता है। जिससे सेफटी सियर की नोक हैमर की नोज में फॅस जाती है। चाल वाले पुर्जो की इसी हरकत के दौरान, फायर केस इजेक्टर से टकराकर, दाहिने व नीचे गिर जाता है। इसे इजेक्शन कहते है।

ज्योंहि ब्रीच ब्लाक का दबाब मैगजीन के ऊपरी वाले राउण्ड से हटता है, मैगजीन स्प्रिग अपना तनाव पूर्ण करता है, जिससे मैगजीन वाला राउण्ड ब्रीच ब्लाक फीड पीस की सीध में आ जाता है। पीछे की कार्यवाही समाप्त होती है। रिक्वायल स्प्रिग सिकुड़ जाता है और गाईड पर ओवर लैप हो जाता है। जब रिक्वाईल स्प्रिग अपना तनाव पूर्ण करता है तो पिस्टन एक्सटेशन का आगे धकेलता है। इस दौरान ब्रीच ब्लाक में बने फीड पीस मैगजीन के ऊपरी वाले राउण्ड को चैम्बर में दाखिल कर देता है। इसी लोड कहते है।

यहॉ ब्रीच ब्लाक की आगे की हरकत समाप्त हो जाती है परन्तु पिस्टन एक्सटेशन की कुछ हरकत शेष रह जाती है, जब पिस्टन एक्सटेंशन अपनी हरकत पूर्ण करता है तो पाथ वे की मदद से

केम ब्रीच ब्लाक को बाये से दाहिने इतना घुमाता है कि इसका लांकिग लग बॉडी में बनी लांकिग पोस्ट में फस जाता है। लॉक होने के बाद पिस्टन एक्सटेशन आखिरी हरकत के दौरान पिस्टन एक्सटेशन का दाहिना निचला और पिछला हिस्सा (एम्च्यूटी बैण्ड) सेफ्टी सियर को दवा देता है, जिससे हैमर आजाद होकर ट्रेगर सियर से लग जाता है, इसे कॉक कहते हैं। इस प्रकार इन्सास रायफल की चाल समाप्त होती है।

9 एमएम कार्बाइन

1- परिचय- कार्बाइन 9 एमएम स्टेन का आधुनिक रूप है आमतौर पर कार्बाइन दो प्रकार की होती है।

(1)- 1ए1 एस0ए0एफ0 (2)- ए1 एस0ए0एफ0

2- आम जानकारी -

1-कार्बाइन का कैलिबर - 9एमएम

2-बैरल की लम्बाई - 7.84 ''

3-कार्बाइन की लम्बाई-27'' फोल्ड बट के साथ 19 ''

4-साइट रेडियस - 16.1 ''

5-वनज- 6.4 पोण्ड

6-खाली मैगजीन- 10 ओंस

7-भरी मैगजीन - 1 पोण्ड 10 ओंस

8-कारगर रेंज- 100 गज

9-मजल बैलासिटी- 1280 फिट प्रति सैकण्ड

10-ग्रुब्ज- 6

11-साइकिलिक रेट आफ फायर- 550 राउण्ड /मि0

12-मैगजीन क्षमता- 34 राउण्ड/ भरते है 32 राउण्ड

13-रेट आफ फायर - सिगंल एक मैगजीन/ मि0

14-रैपिड- 3 से 4 मैगजीन

15-चेन्ज लीवर- ए0आर0एस0

16-चिन्दी की माप- 4x3'' सूखी तथा 4x2'' तेल की

17-बैनट की लम्बाई - 8''

3- विटोद्दाताएं -

1-सी0क्यू0बी0 में कारगर है तथा यह कमाण्डर का शस्त्र है।

2- फ्लेट टेजेक्ट्री शस्त्र है।

3- सिंगल व आटोमैटिक फायर का सकते है।

4- चेन्ज लीवर मेग सेफ सिस्टम है।

5- अचानक दिशा बदल कर फायर कर सकते है।

6- मैगजीन क्षमता अधिक है।

7- रोकें आसानी से दूर की जा सकती है।

4–कमियां–

1– लॉक सिस्टम नही है ब्लोबैक विद ए0पी0आई0 के सिद्धान्त पर काम करता है।

2– रोकें अधिक, बैरल छोटी होने के कारण कारगर रेन्ज कम है, तथा फायर करते समय हाथों की पोजीशन में विशेष ध्यान देने की जरूरत हैं।

3– आड् के पीछे फायर नही किया जा सकता ।

5– तरतीब– सबक तरतीबवार चलाया जायेगा।

1– 9 एमएम कार्बाइन का खोलना हिस्से पुर्जो का नाम, काम व जोडना।

2– सेफ्टी प्रीकाशन– स्टेण्डिंग पोजीशन से साथ नकल –

3– कोत से उठाते समय व जमा करते समय

4– फायर से पहले फायर के बाद

5– सबक से पहले सबक के बाद

भाग–एक

1–खोलना– नीलिंग पोजीशन से निम्न क्रम मे खोलो:

1– बाडी कैप

2– काकिंग हैण्डल

3– रिक्वाइल स्प्रिंग

4– ब्रीच ब्लॉक

5– बाडी ग्रुप

2– हिस्से पुर्जो के नाम व भाग –

1– बाड़ी कैप– रिक्वाइल स्प्रिंग व ब्रीचब्लाक को रोकना, बट को जगह देना ।

2– काकिंग हैण्डल व ब्रीच– कॉक करना, ब्रीचब्लाक का काम मैगजीन से राउण्ड को चेम्बर मे ले जाना और फायर करना।

3– रिक्वाइलिगि स्प्रिंग–ब्रीचब्लाक को आगे धकेलना तथा फायर के तैयार करना।

4– बाडी ग्रुप–मजल, फोर साइट, प्रोटेक्टर, बैनटलग, ट्रेगर/गार्ड पिस्टल ग्रिप इजेक्शन स्लाट

5– जोडना–खोलने को ठीक उल्टी कार्यवाही बाद अभ्यास, अन्त में ऑख बन्द करके खोलना जोडने का अभ्यास कराओं।

भाग–दो

कार्बाइन को भरना, ले जाने के तरीके व फायर करना ।

1– एम्यूनेशन की सफाई व मैगजीन का भरना–

1– रोकों से बचने के लिए एम्युनेशन की सफाई

2– मैगजीन मे 34 राउण्ड आते है 32 भरे जाते है।

3– हाथ से कमशः गिन कर भरो।

2– खाली करना– अंगूठे की मदद से खाली करों।

कार्बाइन का भरना– भरी मैगजीन पास मे हो।

कमाण्ड– 1– कार्बाइन के पीछे लाइन बन।

2– उठा कार्बाइन मैगजीन।

3– भर पोजीशन – स्टेण्डिंग से ।

4– भर– 1– चेन्ज लीवर एस0 पर :

2– खाली मैगजीन उतारो भरी मैगजीन लगाओ।

3– खाली कर पूरा अभ्यास।

3– कार्बाइन ले जाने के तरीकें–

1– सिलिंग पोजीशन उल्टा या सीधा ।

2– माला या हार पोजीशन।

3– तोल शस्त्र।

भाग– तीन

फायर करना– कार्बाइन का आम फायर आटोमैटिक है:

सिस्त लेकर, खडे होकर या लेटकर–

1– कार्बाइन को सीधा व मजबूत पकडों।

2– तारगेट को देखो तथा सिस्त की जगह नियुक्त करो।

3– कन्धें के खिलाफ ऑख बन्द करो।

4– अपरचर से फोर साइट पर नजर जमाओ।

5– फोरसाइट की नोक उपर चर के बीचो बीच रखते हुए सिस्त की जगर से मिलाओं।

2– फायर – कमाण्ड – रेडी या रेन्ज दिया जाये पर कार्बाइन को कॉक करो सिस्त के कायदे को ध्यान मे रखते हुए ट्रेगर दबाओं इसका फायर करने के लिए ट्रेगर से दबाव घटाओ फिर दबाओं, फायर होता रहेगा। अन्त मे खाली कर अभ्यास।

3- सेन्स ऑफ डारेक्शन बैटल क्राउच पोजीशन से आटोमैटिक -

1- चेन्ज लीवर "A" पर।

2- कॉक करो।

3- कार्बाइन बेल्ट को लाइन , जमीन के समान्तर।

4- बॉया पैर तारगेट की सीध मे बैरल तारगेट के मध्य ,बाद फायर, खाली कर व अभ्यास।

भाग- चार

रोकों के कारण व फौरी इलाज-

1- मैगजीन की रोकें- 1- खाली मैगजीन ।

2- अनफिट मैगजीन।

2- चेम्बर की रोक- 1- मिस फायर।

2- साइज से मोटा राउण्ड।

3- बॉडी की रोक- 1- डबल फीड इजेक्शन से खोखे का टकराना ।

2- मैगजीन लिप्स का ठीला होना।

भाग- पॉच

चाल- कार्बाइन ब्लोबैक विद ए0पी0आई0 के सिद्धान्त पर काम करता है। अर्थात गैस की ताकत से चाल वाले पुर्जे पीछे आते है और रिक्वाइल स्प्रिंग की ताकत से आगे जाकर फायर करते हैं। यही क्रम चलता रहता है।

कार्बाइन की चाल दो हरकतों मे होती है:

1- **पीछे की चाल**- पीछे की चाल तीन हरकतों मे पूरी होती है:

1- एक्सटेक्टर - एक्सटेक्टर द्वारा खोखे राउण्ड को चैम्बर से बाहर खीचना।

2- इजेक्ट- खोखा इजेक्टर से टकराकर बाहर गिरना।

3- फीड- मैगजीन स्प्रिंग की ताकत से उपरी राउण्ड का ब्रीच ब्लॉक की सीध में आना।

2- **आगे की चाल**- तीन भागों या हरकतों मं पूरी होती हैं।

1- कॉक- ब्रीच ब्लॉक का सियर से टकराकर रूक जाना।

2- लोड- फीडपीस का मैगजीन के उपरी राउण्ड व चैम्बर मे ले जाना ।

3- फायर- फायरिंग प्वाइंट का राउण्ड के पैदे पर चोट मारना तथा फायर होना।

नोट- खुली व बन्द कार्बाइन मे चाल का डाइग्राम बनाकर समझाया जाये।

संक्षेप- सवाल-जवाब से।

H.E No.36 ग्रिनेड

1–उद्देश्यः–

सर्विस ग्रिनेड तथा G.F राइफल एवं डैमोलेशन सैट की जानकारी देना है।

2–आमब्यान

हाईएक्सप्लोसिव नं0 36 ग्रिनेड को सर्विस ग्रिनेड भी कहा जाता हैं यह हाईट्रेजैक्टरी के लिये इस्तेमाल किया जाता है। जब दुश्मन आड़ के पीछे, मकान या गडडे में छिपा हो। ग्रिनेड का प्रयोग वूवी टैप्स में भी किया जाता है।

ग्रिनेड का प्रयोग हम हाथ के द्वारा G.F रायफल के द्वारा करते है।

3–पुलिस विभाग में पाये जाने वाले ग्रिनेड

(I.) H.E No.36 ग्रिनेड

इसका रंग भूरा होता हैं तथा बॉडी पर चारों तरफ लाल रंग की धारियों बनी होती हैं या लाल क्रास चिन्ह बना होता हैं

इसका वजन- 01 पौंड 10.5 अंश

कीलिंगएरिया- 09 गज चारों तरफ

खतरनाक एरिया–300 गज

(II.) एक्स्टैक्सनल ग्रिनेड

इस ग्रिनेड का रंग भूरा तथा बॉडी आधी कटी होती है यह जवानों को ग्रिनेड की आन्तरिक चाल के प्रशिक्षण के लिये प्रयोग में लाया जाता हैa

(III.) डमी ग्रिनेड

इसका रंग सफेद होता हैं यह प्रशिक्षण में सर्विस ग्रिनेड के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। इसकी बॉडी में 05 छेद होते हैं। ताकि इसमें बारूद भरकर इसका इस्तेमाल न किया जा सकें।

4– इग्नाइटर सैट

फ्यूज . डेटोनेटर ..22 कैप तीनों सामान के ज्वाइन्ट सैट को इग्नाइटर सैट कहते हैं। यह दो प्रकार का होता हैa

(I.) **4 सेकेण्ड वाला फ्यूज**

इस फ्यूज का रंग भूरा होता हैं पहचान के लिये इसपर रबर का छल्ला होता हैं। यह फ्यूज 04 सेकेण्ड में जलता है इसलिये इसे हाथ से फेंकने वाले ग्रिनेड में प्रयोग करते है।

(II.) 7 सेकेण्ड वाला फ्यूज

इस फ्यूज का रंग पीला होता है यह सात सेकेण्ड में जलता है। इसलिये इसे G.F रायफल से फेंकने वाले ग्रिनेड में प्रयोग करते है।

(5) ग्रिनेड को प्राइम और अनप्राइम करना

(I.) ग्रिनेड को प्राइम करना

गिनेड को प्राइम करने के लिये बेस प्लग को खोल कर अलग करों। तथा ग्रिनेड की अन्दर से सफाई करों। स्ट्राईकर स्प्रिंग व स्ट्राइकर को दरी पर चैक करों सही कार्य कर रहा हैं या नही। इसके बाद स्ट्राईकर व स्प्रिंग को ग्रिनेड में लगाकर सैफ्टी पिन लगाओं। इगनाइटर सैट को ग्रिनेड में इस प्रकार लगाओं कि .22 कैप सेन्टर स्लू में तथा डैटोनेटर को डैटोनेट स्लू में डालकर बेस प्लग को बेस प्लग चाबी से कस दों।

(III.) ग्रिनेड को अनप्राइम करना

जब ग्रिनेड थ्रो की आवश्यकता न हो तो ग्रिनेड को हमेशा अनप्राइम करके ही रखा जायें कार्यवाही इस प्रकार करें।

बेस प्लग चाबी से बेस प्लग खोले फिर इग्नाइटर सैट को निकालकर सुरिक्षत डिब्बे में रखें पुनः बेस प्लग लगायें।

(6) ग्रिनेड को फेंकना

गिनेड को हम दो प्रकार से फेंक सकते है।

1- हाथ के द्वारा

2- शस्त्र के द्वारा (जी0एफ0, एस0एल0आर0, इन्सास)

(I) हाथ के द्वारा ग्रिनेड को फेंकना

हाथ से ग्रिनेड 25 से 35 गज तक फेंका जा सकता है। हाथ से ग्रिनेड फेंकते समय 4 सेकेण्ड वाला इग्नाइटर सैट लगाया जायें।

हाईवायर

यह वॉलीवाल नैट के आकार की तार की जाली होती है। यह जमीन से गाड़ देने पर ऊचाई 18 फीट जाल की जमीन से ऊचाई 15 फीट, जाल की चौड़ाई 03 फीट यह जवानों को डमि ग्रिनेड फेंकने की सिखलाई के काम आती है।

ग्रिनेड को 03 प्रकार से फेंका जा सकता हैं।

1- ओवर हैन्ड

2- अंडर हैन्ड

3- स्टोन टाईप

नोट- खिड़की या छत से ग्रिनेड लेटकर फेंका जाता हैं इस लाव करना कहा जाता है।

(II.) G.F रायफल से ग्रिनेड को फेंकना

1- G.F रायफल की बैरल की लकड़ी पर (रीइन्फोर्समैन्ट वायर) बंधा होता हैं

2- बॉडी में सेफ्टी बोल्ट लगा होता है।

3- साकिट बैण्ड में रबर का पैड लगा होता है।

पोजीशन

G.F रायफल से दो पोजीशन से ग्रिनेड फेंकते है।

1- नीलिंग पोजीशन

2- सीटिंग पोजीशन

डिस्चार्जर कप

यह कप के आकार का बना होता है। यह ग्रिनेड को रेंज देंने का कार्य करता हैं।

1- जब विन्डो शटर पूरा खुला हो 80 गज

2- जब विन्डो शटर एक चौथाई बन्द हो 110 गज

3- जब विन्डो शटर आधा बन्द हो 140 गज

4- जब विन्डो शटर तीन चौथाई बन्द हो 170 गज

5- जब विन्डो शटर पूरा बन्द हो 200 गज

नोट:- G.F रायफल से ग्रिनेड थ्रो करने के लिये गैस चैक एवं बालस्टाइड कार्टिज की आवश्यकता पड़ती है। इसे दो एंगिल से फेंकतें है।

(क) लो एंगिल 45 डिग्री

(ख) हाई एंगिल 65 डिग्री

(7) ग्रिनेड की चाल

जब हम प्राइम ग्रिनेड की सेफ्टी पिन को निकालतें हैं तो लीवर आजाद हो जाता हैं जिससे स्ट्राइकर स्ट्राइकर स्प्रिंग के तनाव के कारण अपनी वे में जाकर .22 कैप पर ठोकर मारता है। जिससे चिंगारी पैदा होती है। और सेफ्टी फ्यूज में आम लग जाती है। सेफ्टी फ्यूज के जलने के कारण सेफ्टी फ्यूज से लगा डैटोनेटर विस्फोटित हो जाता है। डैटोनेटर के विस्फोट के कारण ग्रिनेड के अन्दर भरी हाईएक्सप्लोसिव विस्फोटित हो जाता है जिससे ग्रिनेड की बॉडी 48 से 52 टुकड़ों में टूट जाती है। जिससे इसके साथ लगी हर वस्तु बर्वाद हो जाती है।

डेमोलेशन सैट

ब्लाइन्ड या बिना फटे ग्रिनेड को फाड़ने के लिये जो सामान प्रयोग किया जाता हैं उसे डेमोलेशन सैट कहते है।

डेमोलेशन सैट के सामान व उनके कार्य

(I.) गन कॉटन स्लेव

यह एक छोटी ईट के आकार का हाई एक्सप्लोसिव है । इसका वनज 19 औंस इसमें 16 औंस बारूद तथा 03 औंस पानी होता हैं यह विस्फोट करने के लिये प्रयोग किया जाता हैं

(II.) प्राइमर

यह भी एक बारूद होता हैं जब हमें कई ब्लाइन्ड ग्रिनेड बरबाद करने होते हें तो इसका प्रयोग धमाके का बढ़ाने के लिये बुस्टर के रूप में प्रयोग करते है।

(III.) बुडन रैक्टीफायर

यह लकड़ी के पैन का आकार का होता है। यह प्राइमर में छेद को चौड़ा करने के काम में आता है।

(IV.) सैफ्टी फ्यूज

यह काले रंग का होता है। इसके जलने की रफ्तार 2 फीट प्रति मिनट होती है। यह फ्लैम कैरियर का कार्य करता है।

(V) फीता

सैफ्टीफ्यूज को नापने के लिये इसका प्रयोग किया जाता है।

(VI) चाकू या ब्लैड

सैफ्टी फ्यूज को काटने के लिये प्रयोग किया जाता है।

(VII) डेटोनेटर

आग को धमाकें में तब्दील करता है।

(VIII) प्लॉस

डैटोनेटर के खाली भाग में फ्यूज लगाकर खाली भाग को दवाने के काम आता है।

(IX) ल्यूटिंग मिटटी

डैटोनेटर को प्राईमर के छेद में कसने के लिये प्रयोग की जाती है।

(X) फ्यूजी मॉचिस

यह फ्लेम प्रोडयूसर का कार्य करती है। यह एक विशेष प्रकार की माचिस होती है। इसकी विशेषतायें निम्नलिखित है।

1- यह आडिनेंस फैक्ट्री में बनती है।

2- इसमें 09 तिल्लियॉं होती है।

3- इसकी लौ दिखाई नहीं देती है।

4- इसकी लौ पर आधी तूफान का असर नहीं होता है।

आवश्यक निर्देश

1- ग्रिनेड न फटने पर 15 मिनट बाद उस ग्रिनेड के पास जाना चाहिये।

2- डैमोलेशन सैट लगाते समय कम से कम जवान लगायें जायें।

3- यदि डैमोलेशन सैट से भी ग्रिनेड न फटे तो दूसरा डैमोलेशन सैट लगाकर बर्वाद करना चाहिये ।

4- फेंके गये ग्रिनेड की गिनती फटे एवं बिना फटे ठीक प्रकार कर लेनी चाहिये।

5- बिना फटे ग्रिनेड को बिना बर्वाद किये नही छोड़ना चाहिये।

.303 एल0एम0जी0

1- दोहराई- राइफल की उत्पत्ति पर

2- उददेश्य:- 303 के बारे में जानकारी देना है

3- आमबयान- 303 पुलिस का सबसे कारगर हथियार है।

एक मशीन की तरह कार्य करती है इसलिए इसे लाईट मशीन गन कहते है। इसको ब्रेनगन व कू वैपन के नाम से भी जाना जाता हैं। एल0एम0जी0 पर एक से अधिक व्यक्ति कार्य करते हैं। इसलिए इसे कू वैपन कहा जाता हैं। अधिक फायर करने के लिए एल0एम0जी0 के साथ स्पेयर बैरल रहती हैं। चेन्ज लीवर होने की वहज से यह सिंगल शाट व आटोमैटिक फायर करती हैं। एक अच्छा फायर एक मिनट 150 राउन्ड फायर कर सकता हैं।

उत्पत्ति

वर्ष 1940 में चेकोस्लोवाकिया की ब्रेनों नामक कम्पनी ने इसे बनाया। उस समय इसका वोर 7.92 एमएम वा ब्रेनों कम्पनी ने इसे ब्रिटेन के हाथ बेच दिया। ब्रिटेन ने इसे इन्फील्ड् कम्पनी में बनाया तथा इसका बोर .303 इन्च कर दिया। इन्फील्ड कम्पनी के एवं ब्रेनों कम्पनी के नाम को बरकरार रखने के लिए ब्रेनों से बी0आर एवं इन्फील्ड कम्पनी से ईन लेकर इसका नाम बीआरईएन पड़ा।

आम जानकारी

नाप तौल में मार्क 1 व मार्क 2 बराबर हैं तथा मार्क 3 व मार्क 4 वरावर हैं।

विवरण	**मार्क 1 व 2**	**मार्क 3 व 4**
सम्पूर्ण गन का वजन	23 पौन्ड	19 पौन्ड
बैरल का वजन	6.5 पौन्ड	4.5 पौन्ड
पुरीगन की लम्बाई	45 इन्च	42 इन्च
बैरल की लम्बाई	25 इन्च	22 इन्च
खाली मैगजीन का वजन	1 पौण्ड 1 औंस	2 पौण्ड 11 औंस
टाईपाड का वजन	26 पौण्ड	
मैगजीन क्षमता	30 राउन (28 भरे जाते है।)	
बोर का व्यास	.303 इन्च	
कारगर रैन्ज-वाईपाड	500 गज	
टाईपैड से	1000 गज	
रेट आफ फायर प्रतिमिनट	सिंगलशाट-01 मैगजीन	
रैपिड	03 मैगजीन	
साइक्लिक रेट आफ फायर	500 राउन्ड प्रति मिनट	
मजल वैलोसिटी	2440 फीट प्रति सेकेण्ड	

एल0एम0जी0 की विशेषतायें:-

1- सिंगल शाट व एटोमैटिक फायर किया जा सकता है।

2- छोटी-छोटी आड़ों के पीछे छिपाना आसान है।

3- हवाई जहाज के विरूद्व प्रयोग किया जा सकता है।

4- कवरिंग फायर डाला जा सकता है।

5- दी हुई हदों एवं फिक्स लाईन पर फायर डालने में कारगर हथियार हैं।

एल0एम0जी0 की कमियां

1- फायर करने पर पोजीशट आउट हो जाती हैं।

2- एटोमैटिक होने के कारण एम्युनेशन की अधिक आवश्यकता पड़ती है।

3- रोके व रूकाबटें अधिक पड़ने की सम्भावना रहती हैं।

4-भारी होने के कारण जवान एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में थक जाते है।

5-लगातार फायर करने के लिए एक अधिक व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है।

6-एल0एम0जी0 का खोलना व जोड़ना:-

एल0एम0जी0 पांच बड़े भागों में खुलती है जो निम्न प्रकार है

1- पिस्टन ग्रुप,

2- बैरल ग्रुप,

3- बट ग्रुप,

4- बाड़ी ग्रुप

5- वाई पार्ट ग्रुप

नोट:- एल0एम0जी0 को खोलने से पहले सेफ्टीप्रीकाशन की कार्यवाही नीलिंग पोजशन से एल0एम0जी0 को खड़ा करके की जाती है।

1- पिस्टन ग्रुप का खोलना- एल0एम0जी को खोलने से पहले आवश्यक है कि चाल वाले पुर्जे को आगे जाने दिया जायें। नीलिंग पोजिशन बनाते हुए बाड़ी लांकिग पिन को किसी नोकदार चीज से बायें तरफ से दबाया। साथ ही साथ दाहिनें हाथ से बाडी लाकिंग पिन को पकड़ते हुए बाहर खींचा दाहिनें हाथ से पिस्टल ग्रुप को पकड़ते हुए बट को आधी दूरी तक पीछे को खींचा। काकिंग हैण्डिल की मदद से पिस्टन और ब्रीच ब्लाक को पीछे किया । रिर्टनिंग राड को बायें हाथ से बायी तरफ तथा दाहिने हाथ से पिस्टन और ब्रीच व्लाक को पकड़ते हुये बाड़ी से अलग किया फिर ब्रीच ब्लॉक को पिस्टल से अलग करते हुए एल0एम0जी0 के दाहिने तरफ रखा। तथा बट के आगे की तरफ बन्द किया।

2- बैरल ग्रुप का खोलना

बायें हाथ से बैवल नट कैच को दवाते हुए तथा दाहिने हाथ से कैरिंग हैण्डिल को पकड़ते हुए बैरल को बाडी से अलग किया तथ पिस्टल और ब्रीच ब्लाक के बांयी तरफ रखा।

3- बट ग्रुप का खोलना।

बट ग्रुप को खोलने के लिए बायें हाथ से मैगजीन हाउजिंग तथा दाहिने हाथ से पिस्टल ग्रुप को पकड़ते हुए इतना पीछे खीचों की बाडी से अलग हो जायें और एल0एम0जी0 के दाहिने एवं बैरल के बांयी तरफ रखों। यहॉ ध्यान रखा जाये के बाडी को जमीन पर न टिकाया जायें।

4- बाड़ी ग्रुप का खोलना

बट ग्रुप को बाडी से अलग करने के वाद बाड़ी को विना जमीन में टिकायें हाथों को बदली करों। दाहिने हाथ से मैगजीन हाउजिंग तथा बायें हाथ से बाईपार्ट के लैग को पकड़ते हुए बाडी घड़ी के उल्टे रूख घुमातें हुए बाईपार्ट के अलग करों तथा बट ग्रुप के बायी तरफ रखों

5- बाईपार्ट ग्रुप का खोलना

बाड़ी के खोलतें ही वाइपार्ट अलग हो जाता हैं यदि केवल बाइपार्ट ग्रुप खोलने की आवश्यकता पड़ेतो वाइपार्ट लेग का वांया लैगपकड़ते हुए घड़ी के सीधें रूख घुमाते हुए अलग करों

एल0एम0जी को जोड़ना

जोड़ते समय ध्यान रखा जाये जो हिस्सा सबसे पहले खोला गया वह सबसे बाद में जोड़ा जायें।

1-बाइपार्टग्रुप

सर्वप्रथम वायें हाथसे वाईपार्ट ग्रुप के लेग को पकड़ते हुए इस प्रकार उठाओं की शू अपनी तरफ रहें। सैन्टर स्लीव सीधा रहें।

2-बाड़ी ग्रुप

बायें हाथ से वाईपार्ट गुप तथा दाहिनें हाथ से बाडी को पकड़ते हुए सैन्टर स्लीव में डालतें हुए बाड़ी को बड़ी के उल्टे रूख घुमाओं। ध्यान रहे वॉडी के जमीन पर न टिकाया जाये।

3-बट ग्रुप

दाहिने हाथ से पिस्टल ग्रुप को पकड़ते हुए बट के गाइड रिव को बाड़ी के रेसिस से मिलातें हुए बट को बन्द करों।

4-बैरल ग्रुप

बैरल को जोड़ते समय ध्यान रहे की बैरल व बाड़ी का नम्बर एक हो, गैस सिलेन्डर लाकिंग बार का रास्ता साफ हो। बायें हाथ से बैरल नट कैच तथा दाहिने हाथ से कैरिंग हैण्डिल को पकड़ते हुए पीछे को बैठाओं बैरल नट कैच को बाये नीचे बैठाओं किट की आवाज होगी यकीन करो बैरल ठीक प्रकार से जुड़ गयी है।

पिस्टन ग्रुप

बीच ब्लॉक को पिस्टन के केम पोस्ट पर बैठाओं। दाहिने हाथ से पिस्ट व बायें हाथ से रिर्टनिंग राड पकड़ते हुए, बॉडी में पुरा प्रवेश करों बट ग्रुप को बन्द कर दों साथ ही साथ दाहिनें हाथ गदेली से बॉडी लांकिग पिन को बन्द करों।

फायर

जैसे ही पिस्टन आगे की अन्तिम चाल पूरी करता हें तो पिस्टल एक्सटैन्सन फायरिंग पिन रिर्टन पर ठोकर मारता है। जिससे फायरिंग पिन राउण्ड के परक्युसन कैप पर ठोकर मारती हैं और राउण्ड फायर हो जाता हैं। और इसी प्रकार यह फायर का क्रम लगातार जारी रहता हैं

L.M.G की रोकें

यदि L.M.G फायर करते करते रूक जायें या शुरू से फायर न करें तो कार्यवाही इस प्रकार करे। L.M.ळ को कॉक करों और मैगजीन को उतारों अंगुली ट्रेगर से बाहर करों एवं मैगजीन हाउजिंग से देखों।

(I) **खाली मैगजीन**

जब L.M.G फायर करते हुए बीच में रूक जाती है तो फौरी ईलाज की कार्यवाही तो ऊपर बतायी गयी है की जायें । खाली मैगजीन उतरों भरी मैगजीन का मुलाहिजा करों और सीखें तरीके से लगाओं एवं L.M.G कॉक करों। फायर को जारी करो।

(II) **गलत भरी मैगजीन**

अगर गलत भरी मैगजीन चढ़ी होगी तो चाल वाले पुर्जे आधे में ही रूक जायेगें। क्योंकि रिम-के पीछे रिम होने के कारण दो राउण्ड आगे जाते हैं उपरोक्त बताई फौरी इलाज की कार्यवाही करों दूसरी भरी मैगजीन लगातार फायर जारी करों।

(III) **मिस फायर**

फौरी इलाज की कार्यवाह में देंखा चैम्बर में राउन्ड मैगजीन भरी चाल वाले पुर्जे आगे रूक जाते हैं। क्योंकि राउण्ड मिस होने के कारण रोक पड़ जाती हैं। उपरोक्त कार्यवाही के द्वारा रोक दूर करों फायर जारी करों

(IV) **सख्त खिचाव**

चैम्बर गन्दा होने के कारण खोखा चैम्बर से बाहर नहीं आता है। फौरी इलाज की कार्यवाही में हाथ या डबल पूलथू के माध्यम L.M.G कॉक करों खोखे को बाहर निकालों फायर जारी करो। पीछे हटते है। तो खाली केश बाड़ी में बने इजैक्टर टकराकर इजैक्सन स्लाह से बाहर गिर जाता हैं। कार्यवाही इजैक्ट की हो जाती है।

(VI) **फीड**

जब गैस के दबाव से पिस्टन व ब्रीचब्लाक पीछे हटते है तो ब्रीच ब्लॉक का दबाव मैगजीन प्लेट फार्म से हट जाता हैं। जिससे मैगजीन स्प्रिंग उपरी राउण्ड को प्लेटफार्म पर फीड पीस के सामने कर देती है। कार्यवाही फीड की कहलाती है। पिस्टन व ब्रीच ब्लोक इतने पीछे हटते है, कि रिर्टनिंग राड बट रिर्टनिंग स्प्रिंग को बट टयूब में दवा देता हैं तथा पिस्टन बफर से टकरा जाता हैं यहाँ पर L.M.G की पीछे की चाल समाप्त हो जाती हैं।

आगे की चाल

(I) **कॉक**

चल वाले पुर्जे वफर से टकरा कर रिर्टनिंग स्प्रिंग की मदद से आगे बढ़ते हैं। तो बाडी में बनी सिपर पिस्टन के सियर बैनट में फॅस जाती हैं। और पिस्टन व ब्रीच ब्लॉक वहीं रूक जाते हैं। कार्यवाही कॉक की कहलाती है।

(II) **लोड**

जब हम ट्रिगर दवाते है तो सियर नीचे बैठे जाती है। और चाल वाले पुर्जे आगे बढ़ते हुए ब्रीच ब्लॉक में बना फीड पीस मैगजीन के ऊपरी राउन्ड को लेकर चैम्बर में दाखिल करता एवं ब्रीच ब्लाक की चाल पुरी हो जाती हैं। कार्यवाही लोड की कहलाती हैं।

(III) **लॉक**

ब्रीच ब्लाक के ब्रीच को बन्द कर देने के बाद पिस्टन की कुछ चाल बाकी रहती है जैसे ही पिस्टन आगे बढ़ता है तो ब्रीच ब्लाक पिस्टन के राउण्डिंग सरफेस पर चढ़ जाता है। एवं ब्रीच ब्लाक लांकिग सोल्डर वॉडी में वनी लांकिग रेसिस में फंस जाते है।

(IV) L.M.G का खाली करना

'' खाली कर '' के आदेश पर चेन्ज लीवर "S" पर करों अंगुली ट्रेगर गार्ड के बाहर दाहिने हाथ के अंगुठे की गदेली से मैगजीन कैच को दबातें हुए दाहिने हाथ से मैगजीन उतारों व पाउच में रखों पाउच का बटन बन्द करों। L.M.G के चेंन्ज लीवान को "R" पर करों कांकिग हैण्डिल से कॉक करों ट्रेगर दवाओं चेन्ज लीवर "S" पर करो साईट डाउन करों। L.M.G के दाहिने टर्न करों और खड़े हो जाओं।

(8) L.M.G की चाल

L.M.G में पड़ने वाली रोकों को दूर करने के लिए आवश्यक है। कि L.M.G के मैकानिज्म की जानकारी जवान को होनी चाहिए।

L.M.G की चाल दो बड़े भागों में पूरी होती है।

(।) आगे की चाल (।।) पीछे की चाल

पीछे की चाल

1. अनलॉक

जब राउण्ड फायर हो जाता है। तो गैस पैदा होती है। यह गैस बुलेट को बैरल में आगे धकेलती हैं। इसी दौरान कुछ गैस, गैस बैनट के रास्ते रेग्युलेटर से होते हुए सिलेण्डर में पहुँच कर पिस्टन हैड पर दबाव देती है। जिससे पिस्टन पीछे हटता हैं। पिस्टन के पीछे हटने से पिस्टन में लगा ब्रीच ब्लॉक पिस्टन के राउण्डिंग सरफेस से नीचे उतर कर केम पोस्ट पर बैठ जाता हैं। एवं ब्रीच ब्लॉक के लांकिग सोल्डर वॉडी में बनी लांकिक रेसिस से निकल जाते हैं। कार्यवाही अनलॉक की में हो जाती है।

2. एक्सटैक्ट

गैस के दबाव से पिस्टन व ब्रीच ब्लॉक पीछे हटते है तो ब्रीच ब्लॉक में एक्स्ट्रैक्टर खाली केश को चैम्बर से बाहर लाता है। कार्यवाही एक्टैक्ट की कहलाती हैं।

3. इजैक्ट

गैस के दवाव के कारण पिस्टन ब्रीच ब्लॉक और

(7) भरना व खाली करना

सर्वप्रथम मैगजीन का भरना खाली करना तथा **L.M.G का** भरना तथा खाली करना।

(क) मैगजीन का भरना

L.M.G में .303 इंच C.T.N बाल इस्तेमाल किया जाता हैं एक मैगजीन में 30 राउण्ड आते हैं तथा 28 भरे जाते है। सर्वप्रथम राउण्ड की गिनती करके सफाई कर ली जायें फिर मैगजीन का निरीक्षण व सफाई करने के उपरान्त मैगजीन के बायें घुटनें या दरी पर इस प्रकार टिकायें कि छोटा

मेहराव अपनी तरफ बुलट अपनी तरफ करते हुए राउण्ड को भरा जायें। यदि भरते समय कोई राउण्ड जमीन पर गिर जाता है तो उसे बाद में साफ करके भरा जाये।

मैगजीन का खाली करना।

जब तुरन्त फायर की आवश्यकता न हो तो मैगजीन को खाली करके रखा जायें। मैगजीन को वायें हाथ में इस प्रकार पकड़ों कि बड़ा मेहराव अपनी तरफ हो अव अंगूठे की मदद से पहले राउण्ड को नीचे की तरफ धकेलों और बाहर निकालों अब इर राउण्ड की मदद से अन्य राउण्ड को मैगजीन से बाहर निकालों ध्यान रहे 5 या 6 राउण्ड के बाद राउण्ड की बदली कर देनी चाहिए।

L.M.G का भरना व खाली करना।

'' भर पोजीशन'' के आदेश पर L.M.G ds ihNs bl izdkj ysVksa dh n'kk fuEu izdkj gksA

- गन वदन टारगेट एक सीध में हो।
- सीना कुदरती तौर पर उठा हो।
- पन्जें व एड़िया आपस में मिलें हो।
- शरीर में किसी प्रकार की ऐंठन न हों।

''भर'' के आदेश पर दाहिने हाथ से मैगजीन यूटी-लीटी पाउच से निकालों मुलाहिला करों एवं छोटा मेहराव आगे रखते हुए मैगजीन हाउजिंग में लगाओं किट की आवाज होगी यकीन करों मैगजीन ठीक प्रकार लग गयी है। मैंगजीन पर कभी भी थपकी न मारी जायें।

9 एम.एम. ब्राउनिग एफ0एन0एच0पी0 पिस्टल

उद्धेद्दयः– 9 एम.एम. पिस्टल का खोलना सफाई जोडना भरना खाली करना एवं फायर करना सिखाना है ।

सामानः– पिस्टल मैगजीन ड्रिल काट्रिज, रोड, चिन्दी, तेल, फिगर न0 11 टारगेट ।

पहुॅंचः– पिस्टल मुठभेड की लडाई का कारगर एवं प्रभावद्दाली ५ास्त्र है। यह ५ाॅट रिकायल के सिद्वान्त पर कार्य करता है । इसकी बैरल का ब्यास 9 मिलीमीटर व वजन 936 ग्राम कारगर रेन्ज 15 मीटर है। यदि इसकी देखभाल व सफाई ठीक समय पर की जाये तो यह बिल्कुल सुरक्षित और भरोसे वाला ५ास्त्र है।

सबक तरतीब बार सिखाया जायेगा ।

जनरल डाटाः–	वजन	936 ग्राम या 2 पौण्ड 1 औंस
	लम्बाई	7.75 इंच
	कैलीबर	9एमएम
	खाली मैगजीन का वजन	3 औंस
	भरी मैगजीन का वजन	8 औंस
	बैरल की लम्बाई	4.75 इंच
	बैरल में ग्रुब्ज	6
	साईट रेडियस	6.35 इंच
	मैंगजीन क्षमता	13 राउन्ड
	ग्रुब्ज की गहराई	.005 इंच

पिस्टल की विद्दोटाताएः– 1–छोटा होने के कारण साथ रखना व ५ारीर के साथ छिपाना आसान है।

2– छोटी बैरल होने के कारण किसी भी दिद्दाा से निकले टारगेट को तुरन्त दिद्दाा बदल कर बर्बाद किया जा सकता है।

3– मैगजीन क्षमता अधिक है।

4– सेमी आटोमेटिक है।

5– कार्बाइन का एम्यूनिद्दान प्रयोग किया जा सकता है ।

पिस्टल प्रयोग करने वाले की अच्छी आदतें:–

1–बन्द पिस्टल को सदैव भरा हुआ समझा जाये ।

2– पिस्टल को लेते एवं देते समय निरीक्षण करके दिया जाये ।

3–जब पिस्टल किसी ऐसी जगह छोडा जाये जहां से दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रयोग करने की सम्भावना हो सदैव खाली करके ही छोडा जाये ।

4– बाद निरीक्षण ट्रिगर को सुरक्षित दिद्दाा की ओर बैरल रखकर दबाया जाये।

5- जबतक फायर करने की जरूरत न हो ट्रिगर पर अंगुली न ले जाये ।

6- पिस्टल की बैरल साथी की तरफ मजाक में भी न की जाये।

7-पिस्टल के साथ नाजायज हरकत बिल्कुल न की जाये ।

खोलना:- ध्यान रहे पिस्टल को खोलने से पहले जान सलामती के लिए इसका सेफ्टी प्रीकॉ६ान किया जाये ।

सेफ्टी प्रीकॉ६ान के लिए कार्यवाही इस प्रकार करो

1- मैगजीन को निकालो ।

2- स्लाइड को पीछे खीचो ।

3- इजेक्६ान स्लॉट से देखो । चैम्बर व बॉडी खाली है (विश्वास करो) स्लाइड को आगे जाने दो।

मैगजीन को खोलने के लिए

दाहिने हाथ के अगूठे से मैगजीन कैच को दबाओ। ओर बाये हाथ से मैगजीन को निकालो ।

स्लाइड लांकिग लीवर को खोलने के लिए

दाहिने हाथ से पिस्टल ग्रिप पकडो , बाये हाथ से स्लाइड को पीछे खीचो, सेप्टी कैच को फ्रन्ट सेफटी स्लाट में बिठाओ। स्लाइड लांकिग लीवर पिन को दबाते हुए स्लाइड लांकिग लीवर को बाहर निकालो ।

स्लाइड/बॉडी को खोलने के लिए

पिस्टल को बाये हाथ की गदली पर उल्टा करो ताकि बट उपर की ओर हो जाये ओर दाहिने हाथ से बट को पीछे की ओर खीचो ।

गाइड एण्ड स्प्रिग को निकालने के लिए

दाहिने हाथ की अंगुली व अगुंठे की मदद से गाइन्ड एण्ड स्प्रिग को आगे फिर उपर फिर पीछे की ओंर खीचो ओर बाहर निकालो ।

बैरल को बाहर निकालने के लिए

कैम को पकडकर थोड़ा सा आगे उपर व पीछे खीचो ओर बाहर निकालो ।

नोट: सभी पुर्जे दाहिने से बायें को क्रमवार रखो ।

सफाई:- सफाई चार प्रकार की होती है ।

1- आम सफाई

2- फायर से पहले

3- फायर के दौरान (केवल बैरल की)

4- फायर के बाद की सफाई

सफाई के लिए सामान:- चिन्दी, राड, तेल, कपडा, मग एवं पानी ।

चिन्दी की माप- सूखी 4X2 तथा तेल की 4X1.5

विशेष:- शुष्क एवं रेगिस्तान के इलाके में तेल पुर्जो पर मत लगाओ अति सर्द एवं बर्फीले इलाके में लोकोल्ड टेस्ट आयल लगाओ। फायर से पहले पिस्टल का पूरा तेल साफ करो ।

जोडना:-घ्यान रहे जो पुर्जा सबसे पहले खोला गया था वह सबसे बाद में जोडा जायेगा ।

1-स्लाइड को बाये हाथ की गदेली पर रखो

2-बैरल को दाहिने हाथ से उठाओ ओर मजल को रियर बुध्दा के नीचे रखते हुए प्रवेध्दा करो ।

3- गाइड एण्ड स्प्रिग को लगाने के लिए लूप को अपनी तरफ रखते हुए नीचे पोध्ठ में बिठाओ (कटे हुए भाग का सदैव ध्यान रखे)

4- स्लाइड एवं बॉडी को जोडने के लिए रिब गाइड रिब को मिलाते हुए जोडो। ओर स्लाइड को इतना पीछे तक दबाओ कि फ्रन्ट सेफटी स्लाट सेफटी कैच की सीध में आ जाये। सेफ्टी कैच को बिठाओ।

5- स्लाइड लांकिग लीवर को लगाने के लिए उसकी पिन को वे में प्रवेध्दा करो ओर दाहिने हाथ के अंगूठे से दबाओ ।

6- स्लाइड पर काबू रखो । सेफटी कैच को अंगूठे से नीचे करो ओर स्लाइड आगे जाने दों (ट्रेगर नही दबेगा)

7- खाली मैगजीन लगाओ (ट्रेगर दबाओ)

<u>मैगजीन भरना :-</u>

1- मैगजीन का मुलाहिजा करो, देखो, लिप्स व बॉडी कही से दबी तो नही है। बॉटम पलेट सही है।

2- राउन्ड को गिनो।

3- कपड़े से साफ करो।

4- राउन्ड निरीक्षण करो, देखो अन्य से मोटा व परक्यूध्दान कैप से अन्दर को दबा हुआ तो नही है।

5- तेरह की गिनती तक या जितने राउन्ड भरने का हुक्म मिले उतने भरो ।

पिस्टल की भर पोजीध्दान एवं भरना:- भर का हुक्म मिलने पर कारवाई इस प्रकार करो ।

1- पिस्टल को केध्दा से निकालो ओर भर पोजीध्दान बनाओ कलमे वाली अंगुली ट्रेगर गार्ड के बाहर हो ।

2- खाली मैगजीन पिस्टल से निकालो, जेब में रखो।

3- भरी हुई मैगजीन पिस्टल में लगाओ।

4-यदि डियूटी में जाना हो या आगे अन्य कार्यवाही न करनी हो तो पिस्टल को केस में रखो।

<u>खाली करना:-</u> बाद समाप्त डियूटी या उद्देध्य के जरूरी है कि पिस्टल को खाली किया जाये। कार्यवाही इस प्रकार करो ।

1- निकाल पिस्टल की पोजीध्दान बनाओ।

2- भरी मैगजीन निकालो ।

3- पिस्टल की स्लाइड को पीछे खीचो व इजेक्द्दान स्लाट से देखो चैम्बर बॉंडी खाली है।

4- स्लाइड को आगे जाने दो ।

5- खाली मैगजीन लगाओ।

6- भरी मैगजीन को खाली करो।

7 पिस्टल को निर्देद्दित स्थान पर रखो।

<u>पिस्टल से फायर पोजीद्दान:-</u>

1- स्टैंडिग पोजीद्दान।

2- स्काटिग पोजीद्दान।

3- प्रोन पोजीद्दान।

4- बैटल काऊच।

<u>रोके :-</u>

1- खाली मैगजीन ।

2- मिस फायर ।

3- बॉंडी की रोक ।

क- इजेक्द्दान की कमी के कारण

ख- फीड की कमी के कारण

नोट:-यदि टारगेट 10 मीटर दूरी के अन्दर है तो फायर साइंस आफ डायरेक्द्दान से होगा। यदि टारगेट 10 मीटर से 25 मीटर की दूरी तक है तो हाथ को सीधा करके फायर होगा। यदि टारगेट 25 मीटर से अधिक व 50 मीटर से कम है तो हाथ को सीधा व निद्दााना लेकर फायर होगा । यदि 50 मीटर से उपर है तो प्रोन पोजीद्दान या दोनो हाथ से फायर किया जायेगा।

लेक्चर स्माल आमर्स एम्यूनिशन के घुसने की ताकत

1-उदेश्य (AIM) :- अलग- अलग आडो में स्माल आर्मस एम्यूनिशन के घुसने की ताकत दिखाना है। शत्रु की देखभाल करने तथा उसके फायर से बचने के लिए युद्व में जवान को समय के अनुसार मजबूत आड़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सबसे आड अच्छी वही है जो जवान को स्माल आर्मस, आर्टिलरी ओर हवाई हमले से पूरी तरह बचा सके ।

गोली के घुसने की ताकत पर असर डालने वाली बातें

(A) आड की किस्म ¼Types Of CcVer½ %&गोली के घुसने की ताकत आड की किस्म ओर उसकी बनाबट पर निर्भर करती है । मोटी मिटटी की आड, पत्थरो की ढेरी, पतली आड से बेहतर है। मिटटी मोटी व चौडी आड में गोलियां घुसकर रूकती है जबकि ढीले पत्थर फायर होने पर तितर बितर होते है। तथा कमजोर पतली आड लेने वाले को गोलियां घुसकर नुकसान पहुंचा सकती है।

¼B½ फायर की किस्म ¼Types Of Fire½ :- रायफल ओर एल0एम0जी0 से फायर की हुई गोली की मजल वेलासिंटी ¼Muzzle Velocity½ बराबर होती है। अर्थात 2440 Fit/Sec. यदि लगातार फिक्स कर फिक्स लाइम से एल0एम0जी0 से एक ही नि÷ाान पर फायर किया जाय तो आड के रेशो ¼Fibre) में थरथराहट ¼Vibration½ होगी ओर आड की ताकत ¼Resistance½ कम होती है । जिससे बुलेट की घुसने की ताकत बढ जाती है।

¼C½ कारतूस की किस्म ¼Types Of Ammunation) :- 9 एम0एम0 ओर 38" कारतूस में स्टापिंग पावर ¼Stopping Power½ ज्यादा है परन्तु .303" राउन्ड, 7.62 एम. एम. बाल की वनिस्पत घुसने की ताकत कम है। 9 एम.एम. ओर 38" का बुलट लेड अलाय ¼Lead Alloy) का होता है और टकराने पर फैल जाता है। इसलिए शत्रु को यह नकारा बना देता है ओर आड में घुसने की ताकत कम रखता है। .303" राउन्ड एवं 7.62 एम.एम. का बलेट नुकीला होता है ओर क्यू प्रो निकिल एलोय ¼Cupro Nickel Alloy½ से बनाया जाता है। इसलिए इसमें घुसने की ताकत ज्यादा होती है।

(D) आड से हथियार का फासला ¼Distance Of Wepon½%& गोली की उडान पर हवा असर डालती है । जितनी दूरी बढती है गोली को आड तक पहुचने के लिए जमीन की कशिश रोकती जाती है। इसलिए फासला जितना बढेगा गोली की रफतार उतनी ही कम होगी। बैरल को छोडने से 5X पर गोली घुसने की ताकत सबसे ज्यादा होती है।

(E) गोली निकलने की रफतार ¼Muzzle Velocity):- बैरक से गोली निकलने की रफतार जितनी ज्यादा होगी उतनी ही उसकी घुसने की ताकत ज्यादा होगी। 9 एम. एम. ओर 38" लो वैलासिटी एम्यूनेशन ¼Low Velocity Ammunition½ :- होने के कारण घुसने की ताकत कम रखते है। इनकी मजल वैलासिटी कमशः 1440 फिट/से0 600 फिट /से0 है। ओर .303" रायफल .303 एल0एम0जी0 की मजल वैलासिटी 2440/से0 तथा एस.एल.आर की 2700 फीट + - 30 फिट प्रति सेकेन्ड है । अर्थात इनके बजाय 9 एम.एम. व 38" की घुसने की ताकत एक चौथाई है।

(F) गोली को टारगेट टकराने का कोण ¼Angl Of Target½ :- अगर गोली टारगेट पर 90 अंश कोण पर लगी है तो सबसे ज्यादा घुसने की ताकत होगी । लेकिन यदि कोण कम या ज्यादा

होगा तो घुसने पर असर पडेगा। कोण 10 अंश पर गोली यदि लोहे की चादर पर फायर करते है तो रिको हो सकती है यदि कोण 90 अंश है तो लोहे की चादर को भेदने की शाक्ति अधिक होगी।

अत: कैडिट की फायरिगं बट पर नमूने व ¼Demostration½ कराये जाये ।